लोक/राज्य सभा के पटल पर रखे जाने के लिए
To be laid on the table of Lok/Rajya Sabha
अधिप्रमाणित/AUTHENTICATED

दिनांक
Date

अर्जुन राम मेघवाल
Arjun Ram Meghwal
राज्य मंत्री/MOS
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
Ministry of Heavy Industries of Public Enterprises

वर्ष 2019-20 के लिए ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) की वार्षिक रिपोर्ट पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394(1)(ख) के तहत माननीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य

******

सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए ब्रेथवेट, बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं की समीक्षा कर ली है तथा प्रबंधन के उत्तरों के साथ-साथ सीएजी के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/टिप्पणियों की भी समीक्षा की है और रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से सहमत है। इसलिए कोई समीक्षा नहीं रखी जा रही है।

******

34वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष

34TH ANNUAL REPORT

YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

2020

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

THE BRAITHWAITE BURN AND JESSOP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

कर्नाटक में गडाग होटगी परियोजना के लिए स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य

Construction work of steel bridge for Gadag Hotgi Project at Karnataka

हिन्दी गृह पत्रिका : "**बीबीजे दर्पण**" प्रथम पुरस्कार से सम्मानित।

अ. एवं प्र.नि., बीबीजे पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल से **राजभाषा शील्ड** प्राप्त करते हुए परिलक्षित हैं ।

Hindi House magazine : "BBJ Darpan" conferred with First prize.

CMD, BBJ receiving the **Rajbhasha Shield** from Hon'ble Governor, West Bengal

विषय सूची

01 निदेशक मंडल

02 शेयरधारकों को सूचना

06 अध्यक्ष का संदेश

07 निदेशकों का प्रतिवेदन

37 स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

50 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

51 तुलन पत्र

53 लाभ एवं हानि का विवरण

54 नकद प्रवाह का विवरण

56 इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

57 कंपनी सूचना, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

वित्तीय वर्ष 2019-20
के लिए बीबीजे में निदेशकों की सूची

नाम	अवधि
श्री सुंदर बनर्जी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(पूर्ण वर्ष)
श्री अर्नब चटर्जी निदेशक (तकनीकी)	(24 अप्रैल, 2019 से)
श्री आर. के. मित्रा * निदेशक (वित्त)	(पूर्ण वर्ष)
श्री एस. के. सिंह सरकारी निदेशक	(पूर्ण वर्ष)
श्रीमती बेला बनर्जी स्वतंत्र निदेशक	(2 जून, 2019 तक)
श्री तापस कुमार चटर्जी स्वतंत्र निदेशक	(2 जून, 2019 तक)

[* श्री रितेन्द्र कुमार मित्रा 30.6.2020 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद निदेशक (वित्त) नहीं रहें और श्री मुकेश कुमार 01.07.2020 को निदेशक (वित्त) के रूप में जुड़ गये]

लेखा परीक्षक	:	एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स सनदी लेखाकार
सॉलिसिटर	:	फॉक्स एण्ड मण्डल, कोलकाता सैण्डर्सन्स एण्ड मोरगन्स, कोलकाता
बैंकर्स	:	भारतीय स्टेट बैंक केनरा बैंक एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक येस बैंक
पंजीकृत कार्यालय	:	27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001

शेयरधारकों के प्रति सूचना

34वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जा रही है कि दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों की 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक कंपनी की पंजीकृत कार्यालय, 27, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल में शनिवार, 17 अक्टूबर, 2020 को दोपहर 12:00 बजे निम्नलिखित कार्यों के संपादन के लिए होगी –

साधारण काम-काज :

1 कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2020 को स्थित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा का विवरण, न कद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु इसके अंश के तौर पर टिप्पणियॉ आदि सहित वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक तैयार की गयी निदेशक मंडल के प्रतिवेदन, स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ग्रहण करना, उस पर विचार करना और उसे पारित करना।

2 वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए लाभांश की घोषणा करना।

3 वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किये जाने वाले स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

4 सरकारी आदेश से निदेशकों की नियुक्ति को नोट करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

पंजीकृत कार्यालय :
27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता-700001
दिनांक : 25 सितम्बर, 2020

(नवीन कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

प्रतिलिपि : सभी निदेशकों एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों को

द्रष्टव्य :

1. बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य को, अपने बदले में बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिपुरूष नियुक्त करने का अधिकार है और उक्त प्रतिपुरूष को कंपनी का सदस्य रहना आवश्यक नहीं है।

2. कोविद-19 महामारी के प्रकोप जारी रहने के मद्देनजर, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') के परिपत्र, दिनांक 04 मई, 2020 के साथ पठित 8 अपैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के पत्रिपत्रों, जो इकट्ठे 'एमसीए परिपत्रों' के तौर पर संदर्भित है, के जरिए 2020 कैलेण्डर वर्ष के दौरान किसी आम स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बैगर वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी') या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम') सुविधाओं के जरिए वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम ') आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, लो.उ.वि. ने का.ज्ञा. फाइल सं. 3(2)/2016-एमजीएमटी, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 द्वारा स्पष्ट किया है कि एमसीए द्वारा कोविद -19 शुरू होने से उत्पन्न होने वाली स्थिति के बारे में यथा अधिसूचित दी गई छूट के.लो.उद्यमों के मामले में भी लागू होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों, ऊपर संदर्भित एमसीए के परिपत्रों एवं लो.उ.वि. के का.ज्ञा. के अनुपालन में कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक वीसी / ओएवीए के माध्यम से संचालित की जा रही है।

3. 34वीं ई-वा.सा. बैठक के लिए स्थान कंपनी की पंजीकृत कार्यालय, 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता -700001 होगी।

4. क्षेत्राधिकार कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी), कोलकाता के पास निहित शक्ति के संदर्भ में 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन करने की नियत तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के अनुसार सामान्य विस्तार मंजूर किया गया है। इस प्रकार, अब 30.09.2020 के बाद, क्षेत्राधिकार कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास एजीएम आयोजित करने के लिए विस्तार का आवेदन करने की आवश्यक्ता के बगैर ही वार्षिक सामान्य बैठक 3 महीने के भीतर आयोजित किया जा सकता है।

प्रतिपुरूष प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सीआईएन : **यू70100डब्ल्यूबी 198जीओआई041286**
कंपनी का नाम : **दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**
पंजीकृत कार्यालय : **27, आर. एन. मुखर्जी रोड,मोदी बिल्डिंग, कोलकाता, पं.बं. 700001, भारत**

सदस्य (यों) के नाम :
पंजीकृत पता :

ईमेल आईडी :
फोलियो नं. / ग्राहक आईडी :
डीपी आईडी : लागू नहीं

मैं / हम उपर्युक्त नाम की कंपनी में .....शेयर के धारक होने के नाते कंपनी के सदस्य के रूप में एतद्द्वारा निम्नलिखित को मेरे / हमारे तथा मेरी / हमारी ओर से शनिवार, 17 अक्टूबर, 2020 को 12.00 बजे, कंपनी की पंजीकृत कार्यालय, कोलकाता में आयोजित कंपनी के सदस्यों की 34 वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने (मतदान में) के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/ते हूं / हैं।

1. नाम : पता : ईमेल आईडी :
   हस्ताक्षर : , या उसके चूकने पर

2. नाम : पता : ईमेल आईडी :
   हस्ताक्षर : , या उसके चूकने पर

3. नाम : पता : ईमेल आईडी :
   हस्ताक्षर : , या उसके चूकने पर

और इस तरह के संकल्पों के संबंध में इसके किसी भी स्थगन निम्न रूप में दिए गए हैं :

संकल्प संख्या

1 .....
2 .....
3 .....
4 .....

राजस्व स्टाम्प चिपकाएं

..... 2020 के .....वें दिन हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर : ..... (शेयरधारक के हस्ताक्षर)

द्रष्टव्य : इस प्रॉक्सी फार्म के प्रभावी होने के लिए इसे विधिवत रूप से पूरा भर कर एवं बैठक के प्रारंभ होने के पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

25 सितंबर, 2020 को शेयरधारकों के प्रति सूचना में परिशिष्ट

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों की 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक कंपनी की पंजीकृत कार्यालय, 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल में शनिवार, 17 अक्टूबर, 2020 को 12:00 बजे, साधारण काम-काज के लिए बैठक बुलाने के लिए दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को जारी की गई हमारे सूचना से आगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) की टिप्पणियों को इसके साथ प्रस्तुत किया जाता है। सीएण्डएजी के निदेशानुसार स्वतंत्र निदेशकों ने सीएण्डएजी द्वारा अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाये गये लेखा परीक्षा अवलोकनों को शामिल करके **संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन**, 13 अक्टूबर, 2020 प्रस्तुत किया है। यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, 13 अक्टूबर, 2020 उनके पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक प्रतिवेदन, 09 सितम्बर, 2020 का स्थान लेती है।

उपरोक्त के मद्देनजर, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट के अंश के रूप में निम्नलिखित प्रस्तुत किए जा रहें हैं :

1 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक के लिए सदस्यों के प्रति अध्यक्ष का संदेश,

2 निदेशकों का प्रतिवेदन अनुलग्नकों के साथ तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक तैयार की गयी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियॉं,

3 **संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन**, दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 उनके पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, दिनांक 09 सितम्बर, 2020 के स्थान पर ।

यह अनुरोध किया जाता है कि यहॉं संलग्न वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन के नए सेट के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पहले से ही परिचालित वार्षिक प्रतिवेदन के सेट को प्रतिस्थापित किया जाए।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(नवीन कुमार मिश्रा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
27, आर एन मुखर्जी रोड,
कोलकाता-700001
दिनांक : 17 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि : <u>सभी निदेशकों एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों को</u>

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे कंपनी की 34 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सब का स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सीएंडएजी के मंतव्य और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट समेत 31 मार्च,2020 को समाप्त वर्ष हेतु और लेखा-परीक्षित लेखे और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति पहले ही परिचालित की जा चुकी है।

इससे पहले कि मैं आज की बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त पर शुरुआत करूँ, मैं आपसे वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी के कार्य प्रदर्शन की संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा। चुनौतियों के बावजूद, कंपनी विगत वित्तीय वर्ष में 11,965.55 लाख रु. के प्रति 11,361.84 लाख रु. की प्रचालन आय प्रतिवेदित करने में सफल हुआ था जबकि समीक्षाधीन अवधि हेतु निवल लाभ पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 36.13 लाख रु. के निवल लाभ के प्रति 195.92 लाख रु. था।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों ने 1000 प्रत्येक के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर लगभग 8.54% की दर से लाभांश की अनुशंसा की है जो कुल 1032.00 लाख बनते हैं तथा इसके अनुमोदन के लिए इसे शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लाभांश पे-आउट, निवेश और जन परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग(डीआईपीएएम) द्वारा जारी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की पूंजीगत पुनर्संरचना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं।

कोविद -19 के कारण प्रतिकूल प्रभाव के बावजूद, बुनियादी ढांचा क्षेत्र भारत सरकार की प्रमुख नीतिगत पहलों के कारण मध्यम से दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में वृद्धि के लिए व्यापक शीर्षकक्ष की पेशकश करना जारी रखेगा। निरंतर विकास और भविष्य के विकास के लिए, कंपनी प्रचालन (पीएमसी) के मौजूदा क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को विकसित करने के साथ-साथ नए व्यवसाय वर्टिकल (ईपीसी) के तहत बड़े पैमाने पर व्यापार के अवसरों को कब्जा करने के लिए सर्वोत्तम स्तरीय प्रयास कर रही है। आरवीएनएल का आईटीडी सीमेंटेशन लिमिटेड के साथ रणनीतिक संयुक्त उद्यम के जरिए नये आदेश वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे परियोजना के शुरू होने के बाद से निचली पंक्ति में सुधार होगा।

कंपनी में औद्योगिक संबंध वर्षभर सौहार्दपूर्ण रहे।

कंपनी डीपीई,भारत सरकार द्वारा जारी निगम प्रशासन दिशानिर्देश के अनुपालन के लिए वचनबद्ध है। नैगम प्रशासन दिशा-निर्देशों के तहत तिमाही व वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट बिना विलंब के, निर्धारित समय के भीतर डीपीई के साथ प्रस्तुत की जाती है। डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई की ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, बीबीजे ने निगम प्रशासन अनुपालन हेतु लगातार "उत्कृष्ट " ग्रेड प्राप्त किया है। नैगम प्रशासन पर विस्तृत रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कंपनी की निदेशक रिपोर्ट के अनुबंध में अलग से प्रकाशित किया गया है।

मैं, बोर्ड सदस्यों की ओर से, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के रूप में दोनों श्रीमती बेला बनर्जी और श्री तापस कुमार चटर्जी के 02.06.2019 तक पद पर बने रहने तथा श्री रितेन्द्र कुमार मित्रा, निदेशक (वित्त) के 30.06.2020 तक पद पर रहने तक कंपनी को उनके द्वारा दिए गए मूल्यवान दिशा निर्देशों और महत्वपूर्ण अवदान बाबत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

मैं इस अवसर पर निदेशक मण्डल में मेरे सहकर्मियों का कंपनी प्रबंधन में उनके मूल्यवान समर्थन और सहयोग प्रदान करने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

मैं भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों / विभागों, राज्य सरकारों, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, आरवीएनएल, इरकॉन, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, विनियामक तथा सांविधिक प्राधिकरण, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षकों, कानूनी सलाहकारों एवं परामर्शदाताओं, संयुक्त उद्यम भागीदारों और सभी पणधारकों से प्राप्त हार्दिक समर्थन हेतु आभार प्रकट करता हूं। हम कंपनी के भविष्य के प्रयासों में उनके निरंतर समर्थन की आशा करता हूं।

मैं, पूरे बोर्ड मंडल की तरफ से, सभी स्तर के बीबीजे कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण हेतु आभार प्रकट करना चाहता हूं।

आप सभी को धन्यवाद

दिनांक : 17 अक्टूबर, 2020
स्थान : कोलकाता

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

शेयरधारकगण,

ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित खातों के साथ कंपनी के प्रचालन और कार्य प्रदर्शन पर 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए खुशी ही रही है।

1 वित्तीय विशिष्टताएँ

1.1.1 कंपनी के वित्तीय विवरण लेखा के प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है और कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) के नियम 2015 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (भारतीय लेखा मानक) एवं कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन लागू प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन लागू प्रावधानों एवं उसके विस्तार तक तदुपरांत संशोधनों का अनुपालन किया जाता है। प्रथम इंडि एएस वित्तीय विवरण एवं इंडि एएस 101 पहली बार "भारतीय लेखा मानकों को अपनाना' का अनुपालन वित्तीय वर्ष 2017-18 में लागू किए गए थे, इंडि एएस के तहत प्रतिवेदन का यह दूसरा वित्तीय वर्ष है।

1.1.2 2018-19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश नीचे दिया गया है:-

(₹ लाख में)

ब्यौरा	2019-2020	2018-2019
प्रचालन से राजस्व	10640.23	10500.77
अन्य आय	721.61	1464.77
मूल्य ह्रास के पूर्व लाभ/हानि वित्तीय लागत, असाधारण मद व कर व्यय	411.68	361.29
घटाएँ : मूल्य ह्रास/परिशोधन /हानि	122.88	135.93
वित्तीय लागत, असाधारण मदों तथा कर व्यय से पहले लाभ / हानि	288.80	225.36
घटाएँ : वित्तीय लागत	60.91	65.47
कर व्यय से पूर्व लाभ / हानि	227.89	159.89
घटाए: कर व्यय (वर्तमान और स्थगित)	31.96	123.75
वर्ष हेतु लाभ /हानि	195.92	36.13

1.2 बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने विगत वर्ष के दौरान 11965.55 लाख के प्रति 11361.84 लाख का कुल लाभ प्राप्त किया, बाजार में मौजूदा मंदी के साथ, बी.बी.जे ने आवर्त एवं लाभप्रदता के मामले में वृद्धि को प्रोत्साहन देते हुए रेलवे और अन्य ग्राहकों से पारिश्रमिक आदेशों का सतत् लक्ष्य रखा।

1.3 समीक्षाधीन अवधि हेतु कर (पी.बी.टी.) पूर्व आपकी कंपनी का लाभ 2018-19 में 159.88 लाख के प्रति 227.89 लाख है।

1.4 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 36.13 लाख करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कर (पीएटी) के बाद लाभ 195.92 लाख है।

1.5 चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी एक बार फिर लगातार लाभ करने वाले तथा लाभांश का भुगतान करने वाले सी.पी.एस.ई. के ट्रैक रिकार्ड को बनाए रखने के अपने प्रयास में सफल रही।

2. पूंजीगत संरचना

2.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 31 मार्च, 2020 को प्राधिकृत पूंजी 34810 लाख तथा पेड-अप शेयर पूंजी 12086.05 लाख थी।

3. सामान्य प्रारक्षित

31 मार्च, 2020 को सामान्य प्रारक्षित 1473.65 लाख (पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1623.65 लाख) बनता है।

4. लाभांश

4.1 सुसंगत रूप में लाभ करने वाले तथा लाभांश का भुगतान करने वाले सीपीएसई के ट्रैक रिकार्ड को बराबर रखते हुए, आपकी कंपनी के बोर्ड निदेशकों 8.54% की दर से एक लाभांश, 1000 रुपये प्रत्येक अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर सब मिलाकर लगभग 1032.00 लाख रुपये की सिफारिश की।

4.2 लाभांश कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा इसकी मंजूरी के बाद में भारत सरकार को देय हो जाएगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षाओं के मुताबिक होगा, जिसे 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन के बारे में कंपनी रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल के दिनांक 08 सितंबर, 2020 के आदेश के साथ पढ़ा जाये।

4.3 लाभांश पर लाभांश वितरण कर यदि लागू है, तो आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन मौजूदा प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

4.4 लाभांश भुगतान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) पर दिशा-निर्देश के अनुसार, निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी किया गया।

5. प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण

5.1 कंपनी की संक्षिप्त रूपरेखा

5.1.1 केन्द्रीय लोक क्षेत्र के उद्यम (कें.लो.उ.) के रूप में 17 सितंबर, 1986 को समाविष्ट, भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग (डीएएचआई), भारत सरकार के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति जी, समूची 100% इक्विटी शेयर पूंजी धारण करते हैं। यह कंपनी भाउवि के अधीन एक अनुसूची 'ग' केन्द्रीय लोक क्षेत्र का उद्यम है।

5.1.2 कंपनी निम्नलिखित व्यवसाय में संयुक्त हैः

- अभियंत्रण संप्राप्ति व निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय - इस्पात पुल, और
- परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) व्यवसाय - सिविल निर्माण कार्य

5.1.3 कंपनी द्वारा अपनायी गयी परियोजनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई हैं।

5.1.4 बीबीजे की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकतानुसार तथा आईएसओ : 9001:2008 प्रमाणन के तहत प्रमाणित है।

5.2 बी.बी.जे के परिलक्षित दृष्टि लक्ष्य व उद्देश्य:

5.2.1 दृष्टि

"विशिष्ट प्रौद्योगिकी और लागत कुशल पद्धतियों के माध्यम से उच्च अभियंत्रण मानक सहित पुलों व अन्य अभियंत्रण चमत्कारों में नयापन, अभिकल्पन एवं निर्माण करना है।

सभी पणधारियों हेतु देखभाल और चिंता सहित लाभप्रद, उत्पादक, रचनात्मक, अनुपालन व आर्थिक रूप से मजबूत बने रहना है।"

5.2.2 लक्ष्य एवं उद्देश्य

- संगठन कार्यान्वयन सहित एक विश्व स्तरीय प्रमुख अभियंत्रण परियोजना बनना,
- देश में और उसके बाहर प्रतिष्ठित पुलों और अभियंत्रण चमत्कारों का निर्माण।
- अभिनव, उद्यमशील बनने के लिए लगातार मूल्यवर्धन एवं वैश्विक बेंचमार्क प्राप्त करना।
- नवाचार और कौशल उन्नयन के माध्यम से संगठन एवं कर्मचारियों के सतत् क्षमता संवर्धन व कुल ग्राहक संतुष्टि के लिए वचनबद्ध।

5.3 उद्योग संरचना एवं विकास

5.3.1 अर्थव्यवस्था, भारतीय संरचना क्षेत्र और सरकारी पहल :

5.3.1.1 भारत के 2020 तक वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा निर्माण क्षेत्र का बाजार बनने की उम्मीद है। देश की सतत विकास करने के लिए भारत की 2019-23 के दौरान संरचना पर 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डालर खर्च करने की योजना है।

5.3.1.2 भारत में बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश ने समग्र नि. इ.(निजी इक्विटी) /उ. पूं. (उद्यम पूंजी) निवेश को गति प्रदान की है, जो 2019 में 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सब-समय के उच्च निवेश का रिकार्ड है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत भारत के सभी गांवों को 2019 तक सड़क नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाना था। इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क की लंबाई अपग्रेड करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-III (पीएमजीएसवाई) के तहत 80,250 करोड़ रु. (12.03 बिलियन अमेरिकी डालर की अनुमानित लागत की परिकल्पना की गई है। भारत में सड़क निर्माण एशिया में दूसरा सबसे सस्ता हो गया है।

5.3.1.3 भारत सरकार के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र सबसे बड़ा फोकस क्षेत्र बन गया है। केंद्रीय बजट 2020-21 में, सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्गों के लिए 91.82 अरब रुपये (13.14 बिलियन अमेरिकी डालर) की घोषणा की है। वि.व. 21 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय को बजटीय आवंटन वि.व. 20 में 2,670 करोड़ रुपये (376.16 मिलियन अमेरिकी डालर) से बढ़ाकर कर 3,049 रुपये (429.25 मिलियन अमेरिकी डालर) कर दिया गया है। देश के सतत विकास के लिए 2019-23 के दौरान भारत की बुनियादी ढांचे पर 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डालर खर्च करने की योजना है। सरकार ने 2018-2030 के बीच रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5000,000 करोड़ रुपये (750 बिलियन अमेरिकी डालर) के निवेश का सुझाव दिया है।

5.3.2 बी.बी.जे. हेतु संभावनाएँ

5.3.2.1 आंतसंरचना और रेलवे के विकास हेतु सरकार की दृष्टि से उत्कृष्ट वृद्धि अवसर सहित निर्माण क्षेत्र में बढ़ावा मिलने की सम्भावना है इसी तरीके से किए गए प्रयासों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की यूनियन

बजट में रेल मंत्रालय को 71,216 करोड़ रुपये आवंटित किए है। आपकी कंपनी पुल/रोड निर्माण तथा सिविल निर्माण के आला क्षेत्र में अपने अनुभव, विशेषता और प्रतिभा के साथ अवसर का लाभ उठाने के लिए सही ढंग से प्रस्तुत है। अपने दूरस्थ स्थित सतत् निवास योजना के लिए भविष्य के निर्माण चैनलों, बाजार विकास को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की रणनीति अपने सभी पणधारियों हेतु दीर्घकालिक मूल्य सृजन करने के लिए सक्षम है। आपकी कंपनी उद्देश्य आधारित और भविष्य के अनुकूल होने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।

5.3.2.2 आपकी कंपनी भारत सरकार की नीतिगत उपयों के अनुरूप अपनी उत्पादन क्षमता में नियोजित वृद्धि के साथ अपने नीचे की रेखा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। इन सब में सड़क परियोजना, मेट्रो रेल परियोजनाएँ, स्टेशन भवन का निर्माण, ट्रैक बिछाने और आधुनिकीकरण शामिल हैं और आने वाले वर्षों में रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना में से अन्य और सम्भावनाओं की तलाश के अलावा पीएसी व्यवसाय मॉडल में विविधीकरण के माध्यम से व्यापार के अवसरों का पता लगाना भी शामिल है।

5.3.2.3 आपकी कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों से वादा किये गये विकास दर के साथ पारम्परिक व्यापार प्रक्षेपवक्र से विविध क्षेत्र में आपकी कंपनी के कार्य-प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

5.3.2.4 भारत सरकार द्वारा आंतसंरचना पर निरंतर जोर देने के साथ, कठिन क्षेत्रों, यथा; उत्तर-पूर्व, बिहार, जम्मू व कश्मीर में काम करने की अपनी योग्यता समेत बीबीजे का भविष्य उज्ज्वल है जो इसे कठिन और जटिल कार्यों के लिए पंसदीदा संगठन की स्थिति में ले जा सकता है।

5.4 शक्ति और कमजोरी

5.4.1 शक्ति

- मजबूत ब्रांड जाकरूकता और प्रतिष्ठता, भारत में कुछ मेगा ब्रिजों के निष्पादित करने में बेहतर अनुभव, ब्रिजों, सड़कों व अन्य सिविल निर्माण परियोजनाओं का प्रचालन।
- सिविल निर्माण और आंतसंरचना परियोजनाओं में मान्यताप्राप्त उद्योग निर्माता।
- दशकों का अनुभव, सुदूर व सुगम्य क्षेत्र में काम करने का अनुभव।
- जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का ट्रैक रिकार्ड।
- लागत ऊपरी के बिना परियोजनाओं को समय पर पूरा करना तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- बेहतर ऑडर बुक स्थिति, इसके आकार के अनुरूप।
- हमारे ग्राहकों, उप ठेकेदारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य पणधारियों के साथ आपसी विश्वास व सम्मान पर बने संबंधों को निभाना।
- लो अट्रीसन दर पर योग्य और अनुभवी कर्मचारी।
- सही निवल सम्पत्ति।
- बीबीजे के पास योग्य और अनुभवी जन शक्ति है जो कठिन और दूरदराज के क्षेत्रों में आला निर्माण परियोजनाओं को निष्पादित करने में सक्षम है।
- बहुत छोटे कर्जवाले हिस्से में प्रबंधित।

5.4.2 कमजोरी

- रेलवे पुल और सिविल विनिर्माण क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में सीमित विविधता।
- व्यवसाय के नए क्षेत्र यानी पीएमसी कंस्ट्रक्शन में मजबूत होने में समय लगेगा।
- जैसा कि कंपनी अपने छोटे आकार के कारण वित्तीय बाधा का सामना करती है, इसलिए, बड़े कामों को प्राप्त करने के लिए प्रमुख परियोजनाओं की विश्वसनीयता उपलब्ध नही हैं, जिससे ब्रिज, रोड तथा सिविल निर्माण आदि में मूल्यवान व्यवसाय खोता जा रहा है।
- वित्तीय और अन्य सीमितताओं के कारण बीओटी/बीओओ तथा अन्य प्रमुख परियोजना निष्पादन में प्रवेश करने में असमर्थता।

5.5 अवसर, खतरा और बाधाएँ

5.5.1 अवसर

- भारत में विश्वस्तरीय आंतसंरचना हेतु मांग
- 'आत्म निर्भर भारत', 'नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन', 'मेक इन इंडिया', स्मार्ट सिटीज़ मिशन 'और विनिर्माण उद्योग से जुड़ी भारत सरकार की विभिन्न अन्य पहलें विशेष रूप से रेलवे, सड़क और सिविल निर्माण आदि अच्छे बुनियादी ढाँचे की माँग करेंगी, इस प्रकार निर्माण कंपनियों के लिए काफी अवसर प्राप्त होगा।
- आंतसंरचना क्षेत्र हेतु उच्चतर बजटीय आवंटन,
- प्रो-इंडस्ट्री नीति और पहलें, यथा – नैगम कर कम करना, आरईआईटी तथा आंतसंरचना निवेश न्यासों की स्थापना जो आंतसंरचना क्षेत्र आदि में बढ़ावा देंगी।
- भारत सरकार द्वारा आंतसंरचना कार्य में बल तथा सीमा क्षेत्र में विकास कार्य एवं उत्तर-पूर्वी राज्य के विकास कार्य
- सतह परिवहन हेतु आंतसंरचना विकास में जोर,
- प्रमुख भारतीय परियोजनाओं हेतु संयुक्त उद्यम/सहयोग,
- नये क्षेत्रों (जैसे भवन निर्माण, स्मार्ट मीटर लगाना आदि) में विविधता लाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना।

5.5.2 खतरा

- आंतसंरचना में भारी निवेश ने बड़ी संख्या में निजी क्षेत्र के मालिकों को आकर्षित किया है जिन्होंने प्रतिस्पर्धा तेज कर दी है।
- प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण मुनाफे में कमी आ सकती है।
- नामांकन के आधार पर व्यवसाय में कमी।
- मध्यस्थता और अदालती मामलों के कारण आकस्मिक देयताएँ।

5.5.3 बाधाएँ

5.5.3.1 यद्यपि प्रत्येक संगठन को एक निश्चित कानूनी, फ्रेम वर्क के भीतर काम करना होता है, लेकिन एक सार्वजनिक लोक उपक्रम के रूप में आपके निगम को कुछ बाधाओँ (निजी क्षेत्र की कंपनी हेतु लागू नहीं) का सामना करना पड़ता है जो एक प्रतिस्पर्धी बाजार में इसके लिए नुकसानदायक है। कंपनी नार्थ ईस्ट और अन्य संकटजनक क्षेत्रों में काम कर रही है। जहाँ लोग शामिल होना नहीं चाहते। हालांकि बीबीजे लगातार लाभ कमाने और लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी है, लेकिन भारत सरकार से प्रति गारंटी न मिलने की कमी एवं बैकों से बैंक गारंटी सीमित होने के कारण बीबीजे बड़े पैमाने पर एक जांबाज तरीके से राष्ट्र निर्माण में अपनी मुख्य क्षमता का योगदान करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है।

5.5.4 जोखिम और चिंताएँ

5.5.5 निर्माण उद्योग में, प्रमुख चिंता लागत मुद्रास्थिति है। परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और सरकारी नीति में परिवर्तन होते रहने के कारण समय और लागत में वृद्धि हो जाती है जिसकी भरपाई शायद ही ग्राहकों द्वारा की जाती है जिससे आपकी कंपनी घाटे में चली जाती है।

5.5.6 जोखिम भरे भौगोलिक क्षेत्रों में काम का प्रचालन करने के दौरान कंपनी के कर्मचारियों और परियोजनाओं को जीवन, उदारता और संपत्ति के खतरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, यह राष्ट्र निर्माण-कार्य में प्रतिष्ठित कार्यों को निष्पादित कराने का गर्व महसूस कराता है, ऐसे स्थानों में कंपनी ने पर्याप्त सुरक्षा के उपाय किये हैं।

5.5.7 वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के अधीन जोखिम संबंधी ब्यौरे अधिक विस्तृत रूप में उल्लिखित हैं।

5.6 वर्तमान प्रचालनों, मामलों की स्थिति और भविष्य के प्रति दृष्टिकोण

5.6.1 अब नामांकन के आधार पर काम करने के बजाय, मंत्रालयों / सरकारी विभागों में सरकारी उपक्रमों के मध्य एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू की गयी है। बीबीजे कड़ी प्रतिस्पर्धा के तहत भी काम करने में सक्षम है। भारत सरकार ने 12वीं योजना में बुनियादी ढांचे के लिए भारी निधि आवंटित की है। भारत सरकार द्वारा निवेश का एक बड़ा हिस्सा एनईआर, मेट्रो ,एयर पोर्ट, स्मार्ट शहरों आदि के विकास के लिए है।

5.6.2 आपकी कंपनी भी नये क्षेत्रों जैसे सिविल आंतसंरचना,नये और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों आदि में भी विविधता लाने की योजना बना रही है। भारत सरकार द्वारा आंतसंरचना पर निरंतर जोर देने के साथ एवं कठिन क्षेत्रों में काम करने की क्षमता के साथ बीबीजे को एक पसंदीदा संगठन के रूप में माना जा सकता है जो आला, जटिल और मुश्किल कामों के लिए अवहित है। बड़ी संख्या में निर्माण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा कंपनी के मार्जिन पर परिणामी प्रभाव डालता है।

5.6.3 भारत अप्रैल में एक गर्त से उबरने के पथ पर चल रहा है, जो एक सक्रिय सरकार और केंद्रीय बैंक की नीतियों द्वारा योग्य रीति से समर्थित है । फिर भी, कोविद के मामलों में वृद्धि और बाद में रुक-रुक कर हो रही रिकवरी की संभावनाएं नाजुक बनी हुई हैं और निरंतर और गतिशील निगरानी चाहती है। यह आने वाले दिनों में बीबीजे के प्रदर्शन में भी सकारात्मक रूप से परिलक्षित होगा।

5.6.4 बीबीजे रेलवे के लिए इस्पात पुलों का निर्माण व स्थापना हेतु अभियंत्रण, संप्राप्ति व निर्माण(ईपीसी) कार्यों में लगा हुआ है; इस एकल ग्राहक निर्भरता के परिणाम स्वरूप विगत में वित्तीय कार्य प्रदर्शन उच्च परिवर्तनशीलता आ गयी है।

5.6.5 एक अलग पीएमसी विंग भी चालू है जो कंस्ट्रक्शन में कंपनी के उद्यम की देखभाल करता है।

5.6.6 कंपनी के वर्तमान व्यवसाय कार्य क्षेत्र नीचे दिये गये हैं :

ब्यौरे	उत्पाद व सेवाएँ	ग्राहक / क्लाइंट
अभियंत्रण संप्राप्ति व निर्माण (ईपीसी) व्यवसाय – इस्पात पुल	निम्नलिखित पुलों का निर्माण : इस्पात पुलों, केबल स्टेड ब्रिज, पुराने पुलों का पुनर्वास, ब्रिज गर्डरों का निर्माण व आपूर्ति	इंडियन रेलवे, आरवीएनएल, राइट्स, इरकॉन, दिल्ली मुबंई मेट्रो रेलवे निगम, हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर
परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) व्यवसाय – सिविल निर्माण कार्य,	निम्नलिखित का निर्माण : भवन आवासीय विद्यालय, सड़क	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नार्थ इस्टर्न कांउसिल (एनईसी), पश्चिम बंगाल फिशरीज़ कार्पोरेशन लिमिटेड, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बेनफिश

6. प्रचालन कार्यप्रदर्शन के संबंध में वित्तीय कार्य प्रदर्शन पर विमर्श

6.1.1 आदेश बुक स्थिति

6.1.1.1 वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी ने रेलवे परियोजनाओं और रेलवे परियोजनाओं के अलावा दूसरों से समझौता ज्ञापन के तहत भाउवि द्वारा उत्कृष्ट रेटिंग के लिए निर्धारित क्रमश: 350 करोड़ रु. और 100 करोड़ रु. के लक्ष्य के विरूद्ध कोई नये आदेश हासिल नहीं किया है।

6.1.1.2 31 मार्च, 2020 को प्रभावी ऑर्डर बुक स्थिति रेलवे ब्रिज परियोजना से 59897.32 लाख ₹ तथा सिविल परियोजना से 1542.12 लाख ₹ ह ै जो कुल मिलाकर 61439.44 लाख बनते हैं।

6.1.2 विभिन्नता व भविष्य के प्रति दृष्टिकोण

6.1.2.1 आर्थिक गतिविधियाँ कोविद-19 महामारी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुई। समूची पृथ्वी के सरकारों को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन उपायों का सहारा लेना पड़ा। भारत में भी, मार्च 2020 में पूर्ण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा दिया गया जो मई 2020 के दूसरे पखवाड़े तक जारी रहा। कई प्रतिबंध और आन्तरायिक राज्य के लॉकडाउन मई 2020 के बाद भी जारी रहा। इसने अधिकांश औद्योगिक गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।
प्रतिबंधों को चरणों में उठा कर, आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीबीजे सभी प्रयासों के साथ, कंपनी की निचली रेखा पर गतिविधियों के विघटन के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है।

6.1.2.2 भविष्य के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक है तथा कंपनी को आगे आनेवाले वर्ष में और आगे बढ़ने की सम्भावना है।

6.1.2.3 दो व्यवसाय मॉडल, यथा; परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) तथा अभियंत्रण सम्प्राप्ति और ठेका (ईपीसी) के अधीन आपको कंपनी द्वारा विभिन्न उत्पाद लाइन हेतु कदम उठाये जाते हैं। मौजूदा उत्पाद मिश्र के अलावा सिविल अभियंत्रण और निर्माण परियोजनाएँ जैसे सभी आपकी कंपनी के व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत आती हैं और यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी, सीमित साधनों के साथ, कार्य हेतु अपेक्षित अनुभव, विशेषज्ञता व दक्षता सहित सड़क निर्माण, पुल व सिविल निर्माण कार्य से संबन्धित कार्य पहले ही निष्पादित कर चुकी है।

6.1.2.4 आदेशों के सफल निष्पादन के बाद अब आपकी कंपनी आगामी दिनों में इसी प्रकृति के और आदेश प्राप्त करने की उम्मीद करती है, जो उत्पादन और लाभप्रदता में महत्वपूर्ण सुधार करेगी। आपकी कंपनी परियोजना प्रबंधन परामर्श के आधार पर ज्यादा सिविल कार्य करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों का अनुसरण कर रही है।

6.1.2.5 हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने बाजार परिदृश्य में आगे अपने अभियान में सुधार बाबत मणिपुर में दो पुलों के निर्माण हेतु एन एफ रेलवे से प्राप्त आदेश का निष्पादन कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि यह कार्य चुनौतीपूर्ण है, पर यह कंपनी की छवि को एक नये प्रोत्साहन देने की उम्मीद प्रदान करता है।

6.1.2.6 निर्माण उद्योग के अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के साथ नीतिगत गठबंधन समझौता ज्ञापन / कंसोर्टियम के रूप में पहले से ही है। कंपनियों के बीच ऐसे प्रयास मुख्य रूप से तकनीकी आर्थिक तालमेल का पता लगाने के लिए है। यह प्रक्रिया बीबीजे की उन निविदाओं में भागीदारी सुनिश्चित करेगी जहां अकेले बीबीजे पात्र नहीं है।

6.1.2.7 2020-21और उसके बाद के वर्षों में परियोजना के एक बार शुरू हो जाने के बाद आईटीडी सेम- बीबीजे जॉइंट वेंचर (बीबीजे का शेयर 49%) के साथ रणनीतिक संयुक्त उद्यम के माध्यम से आरवीएनएल का 49502.50 लाख रु. के ऑर्डर से निचली रेखा में सुधार होने की तैयारी है ।

6.1.2.8 बीबीजे को पीएमसी आधार पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) से स्कूल भवन परिसर निर्माण हेतु 3 आदेश प्राप्त हुए हैं। उपर्युक्त में से, बीबीजे ने केवीएस के दो अदद पहले ही पूरे कर लिए हैं। बीबीजे ने एनईआरएसडीएस परियोजनाओं के अधीन मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में प्रतिचिह्नित सड़कों हेतु शुरूआती रिपोर्ट (1 अदद) एवं डीपीआर (06 अदद) की तैयारी हेतु, नामांकन पर, नर्थ इस्टर्न कांउसिल (एनईसी) से एक आदेश भी प्राप्त किया है, जो पूरा भी हो गया है। कुछ कार्य समान परियोजनाओं में प्राप्त कर लेने के बाद, आपकी कंपनी अधिक मूल्य की निर्माण परियोजनाओं के लिए बोली में भाग लेने के लिए पात्र बन जाएगी।

बीबीजे भी विभिन्न सरकारी विभागों से पीएमसी आधार पर सिविल कार्य प्राप्त करने के लिए लगा हुआ है।

6.1.2.9 पीएमसी व्यवसाय में विपणन प्रयासों में वृद्धिः

बीबीजे, एक सीपीएसई होने के नाते, केंद्र और राज्य सरकारों / विभागों के लिए पीएससी के रूप में कार्य करने के लिए योग्य है। इस अवसर का पता लगाने के लिए, एक नये पीएमसी व्यवसाय वरटिकल हाल ही में पीएमसी अनुबंधों को प्राप्त करने और क्रियान्वित करने के लिए अपना परिचालन शुरू किया। प्रतिभागी अन्य सीपीएसई हैं।

6.2 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी उपयोगिता

6.2.1 कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्त व्यवस्था है जो प्रबंधन को वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों की प्रभावशीलता की समीक्षा करने में मदद करती है। वह यह भी सुनिश्चित करता है कि सभी लेन-देन अधिकृत, रिकार्ड किये गए और सही ढ़ंग से से रिपोर्ट किये गये हैं।

6.2.2 प्रबंधन उचित देखभाल करता है और परिसंपत्तियों की सुरक्षा,धोखाधड़ी और त्रुटि पता लगाने, सटीकता और लेखांकन रिकार्ड की पूर्णता और विश्वसनीयता वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी सुनिश्चित करता है।

6.2.3 चार्टर्ड एकांउटेंट के स्वत्रंत फार्मों द्वारा आंतरिक लेखा-परीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है जो आवधिक तौर पर महत्वपूर्ण आंतरिक लेखा-परीक्षा करते हैं, उन पर महत्वपूर्ण लेखा – परीक्षा मंतव्य और सुधारात्मक कार्रवाई लेखा-परीक्षा समिति को प्रस्तुत किये जाते हैं।

6.2.4 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा भी आंतरिक लेखा – परीक्षा की रिपोर्टों की समीक्षा की जा रही हैं।

6.2.5 लेखा की पुस्तकें भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पूरक लेखा-परीक्षा के अधीन हैं।

6.3 मानव संसाधन में सामग्री विकास, औद्योगिक संबंध फ्रंट, नियोजित लोगों की संख्या समेत :

इस खण्ड की विस्तृत रूप से चर्चा निदेशक के प्रतिवेदन में कही की गई है।

6.4 पर्यावरण संरक्षण व प्रतिरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षम ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण :

इस खण्ड में विस्तृत रूप से चर्चा निदेशक के प्रतिवेदन में कहीं की गयी है।

6.5 नैगम सामाजिक जिम्मेदारी

इस खण्ड में विस्तृत रूप से चर्चा निदेशक के प्रतिवेदन में कहीं की गयी है।

6.6 सावधानी विवरण

इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करते हुये, जो प्रयोज्य नियमों व विनियमों के अर्थ के भीतर "आगे की ओर देखने वाले बयान" हो सकते है, वास्तविक परिणाण उन व्यक्त या निहित से पर्याप्त रूप में या भौतिक रूप में भिन्न हो सकता है, महत्वपूर्ण विकास जो कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकते है में शामिल हैं - संरचनात्मक क्षेत्र में गिरावट, भारत और विदेशों में आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, विनिमय में उतार-चढ़ाव, कर कानून, मुकदमेबाजी और श्रम संबंध। इस क्षेत्र के तहत जानकारी के लिए स्रोत निम्नानुसार है :

- मौद्रिक नीति समिति की 20 से 22 मई, 2020 तक की बैठक का कार्यवृत्त।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 2019-20 के वार्षिक राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान।
- आर्थिक मामलों विभाग की मासिक आर्थिक रिपोर्ट।
- भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट, - इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)।

7 समझौता ज्ञापन (एमओयू)

7.1 समझौता ज्ञापन वित्तीय और गैर वित्तीय मापदंडों के तहत विभिन्न लक्ष्यों और कार्य-प्रदर्शनों को निर्धारित करता है, जिनका आकलन वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद वास्तविक उपलब्धियों के प्रति किया जाता है।

7.2 2019-20 हेतु समझौता ज्ञापन : आपकी कंपनी ने वर्ष 2019-20 हेतु भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये है। एमओयू मापदंड पर बोर्ड द्वारा और अधिक उच्चतर व बेहतर रैकिंग प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य प्रदर्शन के सुधारने बाबत विभिन्न तरह से विस्तृत रूप में विचार-विमर्श किया गया है।

8 बोर्ड समितियां और संबंधित सूचना / प्रकटीकरण

8.1.1 निदेशक मंडल

8.1.1.1 सरकार के आदेश द्वारा श्री अर्नब चटर्जी को 24.04.2019 से निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री चटर्जी की नियुक्ति के पूर्व, सीएण्डएमडी समय-समय पर सरकारी आदेशों द्वारा कंपनी में निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार सम्हाले हुए थे। डीएचआई द्वारा सरकारी आदेश के तहत, श्रीमती बेला बनर्जी, पूर्व सदस्य (तक.), रेलवे दावा ट्रिब्यूनल और श्री तापस कुमार चटर्जी, एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता को 03.06.2017 से 02.06.2019 तक सरकारी आदेश द्वारा 3 वर्षों की अवधि हेतु कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया था। 03 वर्ष की सेवा-अवधि समाप्त हो जाने के बाद, श्रीमती बेला बनर्जी और श्री तपन कुमार चटर्जी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे। इस समय स्वतंत्र निदेशकों के स्थान 03.06.2019 से रिक्त है। भा भा उसे नये स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का आदेश की प्रतीक्षा है।

8.1.2 वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निदेशक मंडल की 4 बैठकें हुई।

8.1.3 बोर्ड का गठन और अन्य समिति की बैठकों का विस्तृत विवरण, बैठकों की तिथि सहित उक्त बैठकों में निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति एवं अन्य अपेक्षित विवरण निगम प्रशासन रिपोर्ट के अधीन अलग से इस रिपोर्ट के सम्बद्ध और अंश स्वरूप में आवृत्त हैं।

8.1.4 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

8.1.5 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 और धारा 2 (51) की शर्तों के अनुसार श्री गोरा चंद जश, महाप्रबंधक (वित्त), जिन्हें मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के तौर पर भी नामित किया गया था, 31.01.2020 को सेवानिवृत्त हो गये।

8.1.6 31.03.2020 को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा पूर्णकालिक निदेशक निम्नानुसार है:-

i श्री सुन्दर बनर्जी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
ii श्री रीतेन्द्र कुमार मित्रा – निदेशक (वित्त)
iii श्री अर्नब चटर्जी - निदेशक (तकनीकी)
iv श्री नवीन कुमार मिश्रा- कंपनी सचिव (सीएस)

8.1.7 सरकारी आदेश द्वारा, श्री अर्नब चटर्जी 24.04.2019 से पूर्णकालिक निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त हुए थे।

8.1.8 श्री रीतेन्द्र कुमार मित्रा, पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) के तौर पर 30.06.2020 को सेवानिवृत्त हो गये।

8.1.9 सरकारी आदेश द्वारा श्री मुकेश कुमार , पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) के रूप में 01.07.2020 को नियुक्त हुए थे।

8.2 बोर्ड मूल्यांकन व बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

8.2.1 नैगम कार्य मंत्रालय, देखें अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई), ने अपने निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन से सरकारी कंपनियों को छूट दी।

8.2.2 गैर-कार्यपालक बोर्ड सदस्य की नियुक्ति सरकारी आदेश द्वारा होती है और वे उद्योग, वाणिज्य तथा प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, बोर्ड में उनकी उपस्थिति व्यावसायिक निर्णय लेने में लाभप्रद और फलदायी होती है। निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय और अन्य गतिविधियों से अवहित कराने के उद्देश्य से कंपनी के समग्र विषय पर प्रजेन्टेशन दिए जाते हैं। इसके अलावा, निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य नैगम कानूनों के संबंध में अद्यतन विकास से अवगत रखा जाता है। बोर्ड को वित्तीय कार्य-प्रदर्शन, चालू परियोजनाओं की स्थिति तथा विषय संबंधी अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रचालन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्य-सूची कागजात और ब्रिफिंग के माध्यम अद्यतन रखा जाता है।

8.3 निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण

अधिनियम की धारा 134 के अनुसरण में, निदेशक यह प्रमाणित करते है कि :

(क) वार्षिक लेखों की तैयारी में सामग्री प्रस्थान (अगर कोई हो), से संबंधित उचित व्याख्या के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है;

(ख) उपर्युक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है एवं सुसंगत रूप में लागू किया गया है और यह निर्णय व अनुमान लगाया गया है जो उचित और विवेकपूर्ण है, ताकि कंपनी के मामले की स्थिति के बारे में तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष बाबत कंपनी के लाभ एवं हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान कर सके।

(ग) कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव बाबत उचित व प्रर्याप्त व्यवस्था अपनायी गयी है।

(घ) वार्षिक लेखा चालू व्यवस्था आधार पर तैयार किये जाते हैं ;

(ङ) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियों का उपयोग किया जाता है, तथा ऐसी प्रणालियां उपर्युक्त और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

8.4 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

8.4.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(7) के अनुपालन में कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा (एँ) प्राप्त हो गयी हैं कि अवधि के दौरान जिसमें वे कंपनी के निदेशक मंडल में यानी 02.06.2019 तक थे हेतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के तहत यथा विनिर्धारित स्वतंत्रता मानदण्ड को पूरा करते हैं।

8.5 लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति तथा सीएसआर समिति:

8.5.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन भारत सरकार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग द्वारा कारपोरेट गवर्नेंश मार्गनिर्देशों-2010 के तहत यथापेक्षित, संदर्भ शर्तों के अलावा, लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों, जो वित्त और लेखे क्षेत्र के विशेषता रखते हों, समेत गैर-पालक निदेशकों को लेकर किया जाता है। बोर्ड की लेखापरीक्षा समितियों और अन्य समितियों के संबंध में विस्तृत विवरण कारपोरेट गवर्नेंश रिपोर्ट में भी दिये जाते हैं।

8.5.2 आपकी कंपनी विभिन्न नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा पारदर्शिता, जबावदेही, सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से लेखा-परीक्षा बैठक और अन्य बोर्ड स्तरीय बैठक आयोजित करती है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की तीन बैठक हो गयी हैं।

8.5.3 बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों का गठन, बैठकें, उपस्थिति व अन्य विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के संबद्ध और अंश स्वरूप नैगम प्रशासनिक रिपोर्ट के अधीन आवृत्त किए जाते हैं।

8.5.4 स्वतंत्र निदेशकों की सेवा समाप्ति एवं 02.06.2019 के बाद स्थान खाली होने के नतीजतन सभी उपर्युक्त समितियाँ सरकारी नामिनी निदेशकों एवं कार्यशील निदेशकों के साथ गठित की जाती हैं। अंशकालिक सरकार नामिती निदेशक उपर्युक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं। दो अन्य सदस्य निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) होते हैं।

8.6 संबंधित पार्टी लेनदेन

8.6.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पार्टियों से ठेका / व्यवस्था / लेन-देन नहीं किया था जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 188 (1) में संदर्भित संबंधित पार्टी लेन-देन के प्रावधानों के अनुसार सामग्री मानी जा सके।

8.6.2 संबंधित पार्टी के तहत आवृत्त नेमी लेनदेन इस रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग में खुलासा और वर्णित किया जाता है।

8.7 कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति व पारिश्रमिक) अधिनियम, 2014 के अनुसार प्रकटीकरण

8.7.1 कंपनी, भारत सरकार का एक उद्यम होने के कारण, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम,2014 के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 197(12) के अधीन यथा वर्णित पारिश्रमिक व अन्य विवरण से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं से मुक्त है।

8.7.2 इसके अलावा, आपकी कंपनी ने कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) व 5(3) के प्रावधानों का ध्यान आकर्षित करता कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है।

9 सूचना व सतर्कता फ्रेमवर्क, नीतियाँ प्रक्रिया :

9.1 सतर्क तंत्र / व्हिसल ब्लोअर नीति

9.1.1 कंपनी ने निदेशकों और कर्मचारियों हेतु अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहित के उल्लंघन के बारे में वास्तविक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए एक बेहतर सतर्कता तंत्र तैयार किया गया है जिसमें निष्पक्ष रूप से मामलों के संचालन हेतु पेशेगत, ईमानदारी, अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाते हुए विधिवत व्हिसल ब्लोअर नीति शामिल की गयी है।

9.1.2 नीति का उद्देश्य एक भयमुक्त वातावरण तैयार करना है। व्हिसल ब्लोअर नीति संबंधी विस्तृत विवरण नैगम प्रशासन रिपोर्ट में भी वर्णित है। व्हिसल ब्लोअर नीति को कंपनी के वेबसाइट पर भी डाला जाता है एवं www.bbjconst.com पर उपलब्ध है।

9.2 सूचना का अधिकार

9.2.1 कंपनी के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त एक तंत्र है।

9.2.2 वि.व. 2019-20 के दौरान आरटीआई अधिनियम के अधीन कुल 28 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 25 आवेदनों के उत्तर उसी अवधि के दौरान दिए गए। 31.03.2020 को 3 आवेदनों के उत्तर लम्बित थे। आवेदनों के जवाब कथित अधिनियम के तहत विनिर्धारित समय-सीमा के अन्दर दिए गए थे।

9.3 सतर्कता

9.3.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सतर्कता क्रियाकलाप प्रभावी ढंग से प्रबंधित किये गये थे और कोई थी सतर्कता मामला लंबित या विचाराधीन नहीं था।

9.4 लेखागत नीति / मानक का पालन

9.4.1 वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु, कंपनी का वित्तीय विवरण इंडि एएस 101 के अधीन तैयार किया गया था। यह पहली बार कंपनी (लेखागत मानक) नियम 2015 के अनुपालन में भारतीय लेखा मानकों का अंगीकरण था। यह इंडि एएस के तहत तैयार वित्तीय विवरण की द्वितीय रिपोर्टिंग अवधि है।

9.4.2 वित्तीय विवरण के हिस्से वाली टिप्पणियों के अधीन महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण पर्याप्त रूप से समझाया गया है।

9.4.3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कंपनी द्वारा अपेक्षित है तथा तदनुसार ऐसे लेखे और रिकार्ड बनाये और अनुरक्षित किये जाते हैं।

9.5 आंतरिक लेखा-परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण

9.5.1 कंपनी के पास बेहतर नैगम प्रशासन बाबत, जोखिम प्रबंधन के प्रभावकता सुधार व अनुपालन हेतु कंपनी की नीतियों का अनुपालन,अपनी परिसम्पतियाँ की सुरक्षा व धोखाधड़ी की रोकथाम, सही व त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग सहित अपने व्यवसाय का व्यवस्थित व प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

9.5.2 कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय कानूनी, वैधानिक तथा विनियामक अनुपालन आवश्यकता के अनुसार संचालित किया जाता है।

9.5.3 चार्टर्ड एकांउटेंट्स के फर्म, कंपनी में आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य को निष्पादित और उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। आंतरिक लेखा-परीक्षा निष्कर्षों की रिपोर्टो को कंपनी के प्रबंधन और लेखा-परीक्षा समिति को समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता है। आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, संबंधित क्षेत्रों मे सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है तथा समग्र प्रणाली को मजबूत किया जाता है।

9.5.4 कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों, यथा- विपणन मैनुअल, क्रय व कार्य मैनुअल, सामग्री, भंडार, लेखा और निजी मैनुअल आदि को शामिल करते हुए प्रबंधन द्वारा जारी विभिन्न कोडों, मैनुअलों व प्रक्रियाओं के रूप में प्रर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय हैं।

9.5.5 आंतरिक लेखा-परीक्षा योजना, आंतरिक नियंत्रण तंत्र और वित्तीय व प्रचालन प्रणाली के विषयों को भविष्य में सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक मजबूती प्रदान की जाती है।

9.6 नैगम प्रशासन:

9.6.1 आपकी कंपनी अपनी लगातार समग्र कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, कर्तव्यनिष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नैगम, प्रशासन की बेहतर पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करती है। इन प्रयासों पर प्रकाश डालती नैगम प्रशासन रिपोर्ट डीपीई नैगम प्रशासन दिशा-निर्देश की शर्तों पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित, नैगम प्रशासन शर्तों को पूरा करने पर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाती है।

9.6.2 एक अभिन्न अंग होने के नाते, नीतिगत पहल कार्य-प्रक्रिया में जहाँ कहीं जरूरी और आवश्यक हो, जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत पहल उठायी गयी थी। आपकी कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस तरह के नियंत्रणों को समय-समय पर बोर्ड द्वारा नामित सदस्यों द्वारा गठित लेखा-परीक्षा समिति की प्रक्रिया के माध्यम परीक्षण किया जाता है।

9.7 जोखिम तत्वों की पहचान जो उसमें शामिल हों सहित कंपनी बाबत जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और क्रियान्वयन को दर्शाता विवरण, अगर कोई हो, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरा हो:-

9.7.1 जोखिम प्रबंधन प्रणाली नैगम और प्रचालन उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और समेकित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन एक आम व्यावसायिक अभ्यास के रूप में समझा जाता है न कि निर्धारित समय में एक अलग कार्य के रूप में।

9.8 गुणवत्ता आश्वासन / गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा

9.8.1 आपकी कंपनी अपेक्षित गुणवत्ता अनुरक्षित करने के लिए ठेके में यथा विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों और मानकीकृत विशिष्ट प्रक्रिया के अनुपालन के लिए वचनबद्ध है। निरंतर सूचित करने तथा कार्यकारी आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के अंग स्वरूप, एक गुणवत्ता सुनिश्चयन / गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया अभ्यास के रूप मे पालन किया जाता है। निर्माण में सुरक्षा को हलके से नहीं लिया जाता है। वस्तुतः सुरक्षा सब समय निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। कंपनी की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली गुणवत्ता नीति की आवश्यकता के अनुसार प्रबंधन, आईएसओ 9001:2015 के अधीन प्रमाणित है।

9.8.2 वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मुख्यालय में मनाया जाता है जो गुणवत्ता स्कंध द्वारा आयोजित किया जाता है एवं परियोजना स्थल पर सुरक्षा की आवश्यकता उपलब्ध कराने के लिए इस अवसर पर सुरक्षा जागरूकता हेतु आम दिशा-निर्देश पढ़े जाते हैं।

10 लेखा-परीक्षक

10.1 2019-20 की लेखे पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

10.1.1 मेमर्स एआरएसके एण्ड कं., चार्टर्ड एकांउटेंट्स, कोलकाता को वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु कंपनी के सांविधिक लेखा – परीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया था।

10.1.2 वर्ष 2018-19 हेतु लेखे पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों की योग्यता आदि लेखा के नोट में पर्याप्त रूप से समझाया गया है।लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में लेखे पर टिप्पणियॉ स्वत: स्पष्ट है तथा इसलिए अधिनियम की धारा 134(3)(एफ) के तहत आगे किसी और स्पष्टीकरण के लिए नहीं कहते हैं।

10.1.3 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (सीए) के तहत यथा अपेक्षित धोखाधड़ी के संबंध में धारा 143 की उप-धारा (12) के अधीन लेखा-परीक्षकों द्वारा कोई प्रतिकूल रिपोर्टिंग नहीं कि गयी है।

10.2 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के मंतव्य

10.2.1 कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के मंतव्य जो समीक्षाधीन अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं।

10.3. सचिवीय लेखा परीक्षक एवं लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

10.3.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधान जो कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

10.3.2 कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी प्रयोज्य / अनिवार्य सचिवीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

11 मानव संसाधन, महिला सशक्तिकरण और कल्याण गतिविधियाँ

11.1 मानव संसाधन

11.1.1 प्रचालन उत्कृष्टता प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए, संगठन की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा बदलते औद्योगिक परिदृश्य के साथ ताल से ताल मिलाकर चलने के लिए कठोर और सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

11.1.2 कर्मचारियों से संबंधित किसी भी शिकायत को कम से कम समय में हल करने के लिए शिकायत समिति द्वारा कार्रवाई की जानी है, कर्मचारियों के क्रियात्मक और व्यवहार कौशल को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों के बीच स्व-शिक्षण को प्रोत्साहन देने और कुशलता वर्धन हेतु विभिन्न स्तर पर विभिन्न मॉड्यूल के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी थी।

11.1.3 इसके अलावा, वर्तमान नवोन्मेषी और चुनौतीपूर्ण बाजार को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने, अधिकारियों और कर्मचारियों को उनसे संबंधित कार्य में आने वाली अद्यतन जानकारी / तकनीकों व परिवर्तनों से जागरूक करने तथा ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए जिससे कि वे एक टीम के रूप में समग्र संगठनात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से समुन्नत क्षमता और उत्साह के साथ कार्य कर सकें,आवश्यकता आधारित स्व-गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम / तकनीकी कार्यशालाओं की व्यवस्था की।

11.2 नैगम सामाजिक दायित्व; वर्ष के दौरान नैगम सामाजिक दायित्व पर कंपनी द्वारा उठाये गये विकसित एवं क्रियान्वित नीति के बारे में विस्तृत जानकारी।

11.2.1 अगले वर्ष के लिए सीएसआर के लिए निर्धारित राशि को कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार खर्च किया जाएगा।

11.2.2 कंपनी (नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अधीन यथा अपेक्षित सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में रखा गया है।

11.2.3 कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेब साईट https://www.bbjconst.com पर उपलब्ध है।

11.3 महिला सशक्तिकरण

11.3.1 लैंगिक समानता को महत्व देते हुए कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है। वेतन भुगतान, कार्य के घंटे, स्वाश्थ्य, सुरक्षा, कल्याण पहलुओं एवं मातृत्व लाभ, आदि - जैसे मामलों में महिला कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक उपायों /सांविधिक प्रावधानों को लिखित एवं भावना रूप में कंपनी द्वारा पालन किया जा रहा है।

11.4 समाज के कमजोर तबकों का कल्याण

11.4.1 फैक्टरी अधिनियम, 1948 में यथा विनिर्दिष्ट सांविधिक क्ल्याण सुविधाएँ और इसके तहत बनाए गए नियम, सरकारी नीति तथा दिशा-निर्देश के अनुरूप क्रमश: अनु.जा., अनु.ज.जा., अ.पि.वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एवं नि:शक्तजन के आरक्षण नीति के प्रति कल्याण और सामाजिक न्याय के प्रावधान के अलावा कंपनी द्वारा कर्मचारियों के कल्याणार्थ प्रशासित किए जाते हैं।

11.5 एमएसएमई को प्रोत्साहन / सहायता

11.5.1 समीक्षाधीन अवधि के लिये प्रिटिंग, टोनर आदि समेत स्टेशनरी की कुल खरीद में से, अपेक्षित संप्राप्ति एमएसएमई के मार्फत की गयी थी। 45 दिनों से अधिक की एक अवधि हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में आपूर्तिकारों को कोई भुगतान शेष नहीं था।

11.5.2 सामान व समर्थन सामाजिक कल्याण संगठनों को चरणबद्ध तरीके से जरूरत के समय उनसे चयनात्मक स्रोतों / सामग्री की सम्प्राप्ति एवं सेवाओं के माध्यम मुहैया करवाए गए थे।

11.6 कार्य स्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निषेध रोकथाम एवं उपचार) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण :-

11.6.1 (क) कंपनी के कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम एवं उपचार) अधिनियम, 2013 के अधीन आंतरिक शिकायत समिति के गठन के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन किया है। आंतरिक शिकायत समिति यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों की छानबीन करने तथा स्पष्ट समय-सीमा सहित निष्पक्ष जांच प्रक्रिया करने में सक्षम है।

(ख) कार्य स्थल पर महिला य़ौन उत्पीड़न (निषेध, रोकथाम एवं उपचार) अधिनियम, 2013 के अधीन यथा अपेक्षित मामलों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

(i)	वित्त वर्ष के दौरान दायर शिकायतों का संख्या	शून्य
(ii)	वित्त वर्ष के दौरान निपटाएं गये शिकायतों की संख्या	शून्य
(iii)	वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

12 अन्य प्रकटीकरण

12.1 कानूनी अनुपालन

12.1.1 बोर्ड को एजेंडा नोट के मार्फत नियमित आधार पर सांविधिक और अन्य अनिवार्य कानूनी अनुपालन अवगत कराया जाता है। बोर्ड को उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा उठाये गए सुधारात्मक कार्य और सांविधिक प्राधिकारियों से प्राप्त नोटिस, अगर कोई, से भी अवगत कराया जाता है।

12.2 ऋण, गारंटी या निवेश के विवरण

12.2.1 विवेचनाधीन अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी व निवेश नहीं किया गया था जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन जिनका अनुमोदन अपेक्षित है। ऋण गारंटी व निवेश वित्तीय विवरण और उसके टिप्पण अंश स्वरूप उसके अधीन आवृत्त किए जाते हैं।

12.3 बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक हेतु आचार संहिता

12.3.1 आपकी कंपनी में नीतिगत ढांचा अच्छी तरह परिभाषित किया जाता है जिसमें जिम्मेदारी, कर्तव्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी सहित कंपनी की व्यवसाय नैतिकता संचालित करने के उद्देश्य के साथ नैतिक पेशेवर आचरण हेतु सभी बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा अनुपालन बाबत प्रक्रिया का उल्लेख है। संहिता कंपनी के वेवसाइट www.bbjconst.com पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने समीक्षाधीन अवधि के लिये आचार संहिता का अनुपालन किया है।

12.3.2 डीपीई द्वारा सीपीएसई नैगम प्रशासन पर दिशानिर्देश के अनुरूप आचार संहिता के अनुपालन पर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा।

आचार संहिता पर घोषणा

डीपीई द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम 2010, दिनांक14 मई, 2010 के लिए नैगम प्रशासन पर दिशानिर्देश के खंड 3.4.2 के संदर्भ में, मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि सभी बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्त वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक आधार पर कथित दिशानिर्देश के तहत यथा विनिर्दिष्ट आचार संहिता के अनुपालन का पुष्टि की है।

हस्ताक्षर :
(सुन्दर बनर्जी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06862063

12.4 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

12.4.1 कंपनी में हिन्दी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु लिए गए उपाय

12.4.1.1 कंपनी में राजभाषा -हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार की राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं। हिंदी में मूल टिप्पणी /आलेखन को बढ़ाने और सरकारी पत्राचार को हिंदी / द्विभाषी रूप में करने के लिए बल दिया गया है। राजभाषा नियम 8 (4) के तहत यथा अधिसूचित कंपनी के 80% कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसके अलावा, शेष कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रवीण / प्राज्ञ पाठ्यक्रम की हिंदी कक्षाओं के लिए नामित किया जा रहा है। हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए बीबीजे की "राजभाषा कार्यान्वयन समिति" की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। कंपनी में कर्मचारियों के लिए "हिन्दी कार्यशाला" का आयोजन किया जाता है। राजभाषा हिंदी गृह पत्रिका - "बीबीजे दर्पण" नियमित अंतराल पर प्रकाशित होती है। कंपनी में 02 से 16.9.2019 तक "हिन्दी पखवाड़ा" कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हिंदी के प्रचार के लिए और हिंदी के प्रयोग को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए, पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों के बीच विभिन्न अंत:गृह हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को समापन समारोह में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए। कंपनी की द्विभाषी वेबसाइट भी समय-समय पर अपडेट की जाती है।

12.4.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को निम्नलिखित राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया :

12.4.2.1 बीबीजे कंपनी को जनवरी, 2020 माह में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) कोलकाता, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से वर्ष 2018-19 के दौरान हिन्दी गृह पत्रिका : "बीबीजे दर्पण" प्रकाशित करने के लिए "गृह पत्रिका पुरस्कार योजना" के तहत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।

12.4.2.2 नराकास (उपक्रम), कोलकाता द्वारा 29.01.2020 को कोलकाता के यादवपुर में स्थित सीजीसीआरआई के "मेघनाद साहा प्रेक्षागृह" में आयोजित राजभाषा समारोह में श्री सुंदर बनर्जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल, श्री जगदीप धनखड़ जी के कर-कमलों से राजभाषा शील्ड प्राप्त किया है। श्री प्रभु दयाल, राजभाषा प्रभारी एवं संपादक, बीबीजे दर्पण को भी वर्ष 2018-19 के दौरान हिन्दी गृह पत्रिका हेतु उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति फलक दिया गया। इस अवसर पर श्री अभिषेक भट्टाचार्जी, प्रबंधक (मा.सं.प्र.) को हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन हेतु सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया जो नराकास (उपक्रम), कोलकाता के तत्वावधान में आयोजित की गयी थी।

12.4.2.3 दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता को केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद एवं राष्ट्रीय साहित्य एकेडेमी, कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार 28 फरवरी, 2020 को भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता के सभागार में आयोजित "राजभाषा सम्मेलन" में "सर्वोत्कृष्ट राजभाषाश्री सम्मान" प्रदान किया गया है। कंपनी में वर्ष 2018-19 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए श्री अर्नब चटर्जी, निदेशक (तकनीकी) ने पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ के कर-कमलों से "सर्वोत्कृष्ट राजभाषाश्री सम्मान" प्राप्त किया। श्री प्रभु दयाल, प्रभारी - राजभाषा को उनके समर्पित भाव से कार्य करने के लिए "राजभाषा गौरव" सम्मान प्रदान किया गया।

12.5 वार्षिक रिटर्न का सार

12.5.1.1 नियम 12, कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के उप-नियम (1) में यह प्रावधान है कि कंपनी को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ फॉर्म सं. एमजीटी. 9 में वार्षिक विवरणी की उद्धरण संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, अगर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप-धारा (3) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसे वार्षिक रिटर्न के वेब लिंक का खुलासा किया गया है। इस प्रावधान को 28 अगस्त, 2020 को कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2020 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

12.5.1.2 तदनुसार, इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ दायर की गई वार्षिक रिटर्न की वेब लिंक निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध होगी – https://www.bbjconst.com/financial.html. पहले अनुच्छेद में उपर्युक्त प्रावधानों के मद्देनजर, फॉर्म सं. एमजीटी. ९ में 'वार्षिक विवरणी के उद्धरण' समीक्षाधीन अवधि के लिए बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है।

12.6 प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान सहायक कंपनियों, एसोसिएट्स और संयुक्त उद्यम कंपनियों तथा कंपनी के समग्र कार्य प्रदर्शन में उनके अवदान पर रिपोर्ट

भागीरथी ब्रिज निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीबीसीसीपीएल) एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो बीबीजे और गैमन इंडिया लिमिटेड (जीआईएन) द्वारा प्रोमोट किया गया है। निष्क्रिय के रूप में नामिति निदेशक के पद के बाद बीबीजे द्वारा अपने निदेशक से संबंधित गलती को सुधारने या बीबीसीसीपीएल के गठन हेतु संयुक्त उद्यम करार और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार निदेशकों का फिर से नामांकन करने का अनुरोध किया गया था। अनेक बार अनुस्मारक भिजवाने के बावजूद, जीआईएल द्वारा कोई सुधार या निदेशकों का फिर से नामांकन नही किया गया। इस कारण से निदेशकों या पणधारियों की बैठक के आयोजन में गतिरोध है तबसे कथित बोर्ड मीटिंग या पणधारियों की बैठक आयोजित करने का कोई कोरम नहीं है।

फार्म सं 22 क, सक्रिय उक्त गतिरोध के कारण फाइल नहीं किया जा सका है एवं अतएव, कंपनी की वर्तमान स्थिति निष्क्रिय अननुपालित है।

बीबीसीसीपीएल वस्तुतः एक निष्क्रिय संयुक्त उद्यम कंपनी है, द्वितीय हुगली ब्रिज के निर्माण के उद्देश्य के पूरा होने के पश्चात बाद अपने आधार को खोने के बाद, जिसके लिए इसे शामिल किया गया था। यहां कोई कर्मचारी नहीं है। बीबीसीसीपीएल के पक्ष में बीबीजे द्वारा रूटिन फाइलिंग और लेखा परीक्षा /सांविधिक खर्च किए गये थे।

12.7 पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी व विदेश मुद्रा अर्जन और निर्गम

12.7.1 ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रणः

12.7.1.1 विवेचनाधीन वर्ष के दौरान, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाना जारी रहा। आंतरिक तंत्र के माध्यम, विभिन्न अवस्थानों पर अपने परियोजना स्थलों पर व्यवहृत संयंत्र से कार्बन एवं अन्य गैसों के उत्सर्जन स्तर को प्रबोधित करने के लिए इसकी नीतियों एवं प्रणाली की आवधिक जांच के माध्यम ऊर्जा संरक्षण हेतु कदम उठाएं जा रहे हैं।

12.7.1.2 अपने संसाधनों के सीमित उपयोग, विभिन्न स्थलों पर अपनी चालू परियोजनाओं के संपर्क प्रकृति व लघु अवधि सहित उक्त कार्य-स्थलों पर ऊर्जा संरक्षण उपस्कर में पूंजी निवेश के माध्यम वैकल्पिक स्रोतों का व्यवहार इस समय संभव नहीं है। तथापि भविष्य में संभाव्य तरीके में ऊर्जा संरक्षण के वैकल्पिक उपयोग बाबत रास्ते खोजें जाते हैं।

12.7.1.3 विद्युत संरक्षण हेतु बेहतर तकनीकों को अपनाते हुए सभी नई निर्माण परियोजनाओं में ऊर्जा खपत को कम करने पर बल दिया जाता है। इसकी शुरुआत एलसीडी को एलईडी में बदलकर पहले ही की जा चुकी है। इसके अलावा, निष्पादित परियोजनाओं में से अधिकांश ऊर्जा मानकों के अनुरूप है, इनमें व्यवहृत सभी उपस्कर ऊर्जा क्षम है।

12.7.1.4 आपकी कंपनी समुदाय और इसके चतुर्दिक रहने वाले लोगों के लिए पर्यावरण हितैषी है। प्रासंगिक कानूनों के किसी अनुपालन हेतु प्राधिकारी या विनियामकों से कोई कारण बताओ या नोटिस प्राप्त नही हुई थी।

12.7.2 तकनीकी उपयोग

12.7.2.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 की शुरुआत से विगत तीन वर्षों के दौरान कोई आयातित तकनीक कंपनी द्वारा आयातित नहीं की गई थी।

12.7.2.2 नई प्रोद्योगिकी और उत्पाद के बारे में जागरूकता उसके उपयोग के लिए वरिष्ठ प्रबंधन को बताया जा रहा है। नई और अभिनव प्रोद्योगिकी पर प्रजेन्टेशन दिए जा रहे हैं। विभिन्न कारकों के कारण पारंपरिक प्रकृति के कार्य, लागत और आकार बाधा आदि अनुसंधान व विकास कार्यकलाप जैस कार्य वर्तमान में कंपनी द्वारा नही लिए जा रहे है।

12.7.3 विदेशी मुद्रा आय एवं निर्गम

12.7.3.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई भी विदेशी मुद्रा आय व निर्गम नहीं हुआ था।

12 कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा विनिर्धारित प्रकटीकरण, समीक्षाधीन अवधि हेतु अप्रयोज्य

क्रम सं	ब्यौरे	मंतव्य
1)	सामग्री परिवर्तन और वचनबद्धताएं, अगर कोई, जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के मध्य घटित हुई हैं जिससे वित्तीय विवरण व रिपोर्ट की तिथि संबद्ध है।	शून्य
2)	बोर्ड के अपने कार्य प्रदर्शन तथा उसकी समितियों और व्यक्तिशः निदेशकों को दर्शाने वाला एक बयान	**अप्रयोज्य** बीबीजे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें सरकार का 100 प्रतिशत शेयर धारण है। इसके अलावा निर्दिष्ठ सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होता है।
3)	निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक कंपनी की नीति	**अप्रयोज्य** बीबीजे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमे सरकार का 100 प्रतिशत शेयर धारण है। इसके अलावा निर्दिष्ठ सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के कारण ये प्रावधान बीबीजे पर लागू नहीं होता है।
4)	वर्ष के दौरान कंपनी की पूंजीगत संरचना में कोई परिवर्तन	शून्य
5)	शेयरों या अन्य परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का जारी	शून्य
6)	कर्मचारी स्टॉक विकल्प या स्वेट इक्विटी शेयर जारी	शून्य
7)	डिबेंडर बॉण्ड या अन्य अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का जारी	शून्य
8)	वारंट जारी	शून्य
9)	जमा विवरण	शून्य
10)	निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ)	विगत सात वर्षों में इस संबंध में कोई अप्रदत्त लाभांश नहीं है।
11)	व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन; अगर कोई	शून्य
12)	वर्ष के दौरान कंपनियों के नाम जिनको अपनी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या संबंद्ध कंपनी होने से रोका गया है; या हुई हो	शून्य
13)	जमा राशि का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आता है	शून्य
14)	जमा राशि का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V की आवश्यकताओं कें अनुपालन में नहीं है	शून्य
15)	विनियामक या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश का विवरण जो भविष्य में कंपनी के प्रचालन और चिंता की स्थिति को प्रभावित करते हैं।	शून्य

स्वीकृति

आपके निदेशकों ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष कर भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारतीय रेलवे, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, रेल विकास निगम लि. इरकान तथा पश्चिम बंगाल सरकार, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, तथा अन्य बैंकों को उनके निरंतर समर्थन, सहयोग व मूल्यवान सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता और ईमानदारी से धन्यवाद ज्ञापित करने की इच्छा व्यक्त की है।

आपके निदेशक आपकी कंपनी के प्रर्दशन को बेहतर बनाने में सभी कर्मचारियों के सहयोग और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं। उनका लगातार समर्थन प्राप्त होता रहा है तथा आपकी कंपनी की चल रही सफलता और राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिज निर्माण उद्योग में इसके प्रमुख स्थान को बनाए रखने में निरंतर तत्पर रहेगा।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(सुंदर बनर्जी)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06862063

दिनांक: 17 अक्तूबर, 2020
कोलकाता

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई केंद्रीय सार्वजनकि क्षेत्र के उद्यमों के निमित्त निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों केअनुसार है ।

<table>
<tr><td>निगमित अभिशासन के दिशानिर्देशों पर कंपनी का दर्शन</td><td colspan="3">कंपनी के दृष्टिकोण से निगमित अभिशासन का लक्ष्य शेयरधारकों के दीर्घकालीन शेयर मूल्य और कंपनी की संपत्ति पैदा करने की क्षमता को निम्नलिखित कार्यों के जरिए बढ़ाना :

● वरिष्ठ प्रबंधन को विवेकशील व्यवसायिक निर्णय एवं दूरदर्शी वित्तीय प्रबंधन ग्रहण करने में सहायता करना
● कंपनी के सभी निर्णयों और कार्यों में पारदर्शिता और पेशेवर गुणों को प्राप्त करना
● प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन
● निगमित अभिशासन में श्रेष्ठता निम्ल के जरिए प्राप्त करना :-
1. निगमित अभिशासन पर प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुरूप, जहां संभव है उत्कृष्ट बनाना
2. व्यवसाय संचालन को उच्च नैतिक मानक पर स्थापित करके कानून एवं नियमों का पालन करना
3. वर्तमान प्रणाली की आवधिक समीक्षा और नियंत्रण करते हुए उसका सुधार करना</td></tr>
<tr><td>निदेशक मंडल</td><td colspan="3">कंपनी के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों को भारत सरकार, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से नियुक्त किया जाता है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल का विवरण नीचे दिया गया है :</td></tr>
<tr><td>निदेशक मंडल का गठन</td><td colspan="3"><table>
<tr><th>निदेशकों के डीआईएन</th><th>नाम</th><th>श्रेणी</th></tr>
<tr><td>6862063</td><td>श्री सुंदर बनर्जी</td><td>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – कार्यात्मक निदेशक</td></tr>
<tr><td>2616837</td><td>श्री रितेद्र कुमार मित्रा</td><td>निदेशक (वित्त) – कार्यात्मक निदेशक</td></tr>
<tr><td>8043768</td><td>श्री सुनील कुमार सिंह, आईआरएसएस</td><td>निदेशक – भारी उद्योग विभाग (सरकारी नॉमिनी निदेशक)</td></tr>
<tr><td>08432581</td><td>श्री अर्नब चटर्जी (भाउवि के सरकारी आदेश की शर्तों के अनुसार 24.04.2019 से प्रभावी श्री अर्नब चटर्जी की नियुक्ति की गई थी ।)</td><td>निदेशक (तकनीकी) – कार्यात्मक निदेशक</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	07047271	श्रीमती बेला बनर्जी, आईआरएएस (रिटा.) (भाउवि के सरकारी आदेश की शर्तों के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 02.06.2019 तक बरकरार रहा)	अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)
	07578870	श्री तापस कुमार चटर्जी (भाउवि के सरकारी आदेश की शर्तों के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल 02.06.2019 तक बरकरार रहा)	अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)

31 मार्च, 2020 के बाद निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

1	श्री रितेद्र कुमार मित्रा (डीआईएन-2616837) भारी उद्योग विभाग (भाउवि) के आदेश संदर्भ सं.12(08)/2016-पीई-III, दिनांक 29.09.2017 की शर्तों के अनुसार 30.6.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने पर दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया।
2	श्री मुकेश कुमार (डीआईएन-08778135) भारी उद्योग विभाग (भाउवि) के आदेश संदर्भ सं.12(05)/2018-पीई-III, दिनांक 26.05.2020 की शर्तों के अनुसार 01.7.2020 से प्रभावी दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के तौर पर पदभार ग्रहण किया।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि श्रीमती बेला बनर्जी तथा श्री तापस चटर्जी के कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के तौर पर न रहने की वजह से कंपनी के निदेशक मंडल में दो अंश कालिक गैर सरकारी निदेशकों के रिक्त स्थान भरे जाने के लिए भारी उद्योग विभाग से सरकारी आदेश की प्रतीक्षा है।

आयोजित बैठकें (निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षा समिति)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकें	बैठक संख्या तथा बैठक की तारीख	निदेशकों / सदस्यों की उपस्थिति
	144 वीं बोर्ड बैठक - 28.06.2019 को	सभी उपस्थित
	145 वीं बोर्ड बैठक - 30.08.2019 को	सभी उपस्थित
	146 वीं बोर्ड बैठक - 30.09.2019 को	सभी उपस्थित
	147 वीं बोर्ड बैठक - 30.12.2019 को	सभी उपस्थित

	निदेशक मंडल की 148 वीं बैठक का आयोजन मार्च, 2020 तक करना था। फिर, लो.उ.वि. द्वारा जारी का.ज्ञा. सं. एफ सं. 3(2)/2016-एमजीएमटी, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल की दो लगातार बैठकों के मध्य अंतर को वर्तमान 120 दिनों के बदले 180 दिनों, दो तिमाहियों यानी 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया गया । तदनुसार विगत बोर्ड बैठक, 30.12.2019 को आयोजित 147 वीं बोर्ड बैठक से 180 दिनों की विस्तारित अवधि के अंदर 20.06.2020 को 148 वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई।	
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकें	52 वां बैठक - 30.08.2019 को	सभी उपस्थित
	53 वां बैठक - 30.09.2019 को	सभी उपस्थित
	54 वां बैठक - 30.12.2019 को	सभी उपस्थित
	भाउवि द्वारा जारी सरकारी आदेश की शर्तों के मुताबिक श्रीमती बेला बनर्जी एवं श्री तापस कुमार चटर्जी 02.06.2019 तक कंपनी के स्वतंत्र निदेशक बने रहें। स्वतंत्र निदेशकों की अवधि की समाप्ति पर, तीन समितियां यथा – लेखा परीक्षा समिति, सीएसआर समिति, पारिश्रमिक समिति को भाउवि द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने तक तदर्थ आधार पर 09 अगस्त, 2019 से प्रभावी इस उद्धेश्य पुनर्गठित की गयी कि मध्यवर्ती अवधि के दौरान यथापेक्षित निदेशक मंडल की स्वीकृति हेतु सिफारिश करने का अत्यावश्यक/ महत्वपूर्ण निर्णय ले सके । सरकारी नॉमिनी निदेशक इन सभी समितियों के अध्यक्ष होते हैं एवं अन्य दो सदस्य बीबीजे के निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) होते हैं। उपर्युक्त कारणों से 01 अप्रैल, 2019 से 09 अगस्त, 2019 तक की अवधि के दौरान किसी भी समिति की बैठक आयोजित नहीं हुई है। लो.उ.वि. के का.ज्ञा. सं. एफ सं. 3(2)/2016-एमजीएमटी, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 द्वारा जारी छूट की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल की दो लगातार बैठकों के मध्य अंतर को वर्तमान 120 दिनों के बदले 180 दिनों तक विस्तारित कर दी है यानी दो तिमाहयों, 30 सितंबर, 2020 तक। तदनुसार विगत बोर्ड बैठक, के 180 दिनों की विस्तारित अवधि के बाद 147 वीं बोर्ड बैठक जो 30.12.2019 को आयोजित की गयी थी, उसके बाद 148 वीं बोर्ड बैठक 20.6.2020 को आयोजित की गयी । तदनुसार, 55वां लेखा परीक्षा समिति की बैठक 20.6.2020 को आयोजित की गयी, यानी 180 दिनों के विस्तारित अवधि के अंदर।	

लेखा परीक्षा समिति

भूमिका और विचारार्थ विषय :

- सार्वजनिक उद्यमों पर निगमित अभिशासन के दिशा-निर्देशों के पैरा 4.2 के एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-177 के अधीन उल्लिखित विशिष्ट मामलें देखना।
- प्रबंधन, सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा निदेशक मंडल के मध्य संपर्क के रूप में कार्य करना।
- वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली एवं जोखिम संबंधित मामलों का आकलन करना।

गठन, बोर्ड बैठकें एवं उपस्थिति

निदेशकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड बैठकों की उपस्थिति	
श्री सुंदर बनर्जी	04 बैठकें आयोजित	04 में उपस्थित
श्री रितेंद्र कुमार मित्रा	04 बैठकें आयोजित	04 में उपस्थित
श्री सुनील कुमार सिंह	04 बैठकें आयोजित	04 में उपस्थित
श्री अर्नब चटर्जी	04 बैठकें आयोजित	04 में उपस्थित
श्रीमती बेला बनर्जी, आईआरएएस	04 बैठकें आयोजित	0 में उपस्थित
श्री तापस कुमार चटर्जी	04 बैठकें आयोजित	0 में उपस्थित

गठन, लेखा परीक्षा समिति की बैठकें एवं उपस्थिति

निदेशकों के नाम	वित्तीय वर्ष 2019 – 20 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की उपस्थिति	
श्री सुंदर बनर्जी	सदस्य नहीं	लागू नहीं
श्री सुनील कुमार सिंह	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित
श्री रितेंद्र कुमार मित्रा	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित
श्री अर्नब चटर्जी	03 बैठकें आयोजित	03 में उपस्थित
श्रीमती बेला बनर्जी, आईआरएएस	0 बैठकें आयोजित	0 में उपस्थित
श्री तापस कुमार चटर्जी	0 बैठकें आयोजित	0 में उपस्थित

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में सभी सिफारिशें, जो अनिवार्य थे, उन्हें निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कर ली गयी थी।

कार्यकाल पूरा हो जाने पर स्वतंत्र निदेशकों के न रहने पर भाउवि से स्वतंत्र निदेशकों का नया नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, वि.व. 2019-20 के दौरान स्वंतत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में लेखा परीक्षा की बैठकों की अध्यक्षता सरकारी नॉमिनी निदेशक द्वारा की गयी।

स्वतंत्र निदेशकगण

सरकारी आदेशों से स्वतंत्र निदेशकों, जिन्हें संबंधित क्षेत्र/ पेशे में विशेषशज्ञता प्राप्त है, की नियुक्ति की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों का प्रोमोटरों से न संपर्क है और न ही संबंध है और कंपनी से किसी आर्थिक संबंध भी नहीं है तथा आगे कंपनी की कुल मत देने की क्षमता से दो प्रतिशत या अधिक धारित नहीं करती है।

स्वतंत्र निदेशक से इस आशय की घोषणा हासिल की जाती है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन यथापेक्षित स्वतंत्र निदेशक की विशिष्टता पूर्ण करते हैं, जिसे संबंधित अवधि

<table>
<tr><td>स्वतंत्र निदेशकगण</td><td>यानी 02.06.2019 तक वे कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर बने रहे हैं, के लिए प्राप्त कर लिया गया है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए शुल्क की राशि निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाता है एवं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहित सीमा के अंदर है।</td></tr>
<tr><td>आचार संहिता</td><td>निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता का प्रारूप यथावर्णित, क्रियान्वित कर दी गयी है।

केंद्रीय लोक उपक्रमों 2010 के लिए निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी की गई दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 की शर्तों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्र. नि. द्वारा इस आशय की घोषणा कि निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक आधार पर कोड के अनुपालन की पुष्टि की है जिसे निदेशकों के प्रतिवेदन के अधीन दी गई है।</td></tr>
<tr><td>साधारण निकाय की बैठक

पिछले तीन वर्षों की वार्षिक साधारण बैठकों (वा.सा.वै.) की विवरणी</td><td>
<table>
<tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>बैठक संख्या एवं तारीख</th><th>समय एवं स्थान</th><th>विशेष संकल्प</th></tr>
<tr><td>2016-2017</td><td>31वीं वा.सा.वै.
15 दिसंबर, 2017</td><td>12:.30 बजे, एच एच आई,
234/1, एजेसी बोस रोड,
कोलकाता-700020</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2017-2018</td><td>32वीं वा.सा.वै.
25 सितंबर, 2018</td><td>15:.00 बजे, एच एच आई,
234/1, एजे सी बोस रोड,
कोलकाता-700020</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>2018-2019</td><td>33वीं वा.सा.वै.
30 सितंबर, 2019</td><td>15:00 बजे, एच एच आई,
234/1, एजेसी बोस रोड,
कोलकाता-700020</td><td>शून्य</td></tr>
</table>

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार से 30 सितम्बर, 2017 के बाद संबंधित वर्षों के लिए 31वीं वा.सा.वै.के आयोजन हेतु एक्सटेंशन के लिए उचित रूप से अनुमोदन लिया गया। 32वीं और 33 वीं वा.सा.वै. सितम्बर माह में , यानी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहीत समय के अंदर आयोजित हुयी थी।</td></tr>
<tr><td>वार्षिक साधारण बैठक – 2020</td><td>कंपनी के सदस्यों की 34 वीं वार्षिक साधारण बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित अवधि में आयोजन करना है। केन्द्र और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लॉकडाउन आदेश जारी करने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक लेखा को अंतिम वप देने में विलंब हुआ। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक लेखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी के साथ है।

कंपनी रजिस्ट्रार, कोलकाता के पास निहित शक्ति के अनुसार 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वा. सा. वै. नियत तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए सामान्य विस्तार मंजूर किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96(1) के अनुरुप होना चाहिए था। अतएवं, वा. सा. वै. अब 30.09.2020 के अंदर आयोजित हो सकती है, जिसके लिए आरओसी के पास वा. सा. वै. के आयोजन को बढ़ाने के लिए आवेदन करने की आवश्यक्ता नहीं है।</td></tr>
</table>

अन्य प्रकटीकरण	निदेशकों या उनके सगे संबंधियों के साथ लेन-देन जिसमें कंपनी के स्वार्थ में विवाद की संभावना है।	शून्य
	संबद्ध पार्टी से लेन-देन करना।	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखा के साथ संलग्न द्रष्टव्य में बतायी गयी है।
	कंपनी की तरफ से अनुपालन न करना या इसके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों	शून्य
	व्हिसिल ब्लोअर नीति एवं पुष्टि की किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने में बाधा नहीं दी गयी है।	यह पुष्टि की जाती है कि किसी को भी लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से रोका नहीं गया है।
	इन दिशानिर्देशों के अनुपालन करने की आवश्यकताओं के विवरण	भाउवि द्वारा सरकारी आदेश से श्रीमती बेला बनर्जी, आईआरएस (सेवानि.), पूर्व सदस्य (तक.) , रेलवे क्लेम ट्राईब्यूनल एवं श्री तापस चटर्जी, अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, कलकता को 03.06.2016 से 02.06.2019 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति की गयी थी। तीन वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर श्रीमती बेला बनर्जी एवं श्री तापस चटर्जी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहें। इस समय 02.06.2019 के बाद स्वतंत्र निदेशकों का स्थान रिक्त है । भाउवि से नये स्व.नि. की नियुक्ति आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।
	इस साल और पिछले तीन सालों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की गयी राष्ट्रपति के निदेशों का विवरण और उसका अनुपालन।	अनुपालन के लिए कोई निर्देश लंबित नहीं है।
	लेखों में दिखाई गई खर्चे की मदें जो व्यवसाय के लिए नहीं थे।	शून्य
	निदेशक मंडल और शीर्षस्थ प्रबंधन के व्यक्तिगत खर्च के लिए किया गया व्यय।	शून्य

संप्रेषण के साधन	● अनलिस्टेट सरकारी कंपनी होने से त्रैमासिक नतीजा किसी भी अखबार में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है। ● कंपनी की वेबसाइट पर वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम दिखाये गये हैं। पत्राचार का पता – **दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड,** 27, राजेन्द्र नाथ मुखर्जी रोड, कोलकाता-700 001 वेबसाइट : www.bbjconst.com ई-मेल : info@bbjconst.com दूरभाष : 91 33 2248 5841-44 (ईपीबीएक्स) 91 33 2210 3961 (फैक्स)
लेखा परीक्षा के क्वालिफिकेशन्स	कंपनी का प्रयास है कि अनक्वालिफाईड वित्तीय विवरणों की दिशा में कंपनी कदम उठाये। कोई क्वालिफाईड होने पर उसके समर्थन में पर्याप्त व्याख्या दी गयी है, अन्यथा प्रबंधन के उत्तर के जरिये क्वालिफिकेशन को समर्थन दिया गया है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखे पर लेखा परीक्षा के अनुसार क्वालिफिकेशन संलग्न है।
प्रशिक्षण	बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण के लिए नीति अनुमोदित की गयी है और कंपनी द्वारा इसका अनुसरण किया जाता है।
निगमित अभिशासन लेखा परीक्षा	निगमित अभिशासन पर सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है तथा निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

कॉरपोरेट गवर्नेंश पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में
सदस्यगण,
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
27, आर.एन. मुखर्जी रोड,
कोलकाता-700001

हमने भारत सरकार, भारी एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग एवं उसके अनुलग्नकों (यहां तत्पश्चात "मार्गनिर्देशों" के रूप में संदर्भित) द्वारा जारी किए गए केंद्रीय लोक उद्यमों (सीपीएसई) 2010 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंश पर दिशानिर्देशों के खंड 8.2.1 में बताये अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी " के रूप में संदर्भित) द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन की शर्तों की जांच की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, कंपनी द्वारा स्वीकृत किए गए दिशा-निर्देशों में बताएं कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित करने के तरीके की पुनरीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह ना तो लेखा परीक्षा है और ना ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर विचार की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में एवं हमारी जानकारी एवं हमें दी गई स्पष्टीकरणों के मुताबिक, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने विहित दिशानिर्देशों का वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेंस शर्तों का अनुपालन की है।

हमें आगे यह कहना है कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भविष्य की जीवनक्षम के बारे में न कोई आश्वासन है, न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन द्वारा संचालित कार्यक्षमता या प्रभावोत्पादकता है।

कृते एआरएसके एसोसिएट
सनदी लेखाकार
पंजीकरण संख्या 315082ई

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 09.09.2020

एस के माहेश्वरी
भागीदार
(सदस्य संख्या 054049)

निदेशकों की रिपोर्ट का संलग्नक

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल होने वाले सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

क्रम सं.	ब्यौरे	अभ्युक्तियां
1	कंपनी की सीएसआर नीति की एक रूपरेखा जिसमें शामिल किये जाने वाले प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजना या कार्यक्रम के लिए वेबलिंक का संदर्भ शामिल है।	कंपनी की दृष्टि के अनुरूप, बीबीजे ने अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों को संबोधित करने हुए सितंबर, 2012 को आयोजित बोर्ड मीटिंग में सीएसआर नीति का अनुमोदन किया जिसमें निम्नलिखित शामिल थे : • सीएसआर परियोजना की योजना • बेस लाइन सर्वेक्षण • क्रियान्वयन प्रक्रिया • कार्यपालक अभिकरण हेतु निधियन, प्रबोधन और योग्यता मानदण्ड, • स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता व जन स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में. डीएचआई, 2013 के दिशानिर्देश तथा उसके बाद कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 का कड़ाई से पालन किया जाता है।
2	सीएसआर समिति का गठन	श्री सुनील कुमार सिंह, सरकार नामित निदेशक-अध्यक्ष श्री रीतेन्द्र कुमार मित्रा, निदेशक (वित्त) – सदस्य श्री अर्नब चटर्जी, निदेशक (तकनीकी)- सदस्य
3	विगत तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	*नीचे बिन्दु 4 के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।
4	वि.व. 2019-20 के लिए सीएसआर निधि	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के क्षेत्र के अंदर कंपनी नहीं आती है, क्योंकि कंपनी का शुद्ध लाभ तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष यानी 2018- 19 में 5.00 करोड़ रु. से नीचे था।
5	सीएसआर निधि वि.व. 2018-19 से अग्रेनीत सीएसआर निधि	रु. 42.28 लाख
6	वित्त वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण: i वित्तीय वर्ष हेतु व्यय की गयी कुल राशि; ii अव्ययित राशि, अगर कोई iii वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि पद्धति जिसका विवरण नीचे 'सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट' अनुबंध में विस्तृत रूप से दिया गया है।	I रु.42.28 लाख ii. रु.28.87 लाख iii. रु.13.41 लाख

* वि.व. 2019-20 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट नीचे संलग्न किया जाता है।

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्ष या उसके कोई हिस्से के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो अपने बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च न किये जाने का कारण।

उत्तर : लागू नहीं। कंपनी वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अग्रेनीत पूरी राशि उपयोग कर ली है और चूंकि कंपनी का वि.व. 2018-19 में शुद्ध लाभ 5.00 करोड़ रु. से कम है, अत: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के क्षेत्र के अंदर कंपनी नहीं आती है।

7.यह एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और प्रबोधन कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों तथा नीति के अनुपालन में है:

सुन्दर बनर्जी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	श्री सुनील कुमार सिंह, सरकारी नामिनी निदेशक (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट हेतु अनुलग्नक

क्रं सं	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे	राशि (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए खर्च नहीं की गई राशि समेत संचयी राशि)	परियोजना या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप-शीर्ष: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ऊपरी:	प्रतिवेदनाधीन अवधि तक संचयी व्यय (प्रशासनिक व्यय समेत)	व्ययित राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	स्कूलों को प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति i)रताकांडी एमवी स्कूल ii)407 वियाला लोअर प्राइमरी स्कूल iii)नताई राम एलपी स्कूल	शिक्षा	हैलाकांडी जिला, असम	i) रु.1.86 लाख ii)रु. 2.17 लाख iii)रु. 1.34 लाख	i)रु. 1.86 लाख ii)रु. 2.17 लाख iii)रु.1.34 लाख	रु. 5.37 लाख	एनजीओ लाइफ फाउंडेशन, होजई, असम
2.	स्वास्थ्य शिविर	स्वास्थ्य	हैलाकांडी जिला, असम	रु. 3.98 लाख	रु.3.98 लाख	रु. 3.98 लाख	एनजीओ लाइफ फाउंडेशन, होजई, असम
3.	सीएसआर प्रशिक्षण	कौशल विकास	हैलाकांडी जिला, असम	रु. 3.00 लाख	रु. 3.00 लाख*	रु. 3.00 लाख	एनजीओ लाइफ फाउंडेशन, होजई, असम
4.	प्रशासनिक व्यय			रु. 1.06 लाख		रु.1.06 लाख	
5.	बगैर खर्च की राशि			28.87 लाख ##			
	कुल			रु. 42.28 लाख	रु. 13.41 लाख	रु. 13.41 लाख	

वित्त वर्ष 2019-20 के बाद सीएसआर खर्च के लिए 28.87 लाख रुपये की शेष राशि को अग्रेनीत किया जाना है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

सेवा में

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के सदस्यगण

एकल भारतीय लेखांकन मानकों वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए अवलोकनों के आधार पर, यह संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अवलोकनों के अनुपालन हेतु 30 अगस्त, 2020 की पूर्ववर्ती रिपोर्ट के बदले में तैयार की गई है।

योग्य राय :

हमने **दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** ("कंपनी") के संलग्न एकल भारतीय लेखांकन मानकों वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है तथा जिसमें 31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य विस्तृत आय समेत), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु महत्वपूर्ण लेखा नीतियॉं व अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल हैं।

हमारी राय तथा हमारी बेहतर जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त एकल भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, ("अधिनियम") द्वारा जिस रूप में अपेक्षित हो, अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप मार्च 31, 2020 को स्थित कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इसका लाभ एवं नकद प्रवाह का सच्चा व निष्पक्ष विचार प्रदान करता है।

योग्य राय हेतु आधार :

1. कंपनी की एक सहायक कंपनी भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीपीएमईएल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा किये गये 486.30 लाख रु.(विगत वर्ष 486.30 लाख रु.) के निवेश के बारे में टिप्पणी संख्या 4 और 5932.96 लाख रु.(विगत वर्ष 5932.96 लाख रु.) ऋण के बारे में टिप्पणी संख्या 6 एवं उस पर प्राप्य / उपचित ब्याज की राशि है। यद्यपि बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है लेकिन प्रबंधन के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसे निवेश ऋण और कथित ब्याज पर प्राप्य / उपचित ब्याज को लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी तथा ऋणों और यथा पूर्व कथित प्राप्य / उपचित ब्याज हेतु हानि भत्ता हेतु कोई मूल्यांकन एवं तत्पश्चात प्रावधान 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

2. जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड ('जेसीएल') में प्रतिवेदन तिथि को कंपनी द्वारा किए गए 25558.01 लाख रु. (विगत वर्ष 25558.01 लाख रु.) के निवेश के संबंध में टिप्पणी संख्या 4 है। यद्यपि जेसीएल परिसमापन के अधीन है लेकिन प्रबंधन के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित है एवं ऐसे निवेश को लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी हेतु कोई प्रावधान 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

3. कंपनी का एक संयुक्त उद्यम, भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ('बीबीसीसीएल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा किये गये 0.30 लाख रु. (विगत वर्ष 0.30 लाख रु.) के निवेश के संबंध में टिप्पणी सं. 4 है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसे निवेश को लागत पर लिया गया है तथा निवेशों के मूल्य में कमी के लिए कोई प्रावधान 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

4. कंपनी की सहायक कंपनी की एक सहायिका, वेबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यू आई एल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा किए गए 656.03 लाख रु. (विगत वर्ष 656.03 लाख रु.) एवं उस पर प्राप्य / उपचित ब्याज 350.26 लाख रु. (विगत वर्ष 350.26 लाख रु.) के संबंध में टिप्पणी संख्या 6 है। यद्यपि बीपीएमईएल परिसमापन के अधीन है, कंपनी के प्रबंधन द्वारा आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसे निवेश को लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी तथा उपचित ब्याज हेतु कोई हानि भत्ता 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

5. कंपनी की पूर्ववती सहायक कंपनी, भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ('बीडब्ल्यूईएल') में प्रतिवेदन की तिथि को कंपनी द्वारा 207.25 लाख रु. (विगत वर्ष 207.25 लाख रु.) के ऋण के संबंध में टिप्पणी संख्या 6 है। कंपनी के प्रबंधन के आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित ऐसा ऋण लागत पर लिया गया है। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी तथा उपचित ब्याज हेतु कोई हानि भत्ता 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

   अगर उपर्युक्त अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 एवं 5 में संदर्भित 1 अप्रैल 2016 को (भारतीय लेखा पद्धति) अथशेष को यथा विद्यमान कमी और हानि भत्ते को एकल वित्तीय विवरणों में विचार किया जाता तो 1 अप्रैल 2016 को अन्य इक्विटी का खुलना 13,229 लाख रु. के प्रतिवेदित आंकड़े के प्रति 30,617 लाख रु. नकारात्मक आंकड़ा होता और प्रतिवेदन की तारीख को अन्य इक्विटी 9681.52 लाख के प्रतिवेदित आंकड़े विरूद्ध 53,529.01 लाख रु. नकारात्मक आंकड़ा होता और निवेश व अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां क्रम से 3154.61 लाख रु. एवं 45437.63 लाख रु. प्रतिवेदित आंकड़े के विरूद्ध 110 लाख रु. एवं 4634.84 लाख रु. होते।

6. 69.41 लाख रु. की आनुतोषिक राशि के प्रावधान के बारे में टिप्पणी संख्या 33 भारतीय लेखांकन मानक 19 के अधीन यथापेक्षित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं है। बीमांकिक रिपोर्टों के न रहने से, हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव की मात्रा बताने में असमर्थ हैं।

7. प्रचलित कानूनों के अधीन बिना अनुपालन के भारत सरकार को जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (जेसप) के 6,81,34,428 इक्विटी शेयर विक्रय से प्राप्त 1818 लाख रु. की बिक्री आय के स्थानांतरण के संबंध में टिप्पणी संख्या 42 है। हम नतीजतन समयोजन पर मंतव्य करने में सक्षम नहीं हैं, जिसकी आवश्यकता उपर्युक्त मामले के संबंध में वित्तीय विवरण में अपेक्षित है।

8. टिप्पणी संख्या 48, कंपनी उनकी गैर-वसूली योग्यता को ध्यान में रखते हुए भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीपीएमईएल') एवं वेबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यूआईएल') द्वितीय स्तरीय सहायक कंपनी ('सहायिकाएं') को प्रदत्त 6,588.99 लाख रुपये के ऋण पर उपचित ब्याज का लेखांकन नहीं की है क्योंकि उपर्युक्त सहायक कंपनियां परिसमापन के अधीन हैं एवं कंपनी की पूर्व सहायक कंपनी,भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का ऋण 207.25 लाख रुपये है।

   आगे, कंपनी ने भारत सरकार से लिये गये 6588 .99 लाख रुपये ऋण पर भुगतेय ब्याज नहीं दिया है जिसका उपयोग कंपनी की उपर्युक्त कंपनियों को ऋण मंजूर करने के लिए किया गया है। यदि ऐसे ऋणों पर देय ब्याज चालू वित्तीय वर्ष के लिए वित्त लागत हेतु दिया जाता तो 2160.61 लाख रुपये (विगत वर्ष 2158.30 लाख रुपये) अधिक होते और भारत सरकार को देय राशि, कुल ब्याज लेकर 50290.73 लाख रुपये अधिक होती, जिसे प्रतिवेदन की तिथि तक नहीं दी गयी है। तदनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के लिए लाभ 2160.61 लाख रुपये कम होते (विगत वर्ष 2158.30 लाख रुपये) एवं उस पर ब्याज लेकर भारत सरकार को देय राशि 50290.73 रुपये अधिक होती।

9. आयकर विभाग के अधिकारिक पोर्टल पर दिये 19.33 लाख रुपये की निर्विरोध आयकर मांग के बारे में टिप्पणी संख्या 49, जिसके खंडन के लिए कंपनी उपयुक्त दस्तावेज या सबूत पेश नहीं कर पाई है। कथित देयता सत्यापित नहीं है और इसे लेखांकन कन्वेंशन के मुताबिक दिया जाना चाहिए था। अगर उक्त देयता दिया जाता तो वर्ष के लिए लाभ 19.33 लाख रुपये कम होती एवं आयकर के लिए देयता उस राशि के समान अधिक होती।

10. मालसूचियां के बारे में टिप्पणी संख्या 50 में कच्चे माल के अधीन 62.47 लाख रु. की पुराने और अनुपयोगी स्टॉक, भंडार पुर्जों एवं संघटकों के अधीन 2.78 लाख रु., जो 7 वर्षों से अधिक समय से पडे हुए हैं और खुले औजारों के अधीन 8.18 लाख रु. जो 9 वर्षों से अधिक समय से पडे हुए हैं, जिसके लिए बही खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वित्तीय विवरण पर जिसका प्रभाव निश्चेय योग्य एवं परिमाणात्मक नहीं हैं।

11. 55.38 लाख रु. की उगाही योग्य कुल व्यय के बारे में टिप्पणी संख्या 51, जो 01/04/2011 के पहले से बकाया है और मिलान के अध्ययीन हैं। हम उपरोक्त राशि की उगाही पर मंतव्य देने में असमर्थ हैं एवं जिसके लिए खाते में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

12. सहायक कंपनियों से प्राप्य राशि समेत विभिन्न पार्टियों की ओर से प्राप्य वित्तीय विवरण राशि की टिप्पणी संख्या 52 में यथा प्रकटीकृत पुष्टिकरण और मिलान के अध्ययीन हैं। कंपनी द्वारा इन शेष के बारे में थर्ड पार्टी पुष्टिकरण हासिल नहीं की गयी है। इस प्रकार की पुष्टिकरण तथा मिलान के लंबित रहने से, वित्तीय विवरण पर उसका प्रभाव निश्चय योग्य एवं परिमाणात्मक नहीं हैं।

13. 0.30 लाख रु. (विगत वर्ष 0.30 लाख रु.) की राशि भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 300 इक्विटी शेयर में निवेश हेतु शेयर प्रमाण-पत्र एवं 0.16 लाख रु. (विगत वर्ष 0.16 लाख रु.) की राशि ईस्ट इंडिया क्लिनिक लिमिटेड में 5% गैर रिडीम योग्य पंजीकृत डिवेंचर में निवेश हेतु प्रासंगिक दस्तावेज हमें भौतिक सत्यापन हेतु प्राप्त नहीं हुए थे। इस प्रकार, हम इसके भौतिक अस्तित्व पर मंतव्य करने में सक्षम नहीं हैं।

14. कतिपय नकद शेष एवं बैंक शेष के बारे में टिप्पणी 53 जो संबंधित बैंकों की पुष्टि के अध्ययीन है। अगर वित्तीय विवरणों में इन शेष राशि के बारे में हानि के लिए प्रावधान किया जाता तो वर्ष के लिए 1.65 लाख रु. लाभ कम होता एवं नकद शेष 0.70 लाख रु. कम हुई होती तथा बैंकों में शेष 0.95 लाख रु. कम हुई होती।

लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्धारित लेखांकन पर मानकों (ले.मा.) के अनुरूप एकल भारतीय लेखा प्रणाली वित्तीय विवरण की हमने अपनी लेखा परीक्षा संचालित की है। उन मानकों के अधीन हमारा उत्तरदायित्व हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए आगे लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व में बताया गया है। हम दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुरूप कंपनी से स्वंतत्र हैं,उसके साथ नैतिक आवश्यकताओं, जो अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अधीन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं एवं हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य लेखा परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त व समुचित है।

विषय का महत्व :

हम कंपनी की प्रचालन और परिसंपत्तियों पर कोविद-19 के प्रभाव का प्रबंधन के मूल्यांकन के बारे में एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण की टिप्पणी 54 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस मामले में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य सूचनाएँ

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचनाओं में वार्षिक प्रतिवेदन में दिये गये सूचनाएँ शामिल हैं परन्तु एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तथा उसपर हमारे लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन शामिल नहीं हैं।

हमारी राय एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण पर अन्य सूचनाएँ को लेकर नहीं हैं एवं हम उस पर किसी किस्म के आश्वासन के निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

हमारे एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षा के बारे में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं के पठन से है एवं ऐसा करते हुए हम विचार करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण के बारे में ऐसी अन्य जानकारी वस्तुपरक रूप से असंगत हैं या हमें लेखा परीक्षा के समय में ऐसी जानकारी में प्राप्त हुई है या अन्यथा ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुपरक गलत बयानी दी गयी है। यदि हम अपने किये कार्य पर आधारित इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य जानकारी में वस्तुपरक गलत बयानी की गयी है, जिसे हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करनी थी। हमें इस बारे में कुछ प्रतिवेदन नहीं देना है।

एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

इन एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों हेतु कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेवार हैं जो अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्धारित लेखांकन मानकों समेत भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कंपनी की एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-प्रदर्शन, इक्विटी परिवर्तन तथा नकद प्रवाह का सच्चा व स्वच्छ विचार प्रदान करता है। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु एवं धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेख अनुरक्षित करना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन व लागू करना; निर्णयों तथा अनुमानों को तैयार करना जो युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण; जो लेखा अभिलेखों की शुद्धता व पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालनरत थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के अनुरूप धोखाधड़ी या त्रुटि से होनेवाली वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त एवं सत्य व उचित दृष्टि प्रदान करता हो, भी शामिल है।

प्रबंधन एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए चालू कारबार के तौर पर जारी रखने, खुलासा करने, यथा प्रयोज्य, चालू कारबार से संबंधित मामले एवं लेखांकन की चालू कारबार के आधार पर उपयोग करने, जब तक प्रबंधन कंपनी को बंद करने या प्रचालन समाप्त करने का इरादा रखती हो, या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न रहने पर कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया की देखरेख हेतु भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्धेश्य एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के बारे में यह उचित आश्वासन हासिल करना है कि ये पूर्ण रूप से वस्तुपरक गलतबयानी से मुक्त हो, चाहे व धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऐसा लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं देता है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप संचालित लेखा परीक्षा हमेशा वस्तुपरक गलतबयानी, जहां मौजूद होने पर, का पता लगाये। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण पैदा हो सकती है और भौतिक समझा जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समष्टि रूप से, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए उचित रूप से उम्मीद कर सके।

हम मानक लेखा के अनुसार लेखा परीक्षा के एक अंश के रूप में पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा समूचे लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। :

- हम एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के जोखिमों की पहचान एवं मूल्यांकन भी करते हैं चाहे धोखाधड़ी, या त्रुटि, अभिकल्पना के कारण हो एवं उन जोखिमों के उत्तरकारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया निष्पादन करते हैं, और लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करते हैं, जो हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करता है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली वस्तुपरक गलतबयानी का पता नहीं लगाने की जोखिम धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना के तौर पर त्रुटि से होने वाली धोखाधड़ी से अधिक है।
- हम लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को परिस्थितियों के उपयुक्त बनाने के लिए लेखा परीक्षा के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की समझ भी हासिल करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है एवं इन नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावोत्पादकता पर अपनी हम राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।
- हम उपयोग में आने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमान के औचित्य तथा प्रबंधन द्वरा किए गए संबंधित खुलासों का भी मूल्यांकन करते हैं।
- हम लेखांकन के चालू कारबार के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर भी निष्कर्ष निकालते हैं, और हासिल किये गये लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या उन घटनाओं या स्थितियों से संबंधित वस्तुपरक अनिश्चितता विद्यमान हैं जो कंपनी की चालू कारबार की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह कर सकते हैं। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वस्तुपरक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासे के लिए अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, अपना विचार संशोधन हेतु। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू कारबार के रूप में जारी रखना बंद करना पड़ सकता है।
- हम संपूर्ण प्रस्तुति, संरचना और एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की सामग्री का मूल्यांकन करते हैं , जिसमें खुलासे भी शामिल हैं, और चाहे एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो स्वच्छ प्रदर्शन करता हैं।

हम अन्य मामलों में, अभिशासन पर आरोप लगाने वाले से संप्रेषण करते हैं, लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा उपलब्धियों, जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसे हम अपने लेखा परीक्षा के दौरान पहचान करते हैं।

हम उन लोगों को भी अभिशासन के साथ एक बयान देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनसे सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संप्रेषण करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता वहन करने हेतु उचित रूप से सोची जा सके, और संबंधित सुरक्षा उपाय के साथ, जहां लागू हो।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन --

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनियों (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) का आदेश ('आदेश') द्वारा अपेक्षित, हम "अनुलग्नक-क" में आदेश के 3 और 4 अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण, जहां तक प्रयोज्य है, प्रदान करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में हम अपनी रिपोर्ट, कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर जैसा कि उपयुक्त विचार किया तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों, उप निर्देशों पर "अनुलग्नक-ख" में संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हम प्रतिवेदन करते हैं कि :
   क) हमने जांच की और सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारे बेहतर ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे ;
   ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित लेखे की उचित बही कंपनी द्वारा रखी गयी है जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है ;

ग) तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, नकद प्रवाह का विवरण एवं इस प्रतिवेदन द्वारा निपटायी गयी इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं ;

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्धारित, कंपनी नियम, 2015 (भारतीय लेखांकन मानकों) के साथ पठित यथासंशोधित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं ;

ड) निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यादनों के आधार पर यह रिकार्ड किया गया कि अधिनियम की धारा 164 (2) की शर्तों के मुताबिक निदेशकों में से कोई भी 31 मार्च, 2020 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

च) कंपनी की वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं इन नियंत्रणों की प्रचालगगत प्रभावशीलता के बारे में, हमारे पृथक प्रतिवेदन अनुलग्नक – ग का संदर्भ लें।

छ) कंपनियों (लेखा परीक्षा व लेखा परीक्षक) के नियमों, 2014 यथा संशोधित, के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय तथा हमारी बेहतर सूचना में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :--

i. कंपनी ने अपनी एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है – एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 29 और टिप्पणी 40 का संदर्भ लें।

ii. कंपनी ने दीर्घकालिक निर्माण ठेकों में प्रवेश किया है। कंपनी ने दीर्घकालिक ठेकों के अनिष्पादित हिस्से पर वित्तीय वर्ष के अतं में शून्य लाख रु.(विगत वर्ष 90.66 लाख रु.) की अनुमान्य हानि हेतु जिम्मेदार है। कंपनी ने किसी व्युत्पन्न ठेके में प्रवेश नहीं किया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए कोई ऐसी अपेक्षित राशि नहीं है।

कृते एआरएसके एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 315082 ई

एस.के. माहेश्वरी
भागीदार
सदस्य सं. 054049

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 09.09.2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक - "क"

अनुलग्नक - "क" 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर **दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के सदस्यों के दिए हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन के संदर्भ में है।

इस तरह की जॉच जिसे हम उचित मानते हैं के आधार पर एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रतिवेदन देते हैं कि---

1. (क) कंपनी स्थायी परिसंपत्तियों का परिमाणात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरा प्रदर्शित करते हुए यथोचित अभिलेख रखी है।

   (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल से किया गया है एवं कहा जा सकता है कि इस जाँच में कोई विसंगति नहीं देखी गई है।

   (ग) भवन में कोलकाता पत्तन न्यास से लाइसेंस करारनामे के तहत सर्कुलर गार्डेन रीच रोड, कोलकाता में जमीन पर स्थायी संरचना 131.46 लाख रु. विगत वर्ष (131.46 लाख रु. राशि) शामिल है। कंपनी नियमित रूप से पट्टे का किराया दे रही है परंतु हमें बैनामा / करारनामे की प्रतियॉ नहीं प्रस्तुत की गयी है।

2. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन ने उचित अंतराल पर मालसूची का भौतिक सत्यापन कराया है और सत्यापन से कोई भौतिक फर्क नहीं पाया गया है।

3. हमें दी गई सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अपनी सहायक कंपनी एवं वर्तमान में समापन के अधीन द्वि-स्तरीय सहायक कंपनी को अप्रतिभूत ऋण मंजूर नहीं की है। इसलिए हम, उक्त आदेश की धारा-3(iii)[(क), (ख) और (ग)] के प्रावधानों पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

4. कंपनी ने सहायक कंपनी को दिए अग्रिम ऋणों एवं सहायक कंपनी एवं संयुक्त उपक्रम कंपनियों में किए निवेश के बारे में अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन की है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अधीन आने वाली किसी पार्टी को कोई गारंटी या जमापत्र नहीं दी है।

5. कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए नियमों के अधीन किसी अन्य अनुरूप प्रावधानों के अर्थ से कोई सार्वजनिक जमा स्वीकृत नहीं की है।

6. केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के अधीन कंपनी द्वारा दी गई किसी सेवाओं के लिए लागत अभिलेख रखने को नहीं कहा है।

7. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा बहियों एवं अभिलेखों की जांच के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कुछ मामलों में विलंब को छोड़कर भविष्य-निधि, कर्मचारी राज्य-बीमा, आय-कर, विक्रय-कर, संपत्ति-कर, सेवा-शुल्क, उत्पादन-शुल्क, मूल्य वर्द्धित कर, माल एवं सेवा-कर, उपकर से संबंधित बकायों एवं इस पर प्रयोज्य अन्य अविवादित सांविधिक बकायों को यथोचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती रही है।

   हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2020 को स्थित देय तारीख से छह माह से अधिक तक बकाये वाले निम्नलिखित को छोड़कर आय-कर, सेवा-कर, माल एवं सेवा- कर, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक बकाये के बारे में कोई अविवादित देय राशि बकाया नहीं थी।

क्रम सं.	बकाये की प्रकृति	राशि (लाख रु. में)	संबंधित अवधि
1	कर्मचारी भविष्य निधि	17 24	पुराना बकाया
2	पेशाकर	0.46	पुराना बकाया
3	स्रोत से संग्रहीत कर	0 16	पुराना बकाया
4	देय सेवाकर (पूर्ववती बीबीयूएनएल से संबंधित)	1.94	पुराना बकाया (विवरण उपलब्ध नहीं है)
5	स्रोत से कर की कटौती	1.55	पुराना बकाया
6	आय-कर मांग	0.21	1998-99
7	आय-कर मांग	1.16	2005-06
8	आय-कर मांग	4 60	2006-07
9	आय-कर मांग	9.23	2007-08
10	आय-कर मांग	2.98	2008-09
11	आय-कर मांग	0.08	2012-13
12	आय-कर मांग	1.17	2015-16

7 (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा बहियों एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर, यथाप्रयोज्य, आय-कर, विक्रय-कर, भविष्य निधि के बकाये का ब्यौरा नीचे दे रहें हैं, जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया एवं पीठ जहां विवाद लंबित है :

क्रम सं.	संविधि का नाम	बकाये की प्रकृति	संबंधित अवधि	जिस मंच पर विवाद लंबित/ खारिज हो गया है	राशि (लाख रु. में)
1	पं. बं. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य ठेका कर	2011-12	संयुक्त आयुक्त – वाणिज्यिक कर	4.30
2	बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य ठेका कर	2010-11	संयुक्त आयुक्त – वाणिज्यिक कर	33.25
3	बिहार वित्त अधिनियम, 1994	कार्य ठेका कर	2011-12	संयुक्त आयुक्त – वाणिज्यिक कर	30.98
4	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा-कर मांग, धारा-75 के अधीन उस पर ब्याज (राशि निर्धारित नहीं) समेत और अधिरोपित दण्ड	2007-08 से 2011-12	सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क एवं सेवा-कर अपीलीय ट्राइब्यूनल	154.45
5	पं.बं. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	पं.बं. कार्य ठेका कर मांग	2017-18	अपीलीय प्राधिकारी	0.80

क्रम सं.	संविधि का नाम	बकाये की प्रकृति	संबंधित अवधि	जिस मंच पर विवाद लंबित/ खारिज हो गया है	राशि (लाख रु. में)
6	कर्मचारी भविष्य-निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	हरजाना/ ब्याज देय	03/2000 से 04/2008	भविष्य निधि आयुक्त, क्षे.का., कोलकाता, पं. बंगाल ने मांग की है। कंपनी ने कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्राईब्यूनल, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष अपील की है। मांग की राशि 96.10 लाख रुपये है एवं बीबीयूएनल भविष्य निधि ट्रस्ट संगठन के पास 41.96 लाख रुपये है।	54.14
7	दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004	कार्य ठेका कर	2004-2005	वाणिज्य-कर विभाग	19.36
8	पं.बं. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य ठेका कर	2011-2012	अपीलीय अधिकारी	27.39
9	पं.बं. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य ठेका कर	2009-2010	अपीलीय अधिकारी	3.58
10	बिहार जीएसटी	ट्रान 1 ब्याज	2017-18	अपीलीय अधिकारी	12.55
11	पं.बं. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	प्रवेश कर	2016-17	अपीलीय अधिकारी	0.51
12	पं.बं. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003	कार्य ठेका कर	2016-17	अपीलीय अधिकारी	0.21
13	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2009-10	आयकर आयुक्त (अपील)	20.64
14	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2010-11	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	0.96
15	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2011-12	आयकर आयुक्त (अपील)	6.34
16	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2012-13	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	285.31
17	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2013-14	क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी	65.S7
18	आय-कर,1961	आय-कर मांग	2013-14	आयकर अपीलीय ट्राईब्यूनल	58.68

8. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कपनी ने बैंकों एवं ऋणपत्र धारकों से ऋण या उधारी के पुनर्भुगतान करने कोई बकाया नहीं रखी है एवं वित्तीय संस्थानों एवं सरकार से कोई ऋण या उधार नहीं ली है।

9. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या आगे सार्वजनिक ऑफर या आवधिक ऋण के रूप में धन संग्रह नहीं की है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2016 के अनुच्छेद 3(ix) प्रयोज्य नहीं है।

10. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गयी या रिपोर्ट की गयी है।

11. नैगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश के खंड 3(i) के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है।

12. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) प्रयोज्य नहीं है।

13. कंपनी में संबंधित पार्टियों के लेन-देन में यथाप्रोज्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 से 188 का अनुपालन किया गया है तथा प्रयोज्य भारतीय लेखांकन मानकों द्वारा यथाअपेक्षित वित्तीय विवरणों आदि में विवरणों का खुलासा किया गया है।

14. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्ण या आशिक परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी नहीं की है।

15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी की बहियों एवं अभिलेखों की जांच के आधार पर कंपनी निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई नकद लेन-देन नहीं की है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(XV) प्रयोज्य नहीं है।

16. हमारी राय में हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

कृते **एआरएसके एण्ड एसेसिएट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. – 315082ई
एस.के. माहेश्वरी
भागीदार
सदस्यता संख्या 054049

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 09 सितंबर, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन का अनुलग्नक -"ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन सामान्य दिशानिर्देश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन सामान्य दिशानिर्देश	दिशानिर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का उत्तर	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
(I) **एकाउंटिग सॉफटवेयर** क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया चलाने के लिए सिस्टम है ? यदि हाँ, तो वित्तीय आशय, यदि कोई हो, के साथ-साथ खातों की अक्षतता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की कार्यवाही का आशय बतायें।	कंपनी टैली ईआरपी 9 नामक एकाउंटिग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है एवं इसके जरिए सभी एकाउंटिग लेनदेन की प्रक्रिया करती है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्तमान में कंपनी द्वारा उपयोग की जा रही उपरोक्त एकाउंटिग सॉफ्टवेयर के बाहर कोई एकाउंटिग लेनदेन की प्रक्रिया नहीं की गई है।	शून्य
(II) कर्ज़ पुनर्गठन क्या कंपनी के ऋण की वापसी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के वर्तमान ऋणों का कोई पुनर्गठन या कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के परित्याग / बट्टे खाते लिखे गये हैं ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जाये।	कंपनी के पास भारत सरकार, जो कि कंपनी का प्रवर्तक है से प्राप्त ऋण के अलावा कोई उधार नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।	शून्य
(III) सरकारी निधि / अनुदान का उपयोग क्या केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त / प्राप्य निधियों के शर्तों के मुताबिक समुचित रूप से लेखांकन/ उपयोग होता है ? व्यतिक्रम वाले मामले की सूची दें।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान केन्द्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए कोई निधि प्राप्त नहीं हुई / प्राप्य नहीं है।	शून्य

लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-''ग''

कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रतिवेदन।

हमने मार्च 31, 2020 को समाप्त दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संयोजन में उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के एकल भारतीय लेखांकन मानकों वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्वः

कंपनी का प्रबंधन 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में बताये गये आंतरिक नियंत्रण की आवश्यक संघटकों को विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण'' पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु जिम्मेदार है। इस उत्तरदायित्व में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथापेक्षित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के क्रमिक और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता, और समय पर विश्वसीनय वित्तीय जानकारी तैयार करना है।

लेखा-परीक्षकों का उत्तरदायित्वः

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विनिर्धारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परीक्षा के लिए एक हद तक लागू समझी जाती है। दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हो कि लेखा परीक्षा पर परियोजना दोनो इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी के अनुरूप लेखा परीक्षा संचालित की है।

नीचे दी गई राय अनुच्छेद के डिस्क्लेमर में वर्णित मामले की वजह से हम कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऊपर लेखा परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुए थे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों का मतलब

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्धेश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनायी गयी है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में शामिल नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ जो (1) अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन एवं स्वभाव का उचित विवरण, शुद्धता व सही प्रतिबिम्ब प्रदान करती है; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करती है कि आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए यथा आवश्यक लेन-देन का रिकार्ड किया जाता हो

तथा कंपनी की प्राप्तियाँ तथा व्यय कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के सिर्फ प्राधिकार के अनुरूप किये जा रहे हों; तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत अधिग्रहण, व्यवहार या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करना जो कि वित्तीय विवरणों पर वस्तुपरक प्रभाव पड़ सकता हो।

राय का डिस्क्लेमर

हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए या पर आधारित मानदंडों पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सत्यापित नहीं किया है इस कारण के फलस्वरूप, हमारी राय को एक आधार प्रदान करने में हम पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने में असफल हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण था एवं क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मार्च, 2020 तक प्रभावी ढंग से प्रचालनरत थे।

हमने कंपनी के एक वित्तीय विवरणों कि हमारी लेखा परीक्षा में अनुप्रयुक्त लेखा परीक्षा परीक्षणों की प्रकृति समय और विस्तार को विचार करने में ऊपर उल्लिखित अस्वीकरण पर विचार किया है तथा अस्वीकरण कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करता है।

कृते एआरएसके एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. -315082 ई

एस के माहेश्वरी
भागीदार
सदस्यता संख्या 054049

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 09 सितंबर, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विनिर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुरूप 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा-139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा-143 के तहत विनिर्धारित लेखा परीक्षा के मानदण्डों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा-143 (10) के अंतर्गत इन वित्तीय प्रतिवेदनों पर मंतव्य प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है। उनके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 13 अक्तूबर, 2020 में बताया गया है कि उनके द्वारा यह किया गया है, जो उनके दिनांक 09 सितंबर, 2020 के पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का स्थान लेता है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2020 के लिए अधिनियम की धारा-143(6)(क) के अधीन दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य के कागज़ात पाये बगैर स्वतंत्र रूप से की गई है एवं मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक एवं कंपनी के कार्मिकों से पूछ-ताछ एवं कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान मेरे द्वारा उठाये गये लेखा परीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में किये गये संशोधन को देखते हुए अधिनियम की धारा-143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर मुझे कोई भी टिप्पणी या अनुपूरक नहीं देना है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 15 अक्टूबर, 2020

(सुपर्णा देब)
महानिदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड-I, कोलकाता

31 मार्च 2019 को स्थित तुलन-पत्र

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण	द्रष्टव्य	31 मार्च,2020	31 मार्च,2019
परिसंपत्तियाँ			
गैर वर्तमान परिसंपत्तियों			
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण	2	490.61	588.32
पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन		-	-
अमूर्त परिसंपत्तियों	3	7.72	9.22
वित्तीय परिसंपत्तियों			
निवेश	4	3,158.24	3,154.61
व्यापार प्राप्य	5	-	-
अन्यान्य	6	5,514.05	2,898.43
आस्थगित कर परिसंपत्तियों, शुद्ध	7	562.80	501.55
		9,733.42	**7,152.14**
वर्तमान परिसंपत्तियों			
मालसूची	8	5,392.68	2,918.04
वित्तीय परिसंपत्तियों			
व्यापार प्राप्य	5	3,265.03	5,590.56
नकद एवं नकद समकक्ष	9	4,007.29	5,106.23
अन्य बैंक शेष	10	3,984.58	6,888.31
अन्यान्य	6	45,325.25	45,442.06
वर्तमान कर परिसंपत्तियों	11	397.74	213.16
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों	12	1,374.25	644.42
		63,746.82	**66,802.78**
कुल परिसंपत्तियों		**73,480.24**	**73,954.92**
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	13	12,086.05	12,086.05
अन्य इक्विटी	14	8,566.11	9,681.52
कुल इक्विटी		**20,652.16**	**21,767.57**

गैर वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधारी	15	297.82	313.07
प्रावधान	16	527.10	428.50
अन्य गैर वर्तमान देयताएँ	17	184.28	216.80
		1,009.20	**958.38**
वर्तमान देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
उधारी	15	6,589.00	6,589.79
व्यापार देय	18	9,113.62	7,597.46
अन्य गैर वर्तमान देयताएँ	19	34,685.99	34,605.64
अन्य वर्तमान देयताएँ	17	1,396.55	2,385.51
प्रावधान	16	33.71	50.58
		51,818.89	**51,228.98**
कुल देयताएँ		**52,828.08**	**52,187.36**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ		**73,480.24**	**73,954.92**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 1

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 0315082ई

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: यू70100डब्ल्यूबी1986जीओआई041286

एस. के. माहेश्वरी
भागीदार
सदस्य सं.: 054049

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 09.09.2020

एस.के. घोष
उप महाप्रबंधक (वित्त)

नवीन कुमार मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2020 को स्थित लाभ एवं हानि का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	द्रष्टव्य	31 मार्च, 2020 को समाप्त	31 मार्च, 2019 को समाप्त
प्रचालन से लाभ	20	10,640.23	10,500.77
अन्य आय	21	721.61	1,464.77
कुल आय		**11,361.84**	**11,965.55**
व्यय :			
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	22	3,373.76	1,863.38
मालसूची में बदलाव और प्रगतिधीन कार्य	23	(2,261.94)	1.82
कर्मचारी हित खर्चे	24	1,996.97	2,089.80
वित्त लागत	25	60.91	65.47
मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	26	122.88	135.93
अन्य खर्च	27	7,841.37	7,649.26
कुल खर्च		**11,133.95**	**11,805.66**
कर पूर्व लाभ		227.89	159.89
कर व्यय			
वर्तमान कर	28	93.21	141.41
आस्थगित कर	28	(61.25)	(17.65)
कुल कर व्यय		31.96	123.75
वर्ष का लाभ		**195.92**	**36.13**
अन्य विस्तृत आय			
वे मद जिसे लाभ या हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
वे मद जिसे लाभ या हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
आयकर प्रभाव	28	-	-
वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय, शुद्ध कर		-	-
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय		**195.92**	**36.13**
प्रति इक्विटी शेयर आय (1,000 भा. रु. का नॉमिनल मूल्य)भा.रु. में	35		
मूल		16.21	2.99
तनुकृत		16.21	2.99

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 1

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 0315082 ई

एस. के. माहेश्वरी
भागीदार
सदस्य सं. : 054049
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 09.09.2020

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन : यू 70100 डब्ल्यूबी 1986 जीओआई 041286

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)

एस.के. घोष
उप महाप्रबंधक (वित्त)

नवीन कुमार मिश्रा
कंपनी सचिव

नकद प्रवाह का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

	31 मार्च, 2020 को समाप्त	31 मार्च, 2019 को समाप्त
I. प्रचालनगत क्रियाकलाप से नकद प्रवाह		
करपूर्व लाभ	227.89	159.88
शुद्ध नकद प्रवाह से करपूर्व लाभ के मिलान के लिए समायोजन :		
मूर्त परिसंपत्तियों के ह्रास	117.78	132.45
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	5.10	3.49
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण (शुद्ध) की विक्री पर लाभ	(0.36)	(0.94)
बैंक एवं प्रतिभूति जमा पर ब्याज की आय	(681.79)	(993.24)
वित्त लागत	60.91	65.47
सरकारी अनुदान से विभाजित आय	(34.75)	(36.27)
ब्याज की आय	(3.62)	(3.43)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालनगत लाभ	**(308.85)**	**(672.60)**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
प्रचालनगत परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार प्राप्यताएं	2,325.53	(1,704.59)
मालसूची	(2,474.63)	(217.06)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां – वर्तमान	116.81	374.55
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(729.84)	(300.67)
प्रचालनगत देयताएं में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन		
व्यापार देय	1,516.16	1,309.46
अन्य वित्तीय देयताएं – वर्तमान	80.35	78.40
अन्य वर्तमान देयताएं	(988.96)	460.77
प्रावधान	81.73	50.41
प्रचालन से उत्पन्न नकदी	**(381.68)**	**(621.33)**
आयकर का भुगतान	(277.76)	(288.51)
प्रचालन क्रियाकलाप से/(में) उत्पन्न शुद्ध नकदी	**(659.44)**	**(909.84)**
II. निवेशमूलक क्रियाकलाप से नकद प्रवाह		
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त (पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) की खरीद	(32.67)	(201.06)
जायदाद, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त (पूंजीगत कार्य प्रगतिधीन समेत) की निपटान	9.34	48.41
बैंकों में 3 महीने से ज्यादा की मूल परिपक्वतावाली सावधि जमा का (निवेश)/विमोचन	2,903.73	(840.17)
ब्याज की आय	681.79	993.24
अगर तुलन-पत्र तिथि से एक वर्ष ज्यादा परिपक्वता वाले बैंक में जमा	(2,615.62)	(1,162.43)
निवेश क्रियाकलापों में शुद्ध नकद प्रयुक्त	**946.57**	**(1,162.01)**

III. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
लंबी अवधि के उधार / (चुकौती) से प्राप्त शुद्ध आय	(47.77)	(48.48)
अल्प अवधि के उधार / (चुकौती) से प्राप्त शुद्ध आय	-	-
ब्याज चुकता	(26.16)	(29.20)
अंतिम लाभांश	(1,087.74)	(1,208.61)
अंतिम लाभांश पर कर	(223.59)	(248.43)
वित्तीय कार्यकलाप द्वारा शुद्ध नकद दी गयी	**(1,385.26)**	**(1,534.72)**
वित्तपोषण क्रियाकलापों द्वारा प्रदत्त शुद्ध नकद (I + II+III)	(1,098.14)	(3,606.58)
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद समतुल्य	5,105.43	8,712.01
वर्ष के अंत (नीचे द्रष्टव्य देखें) में नकद एवं नकद समतुल्य	4,007.29	5,105.43

द्रष्टव्य :

नकद एवं नकद समतुल्यों में निम्न शामिल हैं :		
हाथ में नकद	0.14	2.23
बैंक में शेष :		
- चालू खाते में	1,498.94	203.99
- 3 महीने से कम मूल परिपक्वता वाली रकम जमा खाते में	2,508.21	4,900.00
केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	(0.79)
	4,007.29	**5,105.43**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 1

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 0315082 ई

एस. के. माहेश्वरी
भागीदार
सदस्य सं. : 054049
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 09.09.2020

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन : यू 70100 डब्ल्यूबी 1986 जीओआई 041286

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)

एस.के. घोष
उप महाप्रबंधक (वित्त)

नवीन कुमार मिश्रा
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

	शेयरों की संख्या	राशि
1 अप्रैल, 2018 को शेष	12,08,605	12,086.05
31 मार्च, 2019 को शेष	12,08,605	12,086.05
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	12,08,605	12,086.05

ख अन्य इक्विटी

ववरण	प्रारक्षित एवं अधिशेष				
	प्रारक्षित पूंजी	सामान्य पूंजी	प्रतिधारित आय	ऋण विमोचन प्रारक्षित	कुल
1 अप्रैल, 2018 को	0.06	1,473.65	9,325.06	303.66	11,102.43
वर्ष का लाभ	-	-	36.13	-	36.13
वर्ष के दौरान जारी	-	-	-	-	-
प्रतिधारित आय से अंतरण	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश 2017-18	-	-	(1,208.61)	-	(1,208.61)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	(248.43)	-	(248.43)
31 मार्च, 2019 को	0.06	1,473.65	7,904.15	303.66	9,681.52
वर्ष का लाभ	-	-	195.92	-	195.92
वर्ष के दौरान जारी	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश 2018-19	-	-	(1,087.74)	-	(1,087.74)
अंतिम लाभांश पर कर	-	-	(223.59)	-	(223.59)
अन्य विस्तृत आय					
परिभाषित हित योजनाओं पर पुनर्मूल्यांकन लाभ/(हानि), शुद्ध कर	-	-	-	-	-
आयकर का प्रभाव	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2020 को शेष	0.06	1,473.65	6,788.74	303.66	8,566.11

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 1

साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंश हैं।

उसी तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एआरएसके एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. : 0315082 ई

एस. के. माहेश्वरी
भागीदार
सदस्य सं. : 054049
स्थान : कोलकाता
दिनांक : 09.09.2020

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से
दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
सीआईएन : यू 70100 डब्ल्यूबी 1986 जीओआई 041286

सुंदर बनर्जी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुकेश कुमार
निदेशक (वित्त)

एस.के. घोष
उप महाप्रबंधक (वित्त)

नवीन कुमार मिश्रा
कंपनी सचिव

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

I. कंपनी सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्टिंग इकाई :

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") भारत में अवस्थित एक कंपनी है एवं और शेयरों (सीआईएन : यू 70100 डब्ल्यूबी 1986 जीओआई 041286) द्वारा सीमित है। कंपनी की पंजीकृत कार्यालय का पता 27, आर. एन. मुखर्जी रोड, मोदी बिल्डिंग, कोलकाता-700001 है। कंपनी फैब्रिकेशन समेत मुख्य रूप से निर्माण के व्यापार में युक्त है।

ख. वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

1. अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम,1956 के प्रयोज्य प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित एवं प्रयोज्य के विस्तार तक), कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम 2015 व तदन्तर उनमें संशोधन के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (भार ले मा) के अनुपालन तथा लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किये गये हैं।

लेखांकन नीतियों का ब्यौरा टिप्पणी-1 में शामिल किया गया है।

2. उपाय के आधार

ये वित्तीय विवरण, निम्नलिखित मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परंपरा तथा प्रोद्भवन आधार पर तैयार किये गये हैं।

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं उचित मूल्य पर मापे गये हैं।
- कर्मचारी परिभाषित लाभ परिसंपत्तियां/ (देयताएं) योजना परिसंपत्तियों, जोड़ बीमांकित हानियों, कम बीमांकित लाभों तथा परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य के उचित मूल्य के कुल निवल जोड़ के रूप में पहचाने जाते हैं।

3. वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण

तुलन-पत्र और लाभ व हानि का विवरण कंपनी 2013 ('अधिनियम') की अनुसूचची III में विनिर्धारित फॉर्मेट तैयार और प्रस्तुत किये जाते हैं। नकद प्रवाह का विवरण भारतीय लेखांकन मानक 7 के "नकद प्रवाह का विवरण" की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया है। तुलन- पत्र तथा लाभ व हानि विवरण, अधिनियम, की अनुसूची III में यथा विनिर्धारित, में मदों से संबंधित आवश्यकताओं को वित्तीय विवरणों के अंश स्वरूप के माध्यम प्रस्तुत किये जाते हैं।

4. कार्यमूलक मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किये जाते हैं, जो कंपनी की कार्यमूलक मुद्रा होती है। एक इकाई की कार्यमूलक मुद्रा प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा है जो इसे प्रचालित करती है।

भा.रु. में प्रस्तुत सभी वित्तीय सूचनाओं को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) किया गया है, जैसाकि अन्यथा कहा गया है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

5. प्रचालन चक्र

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में स्थापित कंपनी की सामान्य प्रचालन चक्र एवं अन्य मानदंड के अनुसार चालू या अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं।

परिसंपत्तियां:

एक परिसंपत्ति को चालू के रूप में वर्गीकृत की जाती है जब वह निम्नलिखित मानदंडों में से एक को पूरा करता हो:

क) कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र में बिक्रय या खपत का इरादा या उगाही की आशा की जाती हो;

ख) इसे प्राथमिक तौर पर व्यापार करने के उद्देश्य से समझा जाता है;

ग) रिर्पोटिंग तिथि के बाद बारह महीने के अंदर उगाही की आशा की जाती है ; या

घ) यह नकद या नकद समतुल्य है जब तक इसे रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम-से-कम बारह महीनों के लिए देयता समाधान के लिए विनिमय या उपयोग के रूप में प्रतिबंधित नहीं किया जाता हो।

देयताएं :

एक देयता को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब यह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हो

क) इसकी कंपनी की सामान्य प्रचालन चक्र में समाधान किये जाने की प्रत्याशा हो

ख) इसे प्राथमिक तौर पर व्यापार करने के उद्देश्य से समझा जाता हो

ग) इसे रिर्पोटिंग तिथि के बाद बारह महीनों के अन्दर समाधान किया जाता हो, या

घ) कंपनी के पास रिर्पोटिंग तिथि के बाद कम-से-कम बारह महीनों के लिए देयता के समाधान को आस्थगित करने का कोई बिनाशर्तिया अधिकार नहीं है।

देयता की शर्तें, जो प्रतिरूपी की राय पर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के जारी द्वारा इसके समाधान का परिणामी हो सका, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है। चालू परिसंपत्तियों/ देयताओं में क्रम से अप्रचलित परिसंपत्तियों/देयताओं के चालू अंश शामिल हैं। सभी अन्य परिसंपत्तियों/देयताओं को अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयताओं को अप्रचलित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

6. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय तथा अनुमान अनिश्चितता स्रोत

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रबंधन की ओर से रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रचालन के परिणाम तथा वित्तीय समायोजन की तिथि को आकस्मिक परिसंपत्तियों व आकस्मिक देयताओं की प्रकटीकरण तथा परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय की प्रतिवेदित राशि एवं लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग को प्रभावित करती हैं पर न्याय, आकलन व मान्यता देना आवश्यक है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान और निहित मान्यताओं की एक चालू आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के पुनरीक्षण को किसी भावी प्रभावित अवधि तथा अवधि जिसमें अनुमानों का पुनरीक्षण किया जाता है में प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों पर सूचना जिसका वित्तीय विवरणों में मान्य राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो लेखांकन नीतियों और/या वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में शामिल है।

वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के क्रम में, अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सूचना, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनिश्चितता व महत्वपूर्ण निर्णय जिनका वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात राशि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लेखांकन नीतियों तथा/ या वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान - एक सीमा जहां तक आस्थगित कर परिसंपत्तियां प्रतिचिह्नित की जा सकती हैं भावी करयोग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है जिसके प्रति आस्थगित कर संपत्तियों का व्यवहार किया जा सकता है।

परिसंपत्तियों के हानि हेतु सूचकों का मूल्यांकन - परिसंपत्तियों के ह्रास के सूचकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन में भिन्न आंतरिक एवं बाह्य घटक अपेक्षित हैं जो परिसंपत्तियों की उगाही योग्य राशि की हानि का कारण हो सका।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि- प्रत्येक तुलन-पत्र में, प्रत्याशित जीवन पर परिलक्षित ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों पर आधारित, प्रबंधन बकाया वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित साख का मूल्यांकन करता है।

प्रावधान- प्रत्येक तुलन-पत्र पर आंकड़ा आधारित प्रबंधन न्याय, तथ्यों व विधिक पक्षों में परिवर्तन, कंपनी बकाया आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों की आवश्यकता का मूल्यांकन करती है। तथापि, वास्तविक भावी परिणाम न्याय से भिन्न हो सकता है।

राजस्व और सामान सूची- कंपनी पूरा करने की पद्धति की प्रतिशतता का व्यवहार करते हुए राजस्व की पहचान करता है। इसके लिए आवश्यक है अंतर्निहित निर्माण एवं सेवा ठेका के परिणाम सहित कुल बजटीकृत लागत तैयार करने वाला पूर्वानुमान, जिसके लिए कार्यक्षेत्र में परिवर्तन पर लिये गये निर्णय, दावे (क्षतिपूर्ति छूट आदि) तथा अन्य भुगतान इस सीमा तक कि वे संभव हैं तथा वे मापन में विश्वसनीय रूप से सक्षम हैं। दावों हेतु अनुमान तैयार करने के उद्देश्य हेतु, कंपनी ने उपलब्ध ठेकेगत एवं ऐतिहासिक सूचना का व्यवहार किया है।

मूल्यह्रास/ ह्रसित परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन-प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग आंकड़ों पर मूल्यह्रास/ ह्रसित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के इसके अनुमान की समीक्षा करता है जो परिसंपत्तियों के अपेक्षित उपयोगिता पर आधारित है। तकनीकी और आर्थिक अड़चन से संबंधित इन अनुमानों की अनिश्चितता जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को बदल सकती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डी बी ओ)- डीबीओ का प्रबंधन अनुमान अंतर्निहित मान्यताओं यथा, मुद्रास्फीति की मानक दरें, क्षयन, छूट दर एवं भावी वेतन वृद्धि की प्रत्याशा पर आधारित है, इन मान्यताओं में उतार-चढ़ाव डीबीओ राशि तथा वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय में पर्याप्त रूप से प्रभाव डाल सकते हैं।

उचित मूल्य मापन- प्रबंधन वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार बोलियां उपलब्ध नहीं हैं) के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करना है, इसमें बाजार प्रतिभागी साधन की लागत कैसे लगाएंगे संबंधी सुसंगत विकासात्मक अनुमान एवं धारणा शामिल हैं।

7. उचित मूल्य का मापन-

कतिपय कंपनी की लेखांकन नीतियों तथा प्रकटीकरण में उचित मूल्यों का मापन, वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों व देयताओं दोनों हेतु, आवश्यक है।

उचित मूल्य निम्नलिखित मूल्यांकन तकनीकों में व्यवहृत निवेशों पर आधारित उचित मूल्य पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों में संवर्गीकृत किए जाते हैं।

- स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देयताओं हेतु सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमत (असमायोजित)

-स्तर 2 : स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमत के अलावा निवेश जो परिसंपत्तियों या देयताओं, प्रत्येक (यानी मूल्य) या अप्रत्यक्ष (यथा, कीमत से व्युत्पन्न), हेतु ध्यान देने योग्य हैं।

-स्तर 3 : परिसंपत्ति या देयता हेतु निवेश जो ध्यान देने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न ध्यान देने योग्य निवेश)

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन के समय, कंपनी जहां तक संभव हो, ध्यान देने योग्य बाजार आंकड़ों का व्यवहार करती है। अगर निवेशकों का उचित मूल्य पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों में गिरी परिसंपत्ति या देयता की उचित कीमत के मापन हेतु व्यवहार किया गया, तब उचित मूल्य मापन को निम्नतम स्तर निवेश के रूप में उचित मूल्य पदानुक्रम के उसी स्तर में उसे पूरी तरह मापने के लिए संवर्गित किया जाता है। कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तरों के बीच स्थानांतरणों की पहचान करता है जिसके दौरान परिवर्तन हुए हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. राजस्व प्रतिचिह्नित

क) निर्माण क्रियाकलापों से राजस्व निम्नानुसार प्रतिचिह्नित किये जाते हैं :

1. लागत प्लस ठेके : उगाही योग्य लागत के साथ अवधि के दौरान ग्राहक से प्राप्त सहमति मार्जिन के सन्दर्भ में लागत प्लस ठेका से राजस्व निर्धारित किया जाता हैं।

2. नियत मूल्य ठेका: ठेका राजस्व को ऐसे समय तक उपगत सिर्फ लागत विस्तार तक प्रतिचिह्नित किया जाता है जिससे कि कार्य का परिणाम विश्वसनीय रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है शर्त के अध्यधीन संभवत: ऐसी लागत उगाही योग्य होगी, जब ठेके का परिणाम विश्वसनीय रूप से प्राप्त किया जाता है तो ठेका राजस्व पूर्णकारक पद्धति की प्रतिशतता व्यवहार करते हुए, ठेका जोड़ समानुपातिक सीमांत पर किये गये कार्य की लागत प्रतिचिह्नित करता है। पूर्ण होने की प्रतिशतता कुल अनुमानित लागत में तिथि तक किये गये कार्य की लागत की प्रतिशतता होती है।

ठेके का अनुमानित परिणाम तभी विश्वसनीय विचारित होता है जब निम्नलिखित पूरी शर्तें पूरी हों :

i) राजस्व राशि विश्वसनीय ढंग से निरूपित हों,
ii) यह संभव है कि ठेके के साथ संबद्ध आर्थिक लाभ कंपनी तक प्रवाहित हो,
iii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक ठेका पूर्ण होने के चरण को विश्वसनीय ढंग से निरूपित किया जा सकता हो,
iv) ठेके के संबंध में उपगत लागत या उपगत होने वाली लागत विश्वसनीय ढंग से निरूपित कि जा सकी हो।

ठेके पर, अगर कोई, अपेक्षित हानि की पहचान अवधि में व्यय के रूप में की जाती है जिसमें यह ठेका पूर्णता चरण के बावजूद अनुमान किया जाता है।

3. भारतीय लेखांकन मानक 115 " ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व " के अनुसार राजस्व निर्माण और सेवा कार्यकलापों से पहचाना जाता है जो "ओवर टाइम" पद्धति पर आधारित है और कंपनी डिलीवरी की प्रगति को मापने के लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है। जब अलग-अलग अनुबंधों के परिणामों का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है, तो रिपोर्टिंग तिथि पर पूरा होने के चरण के संदर्भ में संविदा राजस्व और अनुबंध लागत को क्रमशः राजस्व और व्यय के रूप में पहचाना जाता है। खर्च को लागत के रूप में मान्यता प्राप्त है और राजस्व को अनुबंध की अनुमानित कुल लागत का रिपोर्टिंग तिथि पर कुल लागत के अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

उन ठेकों के लिए जहां ठेका लागत का कुल निधि से अधिक प्रतिचिह्नित मुनाफा (या कम मान्यता प्राप्त हानियां जैसी स्थिति हो) क्रमिक बिलिंग से अधिक है, अधिशेष ग्राहकों से देय दर्शाया गया है। ऐसे ठेकों हेतु जहां क्रमिक बिलिंग अद्यतित जोड़ अधिक मान्यता प्राप्त लाभ (या कम मान्यताप्राप्त हानियां जैसी स्थिति हो), अधिशेष ग्राहकों को देय राशि के रूप में दर्शाया गया है। संबंधित कार्य किये जाने के पूर्व प्राप्त राशि प्राप्त अग्रिम के प्रति एक देयता के रूप में तुलन-पत्र प्रकट किया गया है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ग्राहकों द्वारा पारित प्रतिधारण राशि अन्य चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रकट किया गया है तथा जब यह भुगतान हेतु देय हो जाती है तो व्यापार किया गया है तथा जब यह भुगतान हेतु देय हो जाती है तो व्यापार प्राप्तियों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

ख) **माल की बिक्री:** माल की बिक्री से राजस्व को प्रतिचिह्नित किया जाता है जब कंपनी ने माल के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार को क्रेता को स्थानांतरित कर दिया है, यह अब बेचे गये माल पर नियंत्रण बनाये नहीं रख सकता है, यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी के लिए प्रवाहित होंगे तथा लेनदेन के संबंध में उपगत लागत या उपगत होने वाली लागत विश्वसनीय रूप में निरूपित की जा सकती है।

ग) **सेवा प्रदान:** सेवा प्रदान से राजस्व प्रतिचिह्नित किया जाता है जब लेन-देन का परिणाम लेनदेन के संपूरण चरण के संदर्भ द्वारा विश्वसनीय रूप में अनुमानित किया जा सकता है। लेनदेन का परिणाम विश्वसीनय रूप में अनुमानित किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें संतुष्ट करती हों :

1. राजस्व की राशि विश्वसनीय रूप में मापी जा सकती है,
2. यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी की ओर प्रवाहित होंगे,
3. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन संपूरण चरण विश्वसनीय रूप से मापे जा सकते हैं, तथा
4. लेनदेन के संबंध में उपगत या उपगत होने वाली लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है।

संपूरण चरण लेनदेन की अनुमानित कुल लागत के लिए आज तक उपगत वास्तविक लागत के समानुपात द्वारा निर्धारित किया जाता है, गैर बिलकृत राजस्व ठेका शर्तों के अनुरूप की गयी सेवा लेकिन विकृत नहीं के मूल्य को दर्शाती है।

घ) **ब्याज आय:** वित्तीय परिसम्पत्ति से ब्याज आय की पहचान की जाती है जब यह संभव हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित हो तथा आय की राशि विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। ब्याज आय मूल बकाया संदर्भ तथा प्रयोज्य प्रभावी ब्याज दर द्वारा, समय समानुपात के आधार पर प्रोद्भूत किया जाता है, यह वह दर है जो प्रारंभिक पहचान पर परिसंपत्ति की निवल वाहक राशि को वित्तीय परिसंपत्ति के, प्रत्याशित जीवन के माध्यम अनुमानित भावी नकद प्राप्तियों को वास्तव में कम करता है।

ङ) **लाभांश आय:** लाभांश आय की पहचान तभी की जाती है जब कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

2. पट्टे

पट्टों का हिसाब भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार है जो 1 अप्रैल, 2019 से अनिवार्य हो गया है।

पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों का संपत्ति के उपयोग का अधिकार के रूप में किया जाता है और पट्टे पर सदृश देयता को पट्टा शुरू होने की तारीख पर लेखांकन किया जाता है।

प्रारंभ में संपत्ति के उपयोग का अधिकार को लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टे देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, इसके अलावा किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को विखण्डित करने और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने या अंतर्निहित संपत्ति या उस साइट को पुनर्स्थापित करने के लिए जिस पर वह किसी भी पट्टे पर प्राप्त प्रोत्साहन से कम स्थित है।

शुरू में पट्टे देयता को पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके रियायत दी जाती है। यह फिर मापा जाता है जब किसी सूचकांक या दर में बदलाव, या गारंटीकृत अवशिष्ट मूल्य के अनुमान में बदलाव, या खरीद, विस्तार या समाप्ति के विकल्प में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टे के भुगतान में बदलाव होता है। जब पट्टे देयता को इस तरह से मापा जाता है, तो परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार की वहन राशि के लिए एक संगत समायोजन किया जाता है, या यदि संपत्ति के उपयोग के अधिकार की वहन राशि शून्य कर दी गई है तो लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है।

लागत मॉडल के प्रयोग करके संपत्ति के उपयोग का अधिकार मापा जाता है यानी लागत पर सम्पति के उपयोग के अधिकार में से मूल्यह्रास और संचयी हानि घटाकर किया जाता है। सीधी-रेखा विधि के प्रयोग से सम्पति के उपयोग के अधिकार का मूल्सह्रास पट्टे की प्रारंभ की तारीख से पट्टे की समाप्त अवधि तक या अंतर्निहित परिसंपत्ति की उपयोग की अवधि जो भी पहले हो, निकाला जाता है। पट्टे की देयता की वहन राशि पट्टे की देयता पर ब्याज द्वारा वृद्धि होती है और पट्टे की भुगतान से कम होती है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

निम्नलिखित पट्टों के साथ जुड़े पट्टे के भुगतान को सीधी-रेखा के आधार पर व्यय के रूप में पहचान की जाती है: (i) कम मूल्य के पट्टे; और (ii) पट्टे जो अल्पकालिक हैं।

पट्टे पर दी गई संपत्तियों को या तो परिचालन पट्टे या वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित स्वामित्व के लिए सभी आनुषंगिक जोखिमों और प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। शुरूआत में वित्त पट्टे के अधीन रखी सम्पत्तियां तुलन-पत्र में पहचान की जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के तौर पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे की अवधि में वित्त आय की पहचान की जाती है, यह एक पैटर्न के आधार पर होता है जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाता है। पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया हो वह एक परिचालन पट्टा है।

कंपनी प्रचालन पट्टे पर दी गयी परिसंपत्तियों के मामले में सीधी रेखा आधार पर पट्टे से प्राप्तियों को आय के रूप में मानती है। कंपनी संपत्ति से संबंधित वर्ग के तहत अपनी तुलन-पत्र में परिचालन पट्टे के साथ अंतर्निहित परिसंपत्तियां प्रस्तुत करती है।

3. विदेशी मुद्रा

कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार करने में, कंपनी को कार्यकारी मुद्रा विदेशी मुद्रा के अलावा मुद्रा में लेनदेन, लेनदेन की तिथियों पर प्रचलित मुद्रा दरों पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक मदों को उस तारीख पर प्रचलित दरों पर पुर्नअनुवादित किया जाता है। गैर-मौद्रिक मद जिनका मापन विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत की शर्तों में किया जाता है का पुर्नअनुवाद नहीं किया जाता है। मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर उस अवधि में लाभ या हानि में प्रतिचिह्नित किये जाते हैं, जिनमें वे उत्पन्न होते हैं।

4. उधारी लागत

विशिष्ट उधारी लागत जो अर्हा परिसंपत्ति के उत्पादन या अधिग्रहण, निर्माण में आरोप्य है, ऐसी संपत्ति की लागत के रूप में पूंजीकृत किये जाते हैं। ऐसे समय तक परिसंपत्ति अपने इच्छित व्यवहार हेतु तैयार रहती है। एक अर्हा संपन्न परिसंपत्ति एक ऐसी परिसम्पत्ति है, जो इच्छित उपयोग हेतु तैयार होने में एक पर्याप्त आवधिक समय आवश्यक रूप से लेती हैं। सभी अन्य उधारी लागत एक अवधि में एक व्यय के रूप में प्रतिचिह्नित होते हैं जिसमें वे उपगत होते हैं।

उधारी लागत में ब्याज व्यय, छूट में कमी धन उधार लेने के संबंध में होने वाली सहायक लागत और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होनेवाले विनिमय अंतर को ब्याज लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

5. आयकर

आयकर व्यय चालू और आस्थगित कर मिलकर बनता है। आयकर व्यय इक्विटी में जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतिचिह्नित मदों से संबंधित है के विस्तार को छोड़कर आयकर विवरण में प्रतिचिह्नित है, जिसमें मामला इक्विटी में प्रतिचिह्नित है।

चालूकर

चालू कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर अपेक्षित है, रिर्पोटिंग तिथि पर पर्याप्त रूप से अधिनियमित या अधिनियमित कर दरों का व्यवहार कर तथा विगत वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजन।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

आस्थगित कर

आस्थागित कर तुलन-पत्र पद्धति का व्यवहार कर, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों हेतु परिसंपत्तियों और देयताओं की संवाहक राशि तथा कराधान उद्देश्यों हेतु व्यहृत राशि के बीच अस्थायी अंतर प्रावधानित कर प्रतिचिह्नित किया जाता है। आस्थगित कर निम्नलिखित अस्थायी अंतरों हेतु प्रतिचिह्नित नहीं किया जाता है : लेनदेन में परिसम्पत्तियों या देयताओं की प्रारंभिक प्रतिचिह्नित जो एक व्यापार संयोजन नहीं है और वह न तो लेखांकन न ही कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है, सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में निवेश से संबंधित अंतर एक विस्तार तक कि यह संभव है कि वे निकट भविष्य और सदइच्छा की प्रारंभिक मान्यता पर उत्पन्न कर योग्य अस्थायी अंतरों में विपरीत नहीं होंगे। आस्थगित कर उन कर दरों पर मापा जाता है जिन्हें, अस्थायी अंतरों पर लागू किया जाता है, जो कि कानूनों के आधार पर लागू किये गये या पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये कानूनों के आधार पर होते हैं। आस्थगित कर और देयताएं ऑफसेट हैं अगर वहां ऑफसेट चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों पर विधिक प्रवर्तन योग्य अधिकार हो, और वे उसी कर योग्य इकाई या भिन्न कर इकाइयों पर उसी कर प्राधिकारी द्वारा लगाये गये आयकरों से संबंधित हो, लेकिन वे निवल आधार पर चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों के समाधान की इच्छा रखते हों या उनकी कर परिसंपत्तियां और देयताएं साथ-साथ उगाही जाएंगी।

एक आस्थगित कर संपत्ति इस हद तक मान्यता प्राप्त करता है कि यह संभव है कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके। आस्थागित कर परिसम्पत्तियों की प्रत्येक रिर्पोटिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि संबंधित कर लाभ उगाहा जाएगा।

लाभांश वितरण कर

अतिरिक्त आय कर जो लाभांश के वितरण से उत्पन्न होते हैं, को उसी समय प्रतिचिह्नित किया जाता है जब संबंधित लाभांश भुगतान के देयता प्रतिचिह्नित की जाती है।

6. प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने सामान्य शेयरों के लिए मूल और कम अर्जन प्रति शेयर (''ई पी एस'') प्रस्तुत करता है। प्रति शेयर बुनियादी शेयर वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या द्वारा अवधि हेतु इक्विटी शेयर धारकों को अधिरोप्य निवल लाभ को विभाजित कर परिगणित किया जाता है।

प्रति शेयर कम अर्जन कम संभावित इक्विटी शेयरों के संबंध में वर्ष हेतु इक्विटी शेयर धारकों पर अधिरोप्य निवल लाभ विभाजित कर, प्रति शेयर बुनियादी अर्जन प्राप्त हेतु विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा तथा इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा संगणित किया जाता है जो सभी कम संभाव्यता इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किया जा सकता था। संभावित इक्विटी शेयर तभी कमजोर माना जाता है जब इक्विटी शेयरों में उनके रूपांतरण के प्रति शेयर निवल लाभ हो जाएगा।

7. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

पीपीई की प्रारंभिक लागत में इसकी क्रय कीमत, आयात शुल्क व गैर- वापसी योग्य क्रय कर सहित, तथा एक संपत्ति को चालू स्थिति व अवस्थान में लाने, इसके इच्छित उपयोग हेतु, लाने की किसी प्रत्यक्ष अधिरोपित लागत प्रासंगिक उधारी लागत तथा बंद करने की किसी प्रत्याशित लागत समेत, न्यून संचित मूल्यह्रास व संचित ह्रास हानि, अगर कोई, शामिल है। पीपीई के बाद उपगत व्यय को प्रचालन में रखे गये हैं, जैसा कि मरम्मती और अनुरक्षण को अवधि जिसमें लागत उपगत किये जाते हैं, में लाभ और हानि के विवरण में प्रभावित किये जाते हैं।

पी पी ई मद का अगर कोई हिस्सा अलग उपयोगी जीवन का है तब उसे पीपीई के अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

सामग्री मदें, यथा, अतिरिक्त पुर्जे, स्टैंडबाई उपस्कर तथा सेवा उपकरण को पीपीई के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं जब वे भारतीय लेखांकन मानक-16 - संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में यथा विनिर्दिष्ट पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हों।

7.1 निर्माण अवधि के दौरान व्यय

निर्माण अवधि के दौरान व्यय में (अर्हा प्राप्त पीपीई के अधिग्रहण या निर्माण हेतु उधारकृत निधियों से संबंधित वित्तीय लागत समेत) पूंजीगत कार्य प्रगति के अधीन शामिल है, तथा उसे उनके निर्माण के पूरा हो जाने पर संबंधित पीपीई में आबंटित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पीपीई बकाया अधिग्रहण या निर्माण बाबत दिये गये अग्रिम को 'अन्य प्रचलित परिसंपत्ति' के अधीन पूंजीगत अग्रिम के रूप में प्रकट किया जाता है।

7.2 मूल्यह्रास

मूल्यह्रास उपयोगी जीवन पर पीपीई की मूल्यह्रास योग्य राशि के क्रमबद्ध आबंटन है तथा जो अधिनियम की अनुसूची-II में यथा विनिर्धारित उपयोगी जीवन पर रिनेट डाउन मूल्य पद्धति के अनुसार प्रावधान है।

पीपीई हेतु मूल्यह्रास योग्य राशि पीपीई की लागत है जो अनुमानित अवशिष्ट मूल्य को कम करती है। पीपीई का उपयोगी जीवन एक अवधि है जिस पर कंपनी, या उत्पादन संख्या या समरूप इकाइयों, कंपनी द्वारा परिसंपत्ति से प्राप्त की आशा, द्वारा व्यवहार हेतु उपलब्ध होने की आशा है।

अतिरिक्त पर मूल्यह्रास स्थापना या अधिग्रहण के माह से समानुपातिक आधार पर प्रावधान किया जाता है। कटौती/निस्तारण पर मूल्यह्रास कटौती/निस्तारण की तिथि तक समानुपातिक आधार पर प्रावधानित किया जाता है।

निस्तारण पर लाभ और हानि धारण राशि सहित प्राप्ति को तुलना करते हुए निर्धारित किये जाते हैं। लाभ व हानि के विवरण में यह शामिल है।

8. अमूर्त परिसंपत्तियां और परिशोधन

अमूर्त परिसंपत्तियाँ न्यून संचित परिशोधन तथा ह्रास लागत पर उल्लिखित किये जाते हैं। अमूर्त परिसंपत्तियां जिस तिथि से व्यवहार के लिए उपलब्ध हैं की तिथि से सीधी-रेखा आधार पर उनके संबंधित अनुमानित व्यवहार पर परिशोधित की जाती हैं।

परिशोधन

एक अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन कतिपय घटकों, प्रचलन प्रभाव, मांग, संपूरण और अन्य आर्थिक घटक (यथा-उद्योग का स्थायित्व व ज्ञात तकनीक अग्रिम) तथा परिसंपत्ति से प्रत्याशित भावी नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अनुरक्षण व्ययों के स्तर पर आधारित होता है।

कंपनी 3 वर्षों की अवधि से सीधी-रेखा पद्धति का व्यवहार करते हुए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिशोधन करता है।

9. सामान-सूची

सामान-सूची अप्रचलन हेतु प्रावधानित करने के बाद मूल्यांकित की जाती है, जो निम्नानुसार है:

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

(i)निवल वसूली योग्य कीमत या भारित औसत लागत के निम्नतर पर कच्चा सामान, घटक, निर्माण सामग्री, भंडार, पुर्जे व खुले यंत्र। तथापि, इस मदों को लागत पर उगाही के विचार किये जाते हैं, अगर तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें व्यवहार किया जाएगा उसी या अधिक लागत पर बेचे जाने की आशा की जाती है।

(ii)विशेष रूप से पहचानी जाने योग्य लागत या निवल वसूली योग्य कीमत निम्नतर पर निर्माण क्रियाकलापों के संबंध में संपूरित संपत्ति/ कार्य प्रगति पर।

निवल वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किया जाता है तथा जब परिसम्पतियों ने पहले नीचे ह्रासित सामान सूची बनाई थी अब मौजूद नहीं है या जब वहां परिवर्तित आर्थिक परिस्थितियों के कारण निवल वसूलीयोग्य मूल्य में वृद्धि का स्पष्ट साक्ष्य है, विगत अवधि में, यदि कोई हो, ह्रासित मूल राशि को एक विस्तार तक पुनरीक्षित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप धारित राशि लागत तथा पुनरीक्षित निवल वसूलीयोग्य मूल्य से कमतर है।

10. नकद और नकद समतुल्य

तुलन-पत्र में नकद और नकद, समतुल्य बैंक हाथ में नकद तथा बैंक में लघु-अवधि जमा राशियों से मिलकर निर्मित जो तत्काल नकद में परिवर्तनीय जो मूल्य में परिवर्तन कम जोखिम के अध्यधीन है और लघुकालिक नकद वचनबद्धता के उद्देश्य से रखा जाता है।

11. नकद प्रवाह का विवरण

नकद प्रवाह का विवरण प्रचालन, निवेश और वित्तीय क्रियाकलापों में नकद प्रवाह को अलग कर तैयार किया जाता है। प्रचालन क्रियाकलापों से

नकद प्रवाह को निम्नलिखित प्रभाव हेतु अपवाद वाले मदों को छोड़कर कर के पूर्व लाभ समायोजित कर और अप्रत्यक्ष पद्धति का व्यवहार कर प्रतिवेदित किया जाता है;

(i) गैर-नकद प्रकृति के भुगतेय लेनदेन एवं प्राप्य प्रचालन और सामान सूची में अवधि के दौरान परिवर्तन
(ii) गैर-नकद मद, यथा; मूल्यह्रास, प्रावधान, बिना उगाही वाली विदेशी मुद्रा लाभ व हानि; तथा
(iii) अन्य सभी मद जिसके लिए नकदी प्रभाव का निवेश या वित्तपोषण कर रहे हैं।

नकद प्रवाह के विवरण में दर्शित नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) को मदों से अलग रखा गया है जो तुलन-पत्र की तिथि को आम व्यवहार हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

12. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान वहीं प्रतिचिह्नित होता है जहां पर यह तर्कसंगत आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त किया जाएगा तथा सभी संलग्न शर्तें पूरी की जाएंगी।

जहां कंपनी गैर-नकदी अनुदान प्राप्त करती है, परिसंपत्ति और अनुदान उचित मूल्य पर गिने जाते हैं तथा परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन में लाभ और हानि के विवरण में प्रतिचिह्नित किया जाता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

13. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास

कंपनी की गैर वित्तीय परिसम्पत्तियों, सामानसूची और आस्थगित कर संपत्तियों की प्रत्येक रिर्पोटिंग तिथि को समीक्षा की जाती है यह पता करने के लिए कि वहां क्या कोई ह्रास की सूचना है। अगर इस तरह की कोई सूचना है तो परिसंपत्तियों की उगाही योग्य राशि का आकलन किया जाता है। परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि या नकदी निर्माण इकाई (जैसा नीचे परिभाषित है) उपयोग में अपने मूल्य से बड़ी है तथा इसका उचित मूल्य विक्रय से कम लागत का है। उपयोग में मूल्य निर्धारण अनुमानित भावी नकद प्रवाह एक पूर्व कर छूट का व्यवहार करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो समय मूल्य राशि के चालू बाजार आकलन को तथा परिसंपत्ति या नकदी निर्माण इकाई को प्रतिदर्शित करता है। ह्रास परीक्षण के उद्देश्य हेतु, परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों के सबसे छोटे समूह में एक साथ समूहीकृत किया जाता है जो निरंतर उपयोग से नकद प्रवाह उत्पन्न करता है जो परिसंपत्तियों ('नकदी उत्पादन इकाई') के समूहों या अन्य परिसंपत्तियों के नकद प्रभाव से काफी हद तक स्वतंत्र होता है।

ह्रासित हानि को आय विवरण में प्रतिचिह्नित किया जाता है अगर इसकी नकदी-उत्पादन इकाई या परिसंपत्ति की अनुमानित वसूलीयोग्य राशि इसकी धारणीय राशि की तुलना में कमतर हो पूर्व अवधियों में प्रतिचिह्नित ह्रासित हानियां किसी सूचना हेतु प्रत्येक रिर्पोटिंग तिथि में इसलिए मूल्यांकित की जाती हैं कि हानियां कम हो गयी हैं या अब अस्तित्व में नहीं हैं। एक ह्रासित हानि को तभी पुनरीक्षित किया जाता है अगर वसूलीयोग्य राशि को निर्धारित करने के लिए व्यहृत अनुमानों में परिवर्तन हुआ है। एक ह्रासित हानि को एक विस्तार तक तभी उलटा जाता है जबकि परिसंपत्ति धारणीय राशि को अतिक्रम न करें जो कि निर्धारित किया गया होगा, मूल्यह्रास या ह्रासत का निवल, अगर कोई ह्रासित हानि प्रतिचिह्नित नहीं की गयी थी। सद्इच्छा जो एक एसोसिएट में निवेश की धारणीय राशि का हिस्सा पैदा करती है को अलग से मान्यता नहीं दी जाती है, एवं अतएव अलग से ह्रास हेतु परीक्षण नहीं किया जाता है। इसके बजाय, एक एसोसिएट में निवेश की समग्र राशि एक एकल संपत्ति के रूप में ह्रास हेतु परीक्षण किया जाता है, जबकि वहां एक वस्तुनिष्ठ या साक्ष्य हो कि एक एसोसिएट में निवेश ह्रासित किया जा सके।

इक्विटी लेखित निवेशी के संबंध में ह्रास इसकी धारणीय राशि में निवेश की वसूलीयोग्य राशि की तुलना कर पहचानी जाती है। एक ह्रासित आय विवरण में प्रतिचिह्नित की जाती है, तथा उलट दी जाती है अगर वसूलीयोग्य राशि निर्धारित करने के लिए व्यवहृत अनुमान में अनुकूल परिवर्तन किया गया है।

14. कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ खर्च किया जाता है जैसे ही संबंधित सेवा प्रावधानित की जाती है। देयता को प्रदान की जाने वाली अपेक्षित राशि हेतु प्रतिचिह्नित की जाती है अगर कंपनी के पास कर्मचारी द्वारा प्रावधानित विगत सेवा के परिणाम स्वरूप इस राशि को भुगतान करने के लिए विद्यमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो तथा दायित्व को विश्वसनीय ढंग से अनुमानित किया जा सकता है।

परिभाषित अंशदान योजनाएं

अवदान योजनाओं को परिभाषित करने के लिए कंपनी अवदान को आय विवरण में, जैसा और जब कर्मचारी से सेवाएं प्राप्त की जाती हैं, प्रभारित की जाती हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

परिभाषित लाभ योजनाएं

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य पश्च-नियोजन लाभों के संबंध में देयता को अर्हित बीमांककों के मशविरों के साथ संगत प्रक्षेपित इकाई साख पद्धति का उपयोग करते हुए परिकलित किया जाता है। परिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य को उच्च गुणवत्ता नैगम बंधपत्रों की ब्याज राशि का उपयोग कर अनुमानित भावी नकदी बर्हिप्रभाव को छूट देकर निर्धारित की जाती है जो मुद्रा में अंकित है जिसमें लाभों का भुगतान किया जाएगा और जहां संबंधित परिभाषित बाध्यता की शर्तों पर परिपक्वता होगी। ऐसे देशों में जहां ऐसे बंधपत्रों में कोई गहरा बाजार नहीं है, सरकारी बंधपत्रों पर बाजार दर का उपयोग किया जाता है।

कर्मचारी लाभ व्यय में आय विवरण में प्रतिचिह्नित परिभाषित लाभ योजना की चालू सेवा लागत चालू वर्ष में कर्मचारी सेवा, लाभ प्रभार, कटौती व समायोजन से उत्पन्न परिभाषित लाभ बाध्यता को प्रदर्शित करता है। विगत सेवा लागत आय में तत्काल प्रतिचिह्नित की जाती है। निवल ब्याज लागत को योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य तथा परिभाषित लाभ बाध्यता के निवल शेष में छूट दर का उपयोग कर परिकलित किया जाता है। इस लागत को आय विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल किया जाता है। बीमांक धारणाओं में परिवर्तन तथा अनुमान समायोजन से उत्पन्न बीमांकक लाभ और हानियों को जिस अवधि में वे उत्पन्न हुए हैं में अन्य व्यापक आय में इक्विटी में प्रभारित या जमा किया जाता है।

समाप्ति लाभ

समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी, आहरण की बिना यथार्थवादी संभावना के, या तो सामान्य सेवानिवृत्ति की तिथि के पूर्व नियोजन समाप्त करने की एक औपचारिक विस्तृत योजना के लिए या स्वैच्छिक बारम्बारता प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप समाप्ति लाभ प्रावधानित करने के लिए एक निदर्शन रूप में समर्पित है। स्वैच्छिक बारंबारता हेतु समाप्ति लाभों को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है अगर कंपनी ने स्वैच्छिक बारंबारता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्ताव है, तो यह संभव है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, तथा स्वीकृतियों की संख्या को विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सकता है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के संबंध में कंपनी का निवल बाध्यता भावी लाभ की राशि है जिसे कर्मचारी ने चालू और पूर्व अवधि में अपनी सेवा हेतु अर्जित की है। उस लाभ को इसके अपने वर्तमान मूल्य में निर्धारण के लिए छूट दी जाती है।

15. प्रावधान

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है अगर, एक विगत घटना के परिणाम स्वरूप, कंपनी के पास विद्यमान विधिक या निर्माणात्मक बाध्यता हो जिसे विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सके, और या संभव है कि आर्थिक लाभ का एक बर्हिप्रभाव की आवश्यकता पड़ेगी बाध्यता को निपटाने के लिए। अगर मुद्रा की समय लागत का प्रभाव सामग्री है, तो प्रावधान पूर्व-कर पर प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाह में छूट देते हुए निर्धारित किये जाते हैं जो विशेषकर देयता पर जोखिम तथा मुद्रा समय मूल्य का चालू बाजार आकलन को प्रदर्शित करता है। जहां छूट का व्यवहार किया जाता है, वहां समय के कारण प्रावधान में वृद्धि को एक वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

16. आकस्मिक देयताएँ व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक देयता के लिए एक प्रकटीकरण बनाया जाता है जब एक संभाव्य बाध्यता या विद्यमान बाध्यता हो जिसे, लेकिन संभवत: नहीं होगा, संसाधन बर्हिप्रवाह की आवश्यकता हो सकती है, जब एक संभाव्य बाध्यता या एक वर्तमान बाध्यता हो जिसके संबंध में संसाधनों के बर्हिप्रवाह की संभावना दूरस्थ हो, तब कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं बनाया जाता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्ति को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आकस्मिक संपत्ति का आकलन निरंतर किया जाता है और अगर यह वास्तव में निश्चित है कि आर्थिक लाभ का अंतर्प्रवाह पैदा होगा, तो परिसंपत्ति और संबंधित आय को उसमें मान्यता दी जाती है जिस अवधि में परिवर्तन होता है।

17. वित्तीय उपकरण

वित्तीय परिसंपत्ति और/या वित्तीय देयताएँ प्रतिचिह्नित की जाती हैं जब कंपनी संबंधित वित्तीय उपकरण को सन्निविष्ट करते हुए ठेके की पार्टी बन जाती है। सभी वित्तीय परिसम्पत्तियाँ, वित्तीय देयताएं तथा वित्तीय गारंटी ठेकों को प्रारंभिक तौर पर लेनदेन मूल्यों पर मापित किया जाता है जहां इस प्रकार के मूल्य उचित मूल्य से, उचित मूल्य पर भिन्न हों। लेनदेन लागत जो अधिग्रहण या वित्तीय परिसंपत्ति मद और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, के अन्यथा) पर अधिरोप्य होते हैं को ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों या देयताओं के उचित मूल्य द्वारा, प्रारंभिक मान्यता पर, जैसी स्थिति हो, जोड़ी या काटी जाती है। जो लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण पर लेनदेन लागत सीधे अधिरोपित होती है, उन्हें तत्काल लाभ या हानि में प्रतिचिह्नित होती है।

ब्याज मुक्त या छूट ऋणों और अधिमान्य शेयरों के रूप में सहायक कंपनियों के रूप में वित्त पोषण के मामले में, प्रारंभिक तौर पर मापित उचित मूल्य पर वित्त पोषण की वास्तविक के आधिक्य को एक इक्विटी निवेश के रूप में गिना जाता है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति और एक वित्तीय देयता ऑफसेट है तथा तुलन-पत्र में निवल आधार पर प्रदर्शित किये जाते हैं जब वहां प्रतिचिह्नित राशियों को ऑफसेट करने के लिए चालू विधिक प्रवर्तनीय अधिकार होता तथा यह या तो निवल आधार पर समायोजन या परिसंपत्ति की वसूली और साथ-साथ देयताओं को समायोजित करने के लिए आशयित होता है।

(I) वित्तीय परिसंपत्तियां :
क. सभी मान्यताप्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां पर्याप्त रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर निर्भर उचित मूल्य पर या ह्रासित लागत पर समग्र रूप से मापित की जाती है जो निम्नानुसार है:

1. ऋण उपकरों में निवेश जो लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम उचित मूल्य के रूप में अभिहित किये जाते हैं - उचित मूल्य पर।
2. ऋण उपकरणों में निवेश जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं पर्याप्त रूप से मापित किये जाते हैं - ह्रासित मूल्य पर (जब तक कि वह लाभ या हानि के माध्यम उचित मूल्य के रूप में अभिहित न हो)

- परिसंपत्ति को एक व्यापार प्रतिमान के अंदर रखा जाता है जिसका उद्देश्य ठेकागत नकदी प्रवाहों में संग्रहण करने के क्रम में परिसंपत्तियों को रखा जाता है, और
- उपकरण की ठेकागत शर्तें प्रवाहों को विशिष्ट तिथि पर उत्थान प्रदान करते हैं जो मूल धन राशि बकाये पर केवल ब्याज और मूल का भुगतान है।

3. ऋण यंत्र में निवेश जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं उनका अन्य व्यापक आय के माध्यम उचित मूल्य पर साथ-साथ मापे जाते हैं (एफवीटीसीआई) (जब तक वे लाभ और हानि के माध्यम उचित मूल्य पर अभिहित किए जाते हैं)

- परिसंपत्ति को व्यापार प्रतिमान के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य ठेकागत नकदी प्रवाह का संग्रहण और वित्तीय परिसंपत्तियों का विक्रय कर दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है; और
- यंत्र की ठेकागत शर्तें नकदी प्रवाहों में विशिष्ट तिथियों पर उत्थापन प्रदान करता है जो मूल धन राशि बकाये पर केवल ब्याज और मूल का भुगतान है,

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

4. एफवीटीपीएल पर ऋण यंत्र, ऋण यंत्रों हेतु एक अपशिष्ट संवर्ग है, अगर कोई, तथा सभी परिवर्तन लाभ या हानि पर प्रतिचिह्नित होते हैं।

5. सहायक कंपनी एसोसिएट तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा जारी इक्विटी यंत्र में निवेश कम ह्रास लागत पर मापे जाते हैं।

6. सहायक कंपनियों के अधिमान्य शेयरों में निवेश इक्विटी यंत्र के रूप में व्यवहार किए जाते हैं अगर वे ऐसे निवेशों के प्रतिदान के उद्देश्य हेतु जारी इक्विटी शेयर यंत्रों की प्राप्तियाँ प्रतिदान योग्य होती हैं या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय होती हैं। उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करने वाले अधिमान्य शेयरों में निवेश एफवीटीपीएल पर ऋण यंत्रों के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं।

7. इक्विटी यंत्रों में निवेश एफवीटीपीएल पर वर्गीकृत किये जाते हैं जब तक कि संबंधित यंत्र व्यापक आय में उचित मूल्य में तदन्तर परिवर्तनों को रोकने के लिए प्रारंभिक मान्यता पर कंपनी अपरिवर्तनीय रूप से नहीं चुनती है तथा व्यापार के लिए धारित नहीं करती।

ख. वित्तीय परिसंपत्तियों हेतु जो एफवीटीओसीआई पर मापी जाती हैं, ब्याज और लाभांश के द्वारा आय, ह्रास हेतु प्रावधान और परिवर्तन अंतर, अगर कोई हो (ऋण यंत्र पर) लाभ या हानि पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं तथा उचित मूल्य में परिवर्तन (उपर्युक्त आय या व्यय लेखे पर अन्यथा) अन्य व्यापक आय तथा अन्य इक्विटी में संचित में प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। एफवीटीओसीआई पर ऋण यंत्रों के निस्तारण पर, अन्य इक्विटी में पहले संचित लाभ या हानि को लाभ है या हानि में वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई पर इक्विटी यंत्रों के मामले में, ऐसे संचित लाभ या हानि को निवेशों के निस्तारण पर लाभ हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

ग. एक वित्तीय संपत्ति बुनियादी तौर पर गैर मान्यताप्राप्त समझी जाती है जब:

1. परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार खत्म हो गया हो, या

2. कंपनी ने व्यवस्था से गुजरते हुए के अधीन तृतीय पहल को बिना सामग्री विलम्ब के पूर्ण रूप में प्राप्त नकद प्रवाह को भुगतान करने के लिए बाध्यता धारण की है या परिसंपत्ति में से नकद प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकार स्थानांतरित किये हों; तथा

क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार पर्याप्त रूप से स्तानान्तरित कर दिए हैं; या

ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार पर्याप्तरूप से न तो स्थानान्तरित न ही पास रखे हैं, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है , अपनी इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति की गैर मान्यता पर मान्यता प्राप्त होने की तिथि पर मापित धारणीय राशि तथा प्राप्त विचार को लाभ या हानि में विचार किया जाता है।

घ. वित्तीय सम्पत्तियों का ह्रास: कंपनी प्रत्याशित क्रेडिट हानि नमूने का व्यवहार कर प्राप्य व्यापार पर ह्रास हानि प्रतिचिह्नित करता है, जिसमें भारतीय लेखांकन मानक 109 के अधीन यथा अनुज्ञाप्राप्त ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव के आधार पर निर्मित एक प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग शामिल है। निवेशों पर ह्रास हानि प्रतिचिह्नित की जाती है जब धारणीय राशि की वसूलीयोग्य राशि को पार कर जाती है।

(ii) वित्तीय देयताएं :

क. वित्तीय देयताएं, व्युत्पन्न ज़ड़ित व्युत्पन्न समेत, जो एफवीटीपीएल पर मापन हेतु पदनामित किये जाते हैं जो पर्याप्त रूप से उचित मूल्य पर मापे जातेहैं। वित्तीय गारंटी ठेके पर्याप्त रूप से ह्रास हानि भत्ता की राशि या संचयी क्रमिक अपाकरण के प्रारम्भिक निवल पर प्रतिचिह्नित राशि पर मापे जाते हैं, जो भी उच्चतर हो।

ऋण और उधारों सहित सभी वित्तीय देयताएं प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करते हुए क्रमिक अपाकरण लागत पर मापे जाते हैं।

ख. एक वित्तीय देयता को गैर-मान्यता प्राप्त किया जाता है जब संबंधित बाध्यता समाप्त हो जाती है या प्रभारित या निरस्त की जाती है।

18. लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को भुगतेय लाभांश अंतरिम लाभांश उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तित रूप में चिह्नित किये जाते हैं जिसमें वे क्रम से शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

19. सामग्री पूर्व अवधि त्रुटियाँ

सामग्री पूर्व अवधि त्रुटियाँ पूर्व अवधियों हेतु तुलनात्मक राशि को पुनः उल्लेखन द्वारा पूर्वव्यापी रूप में संशोधित की जाती है जिसमें त्रुटि घटित होती है। अगर त्रुटि प्रदर्शित पूर्व अवधि के पहले घटित हुई तो प्रदर्शन पूर्व अवधि हेतु परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी के अथशेष पुन: उल्लिखित किये जाते हैं।

20. परिचालन खंड

भारतीय लेखांकन प्रणाली 108 के अनुरूप, विद्यमान खंड सूचना के लिए व्यवहृत परिचालन खंड, खंडों में संसाधन आबंटन के लिए एवं उनके कार्य-प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए कंपनी प्रबंधन द्वारा व्यवहृत आंतरिक प्रतिवेदनों के आधार पर प्रतिचिह्नित किये जाते हैं। निदेशक मंडल भारतीय लेखांकन प्रणाली के अर्थ के अंतर्गत कंपनी संयुक्त रूप से, के 'मुख्य परिचालनकर्ता' या 'सीओडीएम' हैं। आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों हेतु व्यवहृत सूचक स्थल पर रखे गये कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकता है।

खंडों के परिणाम जो सीओडीएम को प्रतिवेदित किये जाते हैं, में खंड को सीधे अधिरोप्य मद तथा जिन्हें तर्कसंगत आधार पर आबंटित किया जा सकता है, शामिल है। गैर- आबंटित मद मुख्य रूप से नैगम व्यय, वित्तीय व्यय और आयकर व्यय में मिलकर बनते हैं।

खंड में सीधे अधिरोप्य राजस्व खण्ड राजस्व के रूप में विचारित होता है। खंडों में सीधे अधिरोप्य व्यय तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित आम व्ययों को खंड व्ययों के रूप में विचार किये जाते हैं।

खंड वित्त व्यय संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर, तथा सद्इच्छा के अलावा अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण करने की अवधि के दौरान उपगत कुल लागत है।

संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर अमूर्त परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य प्राप्य सामान सूची व अन्य परिसंपत्तियों से मिलकर गठित खंड परिसंपत्तियां सीधे या तर्कसंगत ढंग से खंडों में आबंटित की जा सकती हैं। वर्ष हेतु रिपोर्टिंग खंड के उद्देश्य हेतु, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को संबंधित खंडों में अधिरोप्य परिचालनों हेतु परिसंपत्तियों के व्यवहार के विस्तार पर आधारित खंडों को आबंटित किया जाता है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, प्रगति पर कार्यचालक पूंजी, पूंजी अग्रिम, नैगम परिसंपत्तियां तथा अन्य चालू परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं उन्हें यथोचित रूप में खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड देयताओं में खंड से संबंधित सभी परिचालन देयताएं शामिल हैं तथा मुख्य रूप से व्यापार और अन्य भुगतान, कर्मचारी लाभ एवं प्रावधान मिलकर हैं। खंड देयताओं में, इक्विटी, आयकर देयताएं, ऋण व उधारी तथा अन्य देयताएं तथा प्रावधान शामिल नहीं हैं, जिन्हें खंडों में तर्कसंगत ढंग से आबंटित नहीं किया जा सकता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

2 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

विवरण	भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	जलयान (स्पीड बोट)	कंप्यूटर	फर्निचर एवं फिक्चर्स	वाहन	कुल
लागत या डीम्ड लागत (सकल वहन राशि)							
31 मार्च, 2018 को	126.99	1,794.83	2.32	89.02	101.11	3.71	2,117.97
संयोजन	5.64	141.44	-	11.35	0.25	-	158.68
न्यूनः निपटान / समायोजन	-	-	-	(29.49)	(8.98)	-	(38.48)
31 मार्च, 2019 को	132.63	1,936.27	2.32	70.88	92.38	3.71	2,238.17
	132.63	1,936.25	2.32	70.88	92.38	3.72	2,238.16
संयोजन	-	25.01	-	3.80	0.26	-	29.07
न्यूनः निपटान / समायोजन	-	(13.23)	-	-	(32.75)	-	(45.99)
31मार्च, 2020 को	132.63	1,948.03	2.32	74.68	59.88	3.72	2,221.25
संचित मूल्यह्रास							
31 मार्च, 2018 को	57.81	1,336.13	2.30	75.90	79.58	3.68	1,555.38
संयोजन	7.77	106.03	-	10.63	8.00	0.00	132.44
न्यूनः निपटान / समायोजन	-	-	-	(29.22)	(8.78)	-	(38.00)
31 मार्च, 2019 को	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
	65.58	1,442.17	2.29	57.31	78.79	3.67	1,649.82
संयोजन	6.95	96.90	-	9.19	4.74	0.00	117.78
न्यूनः निपटान / समायोजन	-	(5.25)	-	-	(31.75)	-	(37.01)
31 मार्च, 2020 को	72.53	1,533.82	2.29	66.50	51.77	3.67	1,730.60
निवल बुक मूल्य							
31 मार्च, 2020 को	60.10	414.21	0.02	8.18	8.11	0.05	490.65
31 मार्च, 2019 को	67.05	494.08	0.02	13.56	13.58	0.05	588.34

द्रष्टव्यः

(क) कंपनी द्वारा जमानत के रुप में गिरवी रखे सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की जानकारी के लिए द्रष्टव्य 15 का संदर्भ लें।

(ख) भवन में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से लाइसेंस करारनामें के अंतर्गत सर्कुलर गार्डेन रीच कोलकाता की भूमि पर स्थायी ढांचे के बारे में 131.46 लाख रुपये (विगत वर्ष का 131.46 लाख रुपये) शामिल है।

3 अमूर्त परिसंपत्तियों

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
विचारित लागत (सकल वहन राशि)	
1 अप्रैल, 2018 को	16.63
संयोजन	4.39
31 मार्च, 2019 को	21.02
	21.02
संयोजन	3.60
31 मार्च, 2020 को	24.62
संचित परिशोधन	
31 मार्च, 2018 को	8.31
वर्ष का प्रभार	3.49
31 मार्च, 2019 को	11.80
	11.80
वर्ष का प्रभार	5.10
31 मार्च, 2020 को	16.90
निवल बुक मूल्य	
31 मार्च, 2020 को	7.72
31 मार्च, 2019 को	9.22

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

4 निवेश

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
गैर-वर्तमान निवेश		
(क) इक्विटी दस्तावेजों में निवेश		
(अ) सहायक कंपनियां (अनुद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)		
भारत प्रोसेस एण्ड मेकानिकल इंजीनियर्स लिमिटेड*	486.30	486.30
रु. 1000/- प्रत्येक की पूर्णत: चुकता 48,600 इक्विटी शेयर	-	-
	-	-
(आ) संयुक्त उपक्रम कंपनियां	-	-
भागीरथी ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (अनुद्धृत, लागत पर मूल्यांकित)	0.30	0.30
रु. 100/- प्रत्येक की पूर्णत: चुकता 300 इक्विटी शेयर	-	-
	-	-
(इ) अन्य कंपनियां	-	
लगन लूट मंशीनरी कंपनी लिमिटेड (अनुद्धृत, एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित)	42.20	42.20
रु. 10/- प्रत्येक की पूर्णत: चुकता 4,22,000 इक्विटी शेयर	-	-
	-	-
जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (उद्धृत, एफवीटीपीएल पर मूल्यांकित) *	2,558.01	2,558.01
रु. 10/- प्रत्येक की पूर्णत: चुकता 2,55,80,122 इक्विटी शेयर	-	-
	-	-
(ख) ऋणपत्रों या बॉण्ड में निवेश	-	-
(अनुद्धृत, परिशोधित लागत पर मूल्यांकित)	-	-
ईस्ट इण्डिया क्लिनिक लि. की 5% अप्रतिदेय पंजीकृत ऋणपत्र स्टॉक	0.16	0.16
99 सं. आईसीआईसीआई रिडीमेबल मनी मल्टीप्लायर बॉण्ड – 2026	71.26	67.64
	-	-
	-	-
कुल निवेश	**3,158.24**	**3,154.61**
निम्नलिखित का समष्टि बही मूल्य :		
- उद्धृत निवेश	2,558.01	2,558.01
- अनुद्धृत निवेश	600.23	596.60
उद्धृत निवेशों का समष्टि बाजार मूल्य	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

इक्विटी दस्तावेजों की लागत उचित मूल्य के उपयुक्त आकलन के तौर पर माना गया है क्योंकि संभावित उचित मूल्य का विस्तृत क्षेत्र और लागत उसी श्रेणी के अंदर उचित मूल्य का श्रेष्ठ अनुमान बताता है।

*भारत प्रोसेस एण्ड मेकानिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बीपीएमईएल) एवं जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड समापन के अधीन है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

5 व्यापार से प्राप्य (अनुद्भूत) :	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
गैर-वर्तमान		
शोध्य माना गया - दीर्घावधि व्यापार से प्राप्य	38.98	38.98
न्यून : संदिग्ध माने गए प्राप्य हेतु छूट	(38.98)	(38.98)
	-	-
वर्तमान		
शोध्य माना गया	4,099.01	6,293.33
संदिग्ध माना गया	778.83	778.83
	4,877.84	7,072.16
न्यून : संदिग्ध माने गए प्राप्य हेतु छूट	(1,612.81)	(1,481.60)
कुल व्यापार से प्राप्य	**3,265.03**	**5,590.56**

अ) कंपनी द्वारा जमानत के तौर पर गिरवी रखे व्यापार से प्राप्य के बारे में जानकारी हेतु द्रष्टव्य 15 का संदर्भ लें।

6 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
गैर-वर्तमान		
तुलन-पत्र की तिथि से अगर बैंक जमा एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली है *	1,983.30	-
	-	-
अन्यान्य	-	-
बयाना धन एवं अन्य जमा	3,530.75	2,898.43
	5,514.05	**2,898.43**
वर्तमान		
ऋण और अग्रिम		
सहायक कंपनियों एवं अन्य को दिए उधार - भारत सरकार का प्राप्य	6,796.31	6,796.31
अन्य अग्रिमों	3,081.18	3,305.67
	-	-
ब्याज प्राप्य / उपचित	-	-
सहायक कंपनियों को दिए ऋणों पर	34,006.55	34,006.55
निवेश, जमा एवं मियादी जमा पर ब्याज उपचित	300.67	590.38
अन्यान्य		
बयाना धन एवं अन्य जमा	1,150.77	757.38
न्यून : संदिग्ध कर्ज हेतु छूट	(53.15)	(53.15)
	1,097.63	704.23
अन्यान्य - प्राप्य	42.92	38.93
	45,325.25	**45,442.07**

* बैंक के पक्ष में 19.83 लाख रु. (विगत वर्ष - रु. शून्य लाख) जमा ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित है।

टिप्पणियां विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

7 शुद्ध, आस्थगित कर परिसंपत्तियां

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
- वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित जमा हानि	443.29	409.17
- कर्मचारी हित के लिये प्रावधान	129.64	110.15
कुल	**572.93**	**519.32**
आस्थगित कर देयताएं		
- मूर्त एवं अमूर्त परिसंपत्तियां	(5.38)	(13.96)
- परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां	(4.75)	(3.81)
शुद्ध, आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**562.80**	**501.55**

8 मालसूचियां

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
कच्चे माल	836.27	622.68
भंडारण, यंत्रांग एवं संघटकों (शुद्ध)	2.78	2.78
फुटकर औजार	16.41	17.31
प्रगतिधीन कार्य	4,537.22	2,275.27
	-	-
कुल मालसूचियां	**5,392.68**	**2,918.04**

अ) कंपनी द्वारा जमानत के तौर पर गिरवी रखे मालसूचियों के बारे में जानकारी हेतु द्रष्टव्य 15 का संदर्भ लें।

9 नकद एवं नकद तुल्यमान

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
बैंक में शेष		
- चालू खाते में	1,498.94	203.99
- तीन माह से कम मूल परिपक्वता वाली जमा खाते में*	2,508.21	4,900.00
नकद हाथ में	0.14	2.23
कुल नकद एवं नकद तुल्यमान	**4,007.29**	**5,106.23**

* बैंक के पक्ष में रु.958.21 लाख (विगत वर्ष - रु.1000.00 लाख) जमा ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

10 अन्य बैंक शेष

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
- बैंक में तीन माह से अधिक मूल परिपक्वता वाली मीयादी जमा	5,967.88	6,888.31
- न्यून : अन्य 'वित्तीय परिसंपत्तियों' के तहत बताये 12 महीने से अधिक मूल परिपक्वता वाली बैंक में जमा	(1,983.30)	-
कुल अन्य बैंक शेष	**3,984.58**	**6,888.31**

* बैंक के पक्ष में रु. 1653.64 लाख (विगत वर्ष – रु. 2,876) जमा ग्रहणाधिकार के रूप में चिह्नित है।

11 वर्तमान कर परिसंपत्तियां

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध प्रावधान)	397.74	213.16
	397.74	**213.16**

12 अन्य परिसंपत्तियां

वर्तमान		
सरकार एवं सांविधिक प्राधिकारियों के पास जमा	1,374.25	644.42
	1,374.25	**644.42**

13 शेयर पूंजी

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
रु. 1000/- प्रत्येक की 34,81,000 (31 मार्च, 2018 को 34,81,000) इक्विटी शेयर	**34,810.00**	**34,810.00**
निर्गमित,		
रु. 1000/- प्रत्येक की12,08,605 (31 मार्च, 2018 को 10,37,305)	**12,086.05**	**12,086.05**
पूर्णत: चुकता इक्विटी शेयर		
रु. 1000/- प्रत्येक की12,08,605 (31 मार्च, 2018 को 10,37,305) पूर्णत: चुकता इक्विटी शेयर	**12,086.05**	**12,086.05**
	12,086.05	**12,086.05**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

(अ) प्रतिवेदन वर्ष की शुरूआत एवं अंत में बकाये शेयरों की मिलान :

विवरण	31 मार्च, 2020 इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2019 इक्विटी शेयरों की संख्या
वर्ष की शुरूआत में बकाया	12,08,605	12,08,605
वर्ष के दौरान निर्गमित	-	-
वर्ष के अंत में बकाया	**12,08,605**	**12,08,605**

(ख) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें / अधिकार

कंपनी के इक्विटी शेयरों में प्रति शेयर 1000 रुपये का बराबर मूल्य है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार हैं। कंपनी भारत में लाभांश घोषित करती है और भुगतान करती है। निदेशक मंडल (अंतरिम लाभांश को छोड़कर) द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारकों को सभी अधिमानी रकम के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्तियां प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(ग) होल्डिंग या अंतिम नियंत्रक कंपनी के संबंध में शेयरहोल्डिंग पैटर्न

कंपनी की कोई नियंत्रक कंपनी या अंतिम नियंत्रक कंपनी नहीं है।

(घ) कंपनी में 5% से अधिक धारित शेयरधारकों का विवरण :

विवरण	31 मार्च, 2020 धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	31 मार्च, 2019 धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति एवं उनका नॉमिनी	12,08,605	12,08,605
	12,08,605	**12,08,605**

(ङ) तुलन-पत्र की तारीख पर शेयर / विनिवेश की बिक्री के लिए विकल्प और अनुबंध / वचनबद्धताओं के अधीन जारी करने के लिए कोई सामान्य शेयर प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद (बीआईएफआर) ने पहले ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), भारत ब्रेक्स एण्ड वॉल्वस कंपनी लिमिटेड (बीबीवीएल) एवं आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल) की पूँजी पुनर्गठन हो जाने के फलस्वरूप तथा बीएससीएल, बीसीएल एवं बीबीजे के बारे में वित्तीय पुनर्संरचना के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में ऋण और ब्याज के इक्विटी शेयर पूंजी एवं शून्य दर के ऋणों में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त होने पर उपर्युक्त राशि के लिए निवेश किया है। उपर्युक्त राशि के लिए निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के निर्देश को विचार करके कंपनी ने 28 अप्रैल, 2017 को भारत के राष्ट्रपति जी को इक्विटी शेयर जारी की है।

(छ) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा इक्विटी /अधिमान्य शेयरों में परिवर्तनीय कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की गई हैं।

(ज) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी निदेशक या अधिकारी द्वारा कोई कॉल वगैर भुगतान के नहीं है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

14 अन्य इक्विटी :

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रारक्षित पूंजी	0.06	0.06
सामान्य रिजर्व	1,473.65	1,623.65
ऋणपत्र मोचन कोष	303.66	153.66
प्रतिधारित आय	6,788.78	7,904.15
	8,566.15	**9,681.52**

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
(क) प्रारक्षित पूंजी		
प्रारंभिक शेष	0.06	0.06
वर्ष के दौरान संयोजन	-	-
अंत शेष	**0.06**	**0.06**

पूंजी रिजर्व कंपनी द्वारा पूंजीगत प्राप्तियों का द्योतक है।

(ख) सामान्य रिजर्व		
प्रारंभिक शेष	1,473.65	1,473.65
जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरण	-	150.00
अंत शेष	**1,473.65**	**1,623.65**

सामान्य रिजर्व कंपनी के मुक्त रिजर्व हैं जो भविष्य में होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी के मुनाफे से निकाल कर रखा जाता है।

(ग) ऋणपत्र मोचन कोष		
प्रारंभिक शेष	303.66	303.66
जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरण	-	150.00
अंत शेष	**303.66**	**153.66**

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा नियमों के साथ पठित लागू प्रावधानों के मुताबिक और निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार, कंपनी ने ऋणपत्रों के रिडेम्प्शन के उद्देश्य से दूरदर्शी आधार पर ऋणपत्रों के मूल्य के 25% की दर से डिबेंचर रिडेम्प्शन रिजर्व (डीआरआर) बनाया है।

(घ) प्रतिधारित आय		
प्रारंभिक शेष	7,904.19	9,325.06
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	195.92	36.13
अन्य व्यापक आय	-	-
अंतिम लाभांश	(1,087.74)	(1,208.61)
अंतिम लाभांश पर कर	(223.59)	(248.43)
न्यून : सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	(0.00)
अंत शेष	**6,788.78**	**7,904.15**

प्रतिधारित आय कंपनी द्वारा आज तक अर्जित संचित लाभ हैं, सामान्य रिजर्व, लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) और शेयरधारकों को दिए गए अन्य वितरणों में से अंतरण को घटाकर बनता है।

कुल अन्य इक्विटी	**8,566.15**	**9,681.52**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

15 उधारी

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
गैर-वर्तमान उधारी		
अप्रतिभूत ऋण		
पुनर्संरचना ऋणपत्र जमा :		
ऋण शून्य दर ऋणपत्र में परिवर्तित आवंटन लंबित है(नीचे द्रष्टव्य क देंखे)	297.82	313.07
कुल गैर-वर्तमान उधारी	**297.82**	**313.07**
वर्तमान उधारी		
- प्रतिभूत ऋण की मांग करने पर पुनर्वापसी		
केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट (नीचे द्रष्टव्य ख देंखे)	-	0.79
भारत सरकार से अन्य ऋण और अग्रिमों (नीचे द्रष्टव्य ग देंखे)	6,589.00	6,589.00
कुल वर्तमान उधारी	**6,589.00**	**6,589.79**

क. ऋण शून्य दर ऋणपत्र में परिवर्तित,आबंटन लंबित है

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद (बीआईएफआर) ने पहले ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड (बीसीएल), बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल), भारत ब्रेक्स एण्ड वॉल्वस कंपनी लिमिटेड (बीबीवीएल) एवं आरबीएल लिमिटेड (आरबीएल) की पूँजी पुनर्गठन हो जाने के फलस्वरूप तथा बीएससीएल, बीसीएल एवं बीबीजे के बारे में वित्तीय पुनर्संरचना के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसरण में ऋण और ब्याज के इक्विटी शेयर पूंजी एवं शून्य दर के ऋणों में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त होने पर एवं औपचारिकताएं पूरा होना लंबित रहने, इस मुद्दे पर शर्तें प्राप्त न होने के कारण शून्य दर के ऋणों में परिवर्तन का आबंटन लंबित है।

पुनर्वापसी की शर्तें :

कंपनी 12.15 करोड़ रु. की राशि 50 लाख रुपये की समान वार्षिक किश्त पर 2007 से शून्य दर ऋण (जेडआरडी) पुनर्वापसी करेगी।

ख. केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट

ऋण हेतु दिए प्रतिभूति का विवरण

केनरा बैंक से ओवरड्राफ्ट मुख्य रूप से स्टॉक और बुक ऋणों के हाइपोथेकेशन द्वारा और जलयान, प्लांट और मशीनरी, फर्नीचर और फिक्स्चर और वाहनों सहित स्थायी परिसंपत्तियों के समानान्तर बंधक रख कर और 22, ली रोड, कोलकाता-700020 पर कंपनी के फ्लैट का न्यायसंगत बंधक रखकर ली गई है।

अल्पावधि कर्ज पर ब्याज दर का विवरण

मांग करने पर ओवरड्राफ्ट पर भिन्न ब्याज दर 11.10% प्रति वर्ष - 11.25% प्रति वर्ष के बीच पुनर्भुगतान करना है।

ग. भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

विवेकपूर्ण लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप और निरंतर परपाटी के अनुसार,वर्तमान में समापन के अधीन कुछ सहायक कंपनियों को कंपनी के माध्यम से जारी किए गए भारत सरकार के ऋण का लेखांकन नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी द्वारा ऐसी सहायक कंपनियों से ब्याज की प्राप्ति अनिश्चित है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

16 प्रावधान

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
गैर वर्तमान		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
- आनुतोषिक	62.18	55.44
- छुट्टी नकदीकरण	464.92	373.06
	527.10	**428.50**
वर्तमान		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
- आनुतोषिक		
- छुट्टी नगदीकरण	33.71	50.58
- छुट्टी यात्रा रियायत हेतु प्रावधान	-	-
	33.71	**50.58**

क) भारतीय लेखांकन मानक 19 'कर्मचारी हितलाभ' द्वारा आवश्यक प्रकटीकरण द्रष्टव्य 34 में किया गया है।

17 अन्य देयताएँ

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
गैर वर्तमान		
आस्थगित सरकारी अनुदान	184.28	216.80
	184.28	**216.80**
वर्तमान		
सांविधिक बकाया	216.21	57.70
आस्थगित सरकारी अनुदान	32.52	34.75
ग्राहकों से अग्रिम	1,147.83	2,293.07
	1,396.55	**2,385.51**

18 व्यापार देनदारियां

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
व्यापार देनदारियां		
- सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों की कुल बकाया (द्रष्टव्य 35 देखें)	-	-
- सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के अलावे ऋणदाताओं का कुल बकाया	9,113.62	7,597.46
	9,113.62	**7,597.46**

19 अन्य वित्तीय देयताएँ

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
कर्मचारी हितलाभ देय	130.79	58.71
उधारी पर उपचित ब्याज एवं बकाया	34,016.12	34,016.12
पुनर्गठन ऋणपत्र जमा -	-	-
शून्य दर वाले ऋणपत्रों में परिवर्तनीय ऋण पर वर्तमान परिपक्वताएँ	50.00	50.00
व्यापार एवं प्रतिभूति जमा	489.08	480.81
	34,685.99	**34,605.64**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

20 प्रचालन से राजस्व

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
निर्माण ठेके से आय	9,710.22	10,283.15
	9,710.22	**10,283.15**
अन्य प्रचालन आय :		
परियोजना प्रबंधन परामर्शी	882.84	-
स्क्रैप बिक्री	47.17	217.62
	10,640.23	**10,500.77**

21 अन्यान्य आय :

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
सरकारी अनुदान से विभाजित आय	34.75	36.27
ब्याज की आय :	-	-
- बैंक और प्रतिभूति जमा पर	681.79	993.24
- बॉण्ड पर	3.62	3.43
अन्य गैर-प्रचालन आय	1.09	40.45
[विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव का लाभ 0.02 लाख रुपये (विगत वर्ष का 0.11 लाख रु.)]	-	-
पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)	-	341.84
संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	0.36	0.94
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए अनुज्ञा का उलटाव	-	-
बैं. गां का नगदीकरण / सु. ज. एवं ई. एम. डी. की जब्ती.	-	48.60
	721.61	**1,464.77**

22. खपत सामग्रियों की लागत :

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों की प्रारंभिक स्टॉक	622.68	403.55
जोड़ें : वर्ष के दौरान खरीद	3,508.72	2,046.07
	4,131.40	2,449.62
न्यून : कच्चे माल और उपभोग्य सामग्रियों के समापन स्टॉक	836.27	622.68
	3,295.13	1,826.94
जोड़ें : वर्ष के दौरान अन्य खर्च	78.63	36.44
	3,373.76	**1,863.38**

23. मालसूचियों एवं प्रगतिधीन कार्य में बदलाव :

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रगतिधीन कार्य		
वर्ष की शुरूआत में मालसूची	2,275.27	2,277.10
न्यून : वर्ष के अंत में मालसूची	4,537.22	2,275.27
मालसूची में (वृद्धि) /ह्रास	**(2,261.94)**	**1.82**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

24. कर्मचारी हितलाभ खर्च :

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वेतन, मजदूरी और बोनस	1,752.48	1,793.71
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	204.11	230.71
कल्याण खर्च	40.37	65.38
	-	-
	1,996.97	**2,089.80**

क) भारतीय लेखांकन मानक 19 के अनुसार विभिन्न कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान के बारे में प्रकटीकरण द्रष्टव्य 34 में किया गया है।

25. वित्त लागत :

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
परिशोधित लागत पर अंकित वित्तीय देनदारियों पर वित्त शुल्क		
ऋणपत्र	34.75	36.27
	-	-
अन्य-उधारी लागत	-	
बैंक का ब्याज एवं कमीशन	26.16	29.20
	-	-
	60.91	**65.47**

26. मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च :

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
मूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास	117.78	132.45
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	5.10	3.49
	122.88	**135.93**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

27 अन्य व्यय :

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
विज्ञापन	**18.41**	**30.75**
संदिग्ध कर्ज के लिए भत्ते	**-**	**0.04**
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ते	**131.21**	**233.93**
बैंक प्रभार	**0.93**	**0.73**
गाड़ी भाड़ा प्रभार	**50.98**	**52.33**
भंडारण, पुर्जे एवं खुले औजार की खपत	**106.86**	**53.17**
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	**12.36**	**50.00**
बैंक गारंटी का नकदीकरण / ईएमडी, एसडी की जब्ती	**-**	**-**
संरचित इस्पात कार्य व्यय	**877.80**	**405.17**
महसूल और अग्रेषण	**8.30**	**47.16**
बीमा	**8.31**	**3.36**
श्रम उपकर	**40.87**	**54.39**
विधिक / परामर्शी और पेशेवर प्रभार	**952.61**	**136.14**
विविध व्यय	**69.51**	**116.98**
लेखा परीक्षकों का भुगतान	**2.22**	**3.21**
डाक महसूल, दूरभाष और फैक्स	**6.10**	**5.15**
मुद्रण और लेखन सामग्री	**7.33**	**6.40**
पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)	**7.53**	**-**
प्लांट एवं क्रेन भाड़ा प्रभार	**2.46**	**1.17**
बिजली एवं ईंधन	**43.19**	**89.73**
स्थानीय कर एवं उप कर	**7.44**	**4.92**
किराया	**88.65**	**40.99**
मरम्मती एवं अनुरक्षण :	**-**	**-**
- भवन	**0.72**	**0.02**
- संयंत्र और मशीनरी	**0.29**	**0.62**
- अन्यान्य	**7.39**	**3.12**
साइट संस्थापना व्यय	**1.36**	**0.73**
उप ठेका एवं अन्य परिवर्तन प्रभार	**5,333.89**	**6,243.60**
चन्दा और दान	**4.03**	**7.10**
परीक्षण प्रभार	**9.95**	**3.09**
यात्रा खर्च	**40.65**	**55.29**
	7,841.37	**7,649.26**

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

28 कर व्यय :

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वर्तमान आय कर:		
वर्तमान आय कर प्रभार	93.21	141.41
एम ए टी जमा हकदार	-	-
आस्थगित कर :	-	-
अस्थायी अंतर की उत्पत्ति और उलटाव से संबंधित	(61.25)	(17.65)
लाभ या हानि विवरण में आयकर व्यय को मान्यता दी गई	**31.96**	**123.75**

वर्ष के दौरान ओसीआई में विचारित वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे	-	-
वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाएंगे	-	-
ओसीआई का आयकर प्रभार	-	-

लेखांकन लाभ के साथ घरेलू कर दर से गुणा करके कर व्यय का मिलान

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
आयकर से पूर्व लेखांकन लाभ	227.89	159.89
लेखांकन लाभ पर सांविधिक आयकर 27.82% की दर(31 मार्च 2019: 27.82 %)से कर	63.40	44.48
कर उद्देश्यों के लिए इक्विटी खोलने हेतु अनुमति दी गई मदों के बारे में समायोजन (कुल का 1/5 वां)		
कम दरों पर आस्थगित कर के संबंध में समायोजन (26%)	(61.25)	(17.65)
अन्यान्य		
0.94% (31 मार्च, 2019: 17%) की प्रभावी कर दर पर कुल	2.15	26.82
लाभ और हानि विवरण में प्रतिवेदित कुल कर व्यय	**31.96**	**123.75**

प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर को प्रतिवेदन की अवधि के अंत में मान्यता नहीं दी गई

29 आक्समिक देयताएँ और वचनवद्धताएँ

	विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
i)	आकस्मिक देयताएँ		
	- बैंक गारंटी	-	525.39
	- विवादित विक्रय-कर मांग	132.93	132.73
	- विवादित आय-कर मांग	408.83	499.37
	- विवादित सेवा-कर मांग	154.45	154.45
	- आपिल के तहत विवादित भविष्य निधि मांग	54.14	54.14
	- पश्चिम बंगाल के लिए विवादित सेवाकर मांग	-	63.66
	- विवादित माल और सेवाकर मांग (लेनदेन - 1 ब्याज)	12.55	12.55

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

* कंपनी विविध कार्यवाही और दावों के अध्यधीन है जो ऊपर उल्लिखित सामग्री समेत कर प्राधिकारियों के समक्ष मुकदमा सहित व्यापार के सामान्य तरीकों के अंतर्गत उत्पन्न हुए हैं। अनिश्चित एवं सम्भाव्य भुगतान विभिन्न विविध प्रक्रियाओं के परिणाम पर निर्भर हैं, जो दावेदारों या कंपनी द्वारा निरस्त कर दिए गये हैं, जैसी स्थिति हो, तथा जिसका सही पता नहीं लगाया जा सकता हैं। इसके हितों को सुरक्षित रखने के लिए पेशेगत सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, एवं यह परामर्श दिया गया है कि ऐसे विवादों के विरुद्ध मजबूत विधिक स्थितियाँ हैं। प्रबंधन विश्वास करती है कि कार्यवाही के अपने बचाव में इसके पास उचित मामला है तथा तदनुसार आगे कोई प्रावधान अनावश्यक नहीं हैं। कोर्ट केसों के विवरण टिप्पणी 41 में दिया गया हैं।

30 संबद्ध पार्टियों के प्रकटीकरण :

क) निम्नलिखित तालिका संबंधित पार्टी का नाम और कंपनी के साथ अपने संबंध की प्रकृति प्रदान करती है :

नाम	संबंध
श्री सुंदर बनर्जी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर.के. मित्रा	निदेशक (वित्त)
श्री अर्नब चटर्जी	निदेशक (तकनीकी) - 24 अप्रैल, 2019 से
श्री एस.के. सिंह	सरकारी निदेशक
श्रीमती बेला बनर्जी	गैर-सरकारी निदेशक, 02 जून, 2019 तक
श्री तापस कुमार चटर्जी	गैर-सरकारी निदेशक, 02 जून, 2019 तक

ख) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन का विवरण :

	विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
i)	**प्रबंध / पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक :-**		
	निदेशक के रूप में वेतन एवं भत्ते	89.40	50.19
	निदेशक के रूप में भविष्य निधि में अंशदान	6.94	4.71
	(वेतन एवं भत्ते में छुट्टी नकदीकरण शामिल है)		
ii)	गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को बैठक शुल्क	0.00	2.00

ग) संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें :

संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन उन समतुल्य शर्तो पर किये जाते हैं जो आर्म्स लेन्थ लेन-देनों में उपलब्ध है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

31 सिग्मेंट सूचना

भारतीय लेखांकन मानक 108 " अपरेटिंग सिग्मेंट" ("इंडि. ए यस 108") परिचालन और भौगोलिक सिग्मेंट एवं उत्पाद व सेवाएं, भौगोलिक क्षेत्र और प्रमुख ग्राहकों के बारें में प्रकटीकरणों से संबंधित सार्वजनिक व्यवसाय उद्यम रिपोर्ट सूचना हेतु मानक स्थापित करता है, भारतीय लेखांकन मानकों में यथा प्रतिभाषित "प्रबंधन पहल" पर आधारित, परिचालन सिग्मेंट और भौगौलिक सिग्मेंट मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सी.ओ.डी.एम.) को प्रावधानित आतंरिक रिपोर्टिंग से सुसंगत पद्धति में प्रतिवेदित किए जाते हैं। सी.ओ.डी.एम.कंपनी के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं समग्र आधार पर संसाधन प्रावधानित करता है।

कंपनी प्राथमिक रूप में गढ़ाई, जिसे 'परिचालन सिग्मेंट' पर भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सिर्फ प्रतिवेदन योग्य व्यापार सिग्मेंट के रूप में विचार किया जाना है, समेत निर्माण व्यापार में जुडी हुई है।

32 लेखा - परीक्षकों के पारिश्रमिक समेत:

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.80	0.80
कर लेखा परीक्षा शुल्क	0.30	0.30
अन्यान्य	1.25	0.40
कुल	**2.35**	**1.50**

33 भारतीय लेखांकन मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण:

क) उपदान

कंपनी अपने कर्मचारियों को परिभाषित लाभ योजना के तहत लाभ प्रदान करती है जिसे "उपदान योजना" कहा जाता है। उपदान योजना उसी कर्मचारियों के लिए है जिसने कम से कम लगातार पाँच वर्षों तक सेवा प्रदान की हो, को सेवा-निवृति/सेवा छोड़ने के समय पूरी सेवा के प्रत्येक वर्ष हेतु 15 दिनों का वेतन प्रदान किया जाएगा जो 20 ,00 ,000 रु. तक सीमित है।
बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान प्रावधान के प्रति दायित्व का प्रावधान नहीं किया गया है।
कंपनी ने भारतीय एलआईसी समूह उपदान नीति भी अपनाई है, जिसके परिणामस्वरुप एलआईसी द्वारा बीमांकित आधार पर यथा निर्धारित देयता बतौर प्रत्येक वर्ष कंपनी द्वारा दी गयी है।

वित्त वर्ष 2018-19 हेतु कंपनी का उपादान व्यय उपर्युक्त का 87.32 लाख रु.(पिछले वर्ष 126.14 लाख रु.),एलआईसी (निधि प्रशासक) द्वारा निर्धारित देयता 54.44 लाख रु.(पिछले वर्ष 126.06 लाख रु.)थी। उपदान हेतु प्रावधान में के पुरानी उपदान देयता 0.33 लाख रु.(पिछले वर्ष 0.33 लाख रु.) भी शामिल है।

ख) छुट्टी

कंपनी अपने कंपनी कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ (क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित) प्रावधानित करता है जो सालाना 30 दिनों कि जमा होती है। अर्जित छुट्टी (ईएल) सेवा में रहते नगदी योग्य है, तथापि, सेवा-समाप्ति पर नगदीकरण हेतु छुट्टी कि कुल संख्या 300 दिनों तक सीमित होगी, यह योजना अनिधिक है तथा इसकी देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिचिह्नित की जाती है। वर्ष हेतु 498.63 लाख रु. (31 मार्च 2019: 423.63 लाख रु.) का एक प्रावधान वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर रखा गया है, तथा लाभ और हानि के विवरण के नामे लिखा गया है।

निम्नलिखित सारणियाँ लाभ या हानि के विवरण में प्रतिचिह्नित निवल लाभ व्यय के घटकों को सारांशित करती हैं तथा राशियाँ तुलन-पत्र में प्रतिचिह्नित हैं:

दायित्व के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक और समापन शेष का मिलान :

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रारंभिक शेष	423.63	288.70
चालू सेवा लागत	40.91	27.29
गत सेवा लागत	34.42	81.04
ब्याज लागत	25.02	18.77
लाभ का भुगतान	(83.01)	(72.13)
बीमांकिक लाभ	57.65	79.97
अर्जन समायोजन	-	-
अन्त शेष	**498.62**	**423.63**
वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	483.03	423.63
वर्ष के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	**483.03**	**423.63**
वर्तमान प्रावधान	74.99	50.58
गैर-वर्तमान प्रावधान	423.64	373.05

लाभ हानि खाते विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**31 मार्च, 2020**	**31 मार्च, 2019**
सेवा लागत	75.33	108.33
ब्याज लागत	25.02	18.77
लाभ/(हानि) का पुनर्मूल्यांकन		
जनसांख्यिकी धारणा में बदलाव के कारण बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-
वित्तीय धारणा में बदलाव के कारण बीमांकिक लाभ/(हानि)	57.66	7.83
अनुभव समायोजन के कारण वास्तविक लाभ/(हानि)	92.06	72.13
छूट दर से अधिक (कम) योजना संपत्ति पर लाभ	-	-
कुल लागत	**250.07**	**207.07**

पूर्वधारणा	**31 मार्च, 2020**	**31 मार्च, 2019**
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.55%	7.43%
भविष्य में वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%

महत्वपूर्ण पूर्वधारणा के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण और अनुमानित लाभ दायित्व पर प्रतिशत शर्तों में इसका प्रभाव निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2020	
	छूट दर	**वेतन वृद्धि दर**
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में वृद्धि का असर	-4.02%	4.33%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में कमी का असर	4.27%	-4.01%

	31 मार्च, 2019	
	छूट दर	**वेतन वृद्धि दर**
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में वृद्धि का असर	-3.78%	4.04%
अनुमानित लाभ दायित्व पर 50 बीपीएस में कमी का असर	4.06%	-3.80%

इन संवेदनशीलताओं की गणना अलगाव में अनुमानित लाभ दायित्व में संचलन दिखाने के लिए की गई है और यह मानते हुए कि बाजार स्थितियों में कोई अन्य बदलाव नहीं है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

34 सूक्ष्म, लघु और माध्यम आकार के उद्यम को बकाया

सूक्ष्म, लघु और माध्यम आकार ने 26 अगस्त 2008 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जो अनुशंसा करता है कि सूक्ष्म, लघु और उद्यमों को अपने ग्राहक के साथ उनके पत्राचार में ज्ञापन फाइलिंग करने के बाद यथा आवंटित उद्यमी ज्ञापन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए। तदनुसार, मार्च 31, 2020 को ऐसे उद्यमियों को भुगतेय राशि सम्बन्ध में प्रकटीकरण कंपनी में किया गया है। आगे प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, ब्याज का प्रभाव, अगर कोई, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.ई.डी.अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाए की उम्मीद नहीं की जाती है, कंपनी को किसी आपूर्तिकर्ता से ब्याज के लिए दावा नहीं मिला है।

	विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
क)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर बकाया ब्याज शेष नहीं है	शून्य	शून्य
ख)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 की शर्तों के मुताबिक प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान तय तिथि के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गयी राशि के साथ क्रेता द्वारा ब्याज का भुगतान किया गया है।	शून्य	शून्य
ग)	बकाया ब्याज की राशि और भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय(जिसे वर्ष के दौरान तय दिन के बाद भुगतान किया गया है)लेकिन एमएसएमई डी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना ही है।	शून्य	शून्य
घ)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज की राशि तथा जिसका भुगतान नहीं किया है, और	शून्य	शून्य
ङ)	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय अस्वीकृत हो जाने के प्रयोजन से आगे देय ब्याज की शेष राशि और अगले वर्षों में भी देय ऐसी तारीख तक जब उक्त ब्याज की बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान की गयी है।	शून्य	शून्य

35 प्रति शेयर अर्जन

मूल ईपीएस राशि कि गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों को अधिरोप्य वर्ष हेतु लाभ को विभाजित की जाती है।

कम ईपीएस राशियाँ वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी धारकों को अधिरोप्य लाभ जोड़ इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को विभाजित कर गणना की जाती है, जिसे इक्विटी शेयरों में सभी कम संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाएँगी।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

निम्न सारणी प्रति शेयर के मूल और कम अर्जन के गणना को दर्शाती है:

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
इक्विटी शेयर धारकों के लिए जिम्मेदार वर्ष का लाभ	1,95,92,266.44	36,13,260.54
शेयर		
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या - मूल	12,08,605.00	12,08,605.00
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या – तनुकृत	12,08,605.00	12,08,605.00
प्रति शेयर आय		
रु.1000/- समान मूल्य के प्रति शेयर आय - मूल (रु.)	16.21	2.99
रु.1000/- समान मूल्य के प्रति शेयर आय - तनुकृत (रु.)	16.21	2.99

36 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कम्पनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में ऋण व उधार, व्यापार और अन्य भुगतान शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कम्पनी के प्रचालन में वित्तीय सहायता व मदद पहुंचाना है। कम्पनी की मूल वित्तीय सम्पत्तियों में सामान सूची, व्यापार और प्राप्य, नकद व नकद समतुल्य एवं वापसी योग्य जमा जो इसके प्रचालनों से सीधे प्राप्त होती हैं शामिल हैं।

कम्पनी बाजार जोखिम, साख जोखिम तथा नकदी जोखिम के प्रकटीकरण पर है। कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधक इन जोखिमों के प्रबंधन का ध्यान रखते हैं। निदेशक मंडल इन प्रत्येक जोखिम को प्रबंधित करने के लिए समीक्षा व नीति सहमति प्रदान करते हैं जिनका सारांश नीचे दिया गया है।

क) बाजार जोखिम

ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव होगा, बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के जोखिम में कम्पनी का प्रकटीकरण मुख्य रूप से अस्थायी ब्याज सहित कम्पनी के लघु कालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है।

कम्पनी परिवर्तनीय दर उधारों के संतुलित पोर्टफोलियों द्वारा अपना ब्याज दर जोखिम प्रबंधित करती है। कम्पनी किसी ब्याज दर विनिमय में प्रवेश नहीं करती है।

ब्याज दर संवेदनशीलता

निम्नलिखित सारणी ब्याज दरों पर उचित संभावित परिवर्तन में संवेदनशीलता दर्शाती है जिसने ऋणों के भाग और उधारी को प्रभावित किया है। स्थिर धारित सभी अन्य परिवर्तनों के साथ, कम्पनी का कर के पूर्व लाभ अस्थायी दर उधारी पर प्रभाव के माध्यम प्रभावित करता है, जो निम्नानुसार है:

	ब्याज दर में वृद्धि / कमी
31 मार्च, 2020	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%
31 मार्च, 2019	
भारतीय रुपये	+1%
भारतीय रुपये	-1%

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

ख) साख योजना

साख जोखिम वह जोखिम है जो प्रतिलेखी रूप में वित्तीय साधन या ग्राहक ठेका के अधीन अपनी बाध्यता को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय हानि हो। साख जोखिम मुख्य रूप से बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों एवं अन्य वित्तीय साधनों समेत अपने निवेशी क्रियाकलापों से तथा अपने परिचालन क्रियाकलापों (प्राथमिक तौर पर व्यापार प्राप्य) से उत्पन्न होता है।

साख जोखिम एक सतत आधार पर ग्राहकों की साख योग्यता तथा साख सीमा के विश्लेषण द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिस पर साख हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद साख मंजूर की जाती है। व्यापार प्राप्तियों से संग्रहण प्राप्त टीम द्वारा एक सतत् आधार पर प्रबंधित किये जाते हैं।

कम्पनी साख हानि हेतु भत्ता स्थापित करती है जो विगत और हाल की संग्रहण प्रवृत्ति पर आधारित अन्य प्राप्तियों तथा व्यापार के संबंध में सम्भावित हानि का अपना अनुमान प्रस्तुत करती है। वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों के संबंध में साख हानि हेतु भत्ते में परिवर्तन निम्नानुसार थे :

क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	31 मार्च, 2020
प्रारंभिक शेष	1,573.74
क्रेडिट नुकसान दिया गया	131.21
क्रेडिट नुकसान वापस किया	-
अन्त शेष	1,704.95

ग) नकदी जोखिम

कम्पनी का उद्देश्य बैंक जमा और ऋणों के व्यवहार के माध्यम निधियन एवं नम्यता की निरंतरता के बीच एक संतुलन अनुरक्षित रखना है।

यह सारणी संविदात्मक बिना छूट के भुगतानों पर आधारित कम्पनी की वित्तीय देयताओं का परिपक्वता स्वरूप सारांशित करती है :

	ले जाने वाली राशि	12 महीने से कम	12 महीने के बाद	कुल
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष				
उधारी	6,589.00		6,589.00	6,589.00
व्यापार देय	9,113.62	9,113.62		9,113.62
अन्य वित्तीय देयताएं	34,685.99	180.79	34,505.20	34,685.99
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष				
उधारी	6,589.79	-	6,589.79	6,589.79
व्यापार देय	7,597.46	7,597.46	-	7,597.46
अन्य वित्तीय देयताएं	34,605.64	108.71	34,496.93	34,605.64

37. पूंजीगत प्रबंधन

कम्पनी की नीति एक मजबूत पूंजी आधार अनुरक्षित करना है जिससे निवेशक, लेनदार तथा बाजार आत्मविश्वास अनुरक्षित एवं व्यापार का भावी विकास बनाये रखा जा सके। प्रबंधन नियोजित पूंजी पर प्राप्ति के आधार पूंजी एवं कुल इक्विटी अनुपात में ऋण प्रबोधित करता है।

कुल इक्विटी अनुपात में ऋण के उद्देश्य हेतु, विचारित ऋण दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधारी है। कुल इक्विटी जारी शेयर पूंजी और सभी अन्य इक्विटी प्रारक्षित को मिलाकर है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

मार्च 31, 2020, मार्च 31, 2019 को पूंजीगत संरचना निम्नानुसार था:

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कुल इक्विटी विशेषता	20,652.16	21,767.57
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	74.86%	75.79%
वर्तमान परिपक्वता समेत दीर्घकालिक उधारी	347.82	363.07
अल्प कालीन उधारी	6,589.00	6,589.79
कुल उधारी	6,936.82	6,952.87
कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में	25.14%	24.21%
कुल पूंजी (इक्विटी एवं उधारी)	**27,588.98**	**28,720.43**

38 भारतीय लेखांकन मानक 115 " ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व " के अनुसरण में प्रकटीकरण :

क कंपनी 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी, भारतीय लेखांकन मानक 115 " ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व " तथा निर्माण और सेवा कार्यकलापों से पहचाना जाता है जो "ओवर टाइम" पद्धति पर आधारित है और कंपनी डिलीवरी की प्रगति को मापने के लिए समाप्त प्रतिशत विधि का उपयोग कर आउटपुट पद्धति का उपयोग करती है, जो कंपनी द्वारा पहले इस्तेमाल की गई नीति के अनुसार है। कंपनी के वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण लेनदेन का प्रभाव नहीं है।

ख राजस्व का विभाजन

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रचालन से राजस्व	10,593.06	10,283.15
अन्य राजस्व	47.17	217.62
कुल	**10,640.23**	**10,500.77**

39 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

नि.सा.उ. नीति के मुताबिक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के साथ पठित लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उसके ठीक पहले की तीन वित्तीय वर्षो के दौरान अर्जित अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नलिखित है :-

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
क. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	-	-
ख. पिछले वर्ष की घटती राशि	-	24.60
ग. कुल (क+ख)	**-**	**24.60**
घ. वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर व्यय किया गया :		
किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य प्रयोजनों से	12.36	50.00
कुल	**12.36**	**50.00**
घटती राशि	-	-

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

क) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष क दौरान खच की गई राशि :

विवरण	नकद में	नकदी में भुगतान किया जाना है	कुल
किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य प्रयोजनों से	12.36	-	12.36

ख) 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :

विवरण	नकद में	नकदी में भुगतान किया जाना है	कुल
किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
उपरोक्त के अलावा अन्य प्रयोजनों से	50.00	-	50.00

ग) प्रमुख शीर्ष के तहत नि.यो.उ. का खर्च का ब्रेक-अप निम्न है :

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
1. स्वच्छ भारत कोष	-	40.00
2. गंगा सफाई निधि	-	10.00
3. कुशलता विकास प्रशिक्षण	3.00	-
4. शिक्षा	5.38	-
5. स्वास्थ्य	3.98	-
6. सशस्त्र बल झंडा दिवस निधि	-	-
कुल	**12.36**	**50.00**

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

40. कानूनी मामलों की स्थिति

बीबीजे / बीबीयूएनएल से संबंधित 31.03.2020 को लंबित कानूनी मामलों की स्थिति

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
1.	सेवा मामला केस नं. VIII/241/2001, बीबीजे बनाम तरुण घोषाल	2001	• श्री तरुण घोषाल को 08.07.1996 को "गैन्ट्री ऑपरेटर" के पद पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। बीबीजे की 06.05.2000 के एक नोटिस द्वारा श्री घोष की सेवा समाप्त कर दी गई। उक्त बर्खास्तगी के खिलाफ श्री तरूण घोषाल द्वारा औद्यौगिक विवाद अधिनियम के तहत वर्तमान मामला दायर किया गया था। दिनांक 28.01.2009 के एक आदेश द्वारा प्रथम औद्यौगिक न्यायाधिकरण, प.बं. ने श्री तरुण घोषाल के पक्ष में एक अंतरिम राहत प्रदान की थी। यह मामला अभी भी बहस के लिये लंबित है। बीबीजे लिखित बयान दर्ज करके, गवाहों को जोड़कर और निजी जासूस एजेंसी की जांच रिपोर्ट दाखिल करके मामले को लड़ रही है।	सेवा मामला	लंबित है।	मामला बहस के लिए तय हो गया है।	विद्वान प्रथम औद्यौगिक ट्रिब्यूनल, पश्चिम बंगाल
2.	रिट याचिका – डब्ल्यू.पी. 19046 (डब्ल्यू) ऑफ 2008/सीएएन3017 ऑफ 2009/सीएएन 6958 ऑफ 2011 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) – बनाम – एएआईएफआर एवं अन्य	2008	• संक्षेप में तथ्य : कंपनी द्वारा बीआईएफआर के दिनांक 31.08.2005; 06.10.2005; एवं 28.04.2006 के आदेश [एएआईएफआर ने बीआईएफआर के जैसे ही जेसीएल के इक्विटी शेयर 10 रु. से घटाने की अनुमति देने से "राइट" आधार परइक्विटी शेयरों के निर्गम से पूंजी निषेचन हुई, जो सेबी औपचारिकताओं के अनुपालन से "राइट" निर्गम की छूट थी एवं • जेसीएल को एसआईसी (विशेष प्रवधान) अधिनियम 1985 के दायरे के बाहर घोषित करना है] के विरुद्ध अपील को एएआईएफआर द्वारा 28.02.2008 को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए रिट यायिका दायर की है।	एएआईएफआर के दिनांक 28.02.2018 के आदेश के विरूद्ध रिट याचिका	लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष) के समक्ष सुनवाई के लिए मामला अभी तक सूची में नहीं आया है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष)
3.	पैसे का मुकदमा, स्वामित्व मुकदमा, टीएस सं. 2016 का 3827 / 2016 का 0001653 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) – बनाम- जेसप एण्ड कंपनी लि.	2009	• संक्षेप में तथ्य : कंपनी द्वारा 2005 में गलती से वापस की गई सितम्बर, '01 से अगस्त, '03 की सेवा प्रभार 82,71,520/- रुपये के साथ ब्याज, लागत की वसूली के लिए। • डीलिंग सॉलिसिटर : सैण्डर्सन्स एण्ड मोर्गन्स	82,71,520/- रुपये	लंबित है।	मामला सुनवाई और बहस हेतु लंबित है।	न्यायालय, विद्वान प्रथम सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीज़न), 24 परगना (दक्षिण)

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण । मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
4.	रिट याचिका, 2010 का डब्ल्यू. पी. 4224 (डब्ल्यू) इंडो–वैगन – इंजी. लि. एवं अन्य बनाम (1)यूनियन ऑफ इंडिया (2) बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) (3) स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2016 का 0001653 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) – बनाम-जेसप एण्ड कंपनी लि.	2010	• **संक्षेप में तथ्य :** बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) द्वारा याचिकाकर्ता के संग की गई एसएचए के स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिमेट के रूप में अभिरक्षा की तारीख से 72% शेयरों को 3 वर्ष के लिए स्थानांतरित कर धरोहर रखना था परन्तु बीबीयूएनएल (अब बीबीजे) 3 वर्ष खत्म हो जाने के बाद भी धरोहर वाले शेयरों के बारे में "धरोहर बंदी पुष्टि फार्म" निर्गत नहीं की।	रिट याचिका	लंबित है।	मामला माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष) के समक्ष अभी भी सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष)
5.	मध्यस्थता अपील एपी सं. 2010 का 738/ बीबीजे – बनाम - सीवटेक	2010	• **संक्षेप में तथ्य :** मेसर्स बीबीजे के खिलाफ पारित पुरस्कार को चुनौती देते हुए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिका को संबर 2010 के दौरान कलकता में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था। तब से यह मामला लंबित है।	17 लाख रुपये + ब्याज	लंबित है।	इस मामले की माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)
6.	मध्यस्थता अपील एए नं. 2010 का 1 (कुंवरी प्रथम ब्रिज कंट्राक्ट मामला नार्थ सेंट्रल रेलवे – बनाम- बीबीजे)	2010	• **संक्षेप में तथ्य :** मेसर्स बीबीजे के पक्ष में शून्य दायिता एवार्ड पारित। नार्थ सेंट्रल रेलवेज ने कथित एवार्ड को आब्रिटेशन एण्ड कांसिलीयेशन एक्ट, 1996 की धारा-34 के तहत विद्वान ग्वालियर जिला न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। मेसर्स बीबीजे को कोई प्रतिलिपि नही दी गई है, इसलिए किसी को रखा नहीं गया है। फिर भी नार्थ सेंट्रल रेलवेज का कथित दावा खारिज कर दी गई है एवं दिनांक 09.11.2009 को आदेश पारित किया है। नार्थ सेंट्रल रेलवेज ने अपकृत होकर विद्वान जिला ल्यायालय के कथित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के ग्वालियर पीठ के समक्ष चुनौती दी है। मेसर्स बीबीजे को अपूर्ण प्रतिलिपि दी गई है। मेसर्स बीबीजे को अपील पर आपत्ति दायर करना है	शून्य दायिता	लंबित है।	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. (ग्वालियर शाखा) के डिवीज़न बेंच के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. (ग्वालियर शाखा)

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
7.	अपील मामला 2015 का एपीओ 45 / 2013 का जी.ए. 932 / 2013 का एपीओटी 61 / 2013 का डब्ल्यू. पी.1509 टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड एण्ड अन्य – बनाम – (1)यूनियन ऑफ इंडिया (2) जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (3) बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) (4) ए एफ फर्गूसन एण्ड कंपनी (5) इंडो-वैगन इंजी. लि.	2013	**संक्षेप में तथ्य :** उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के रिट याचिका सं. 2013 के 1509 (और वहीं से निकल कई अन्य सामान्य आवेदनों)के 19.12.2012 के आदेश के विरूद्ध डिजीज़न बेंच के समक्ष अपील की गई है। ● याचिका कर्ता को मालूम नहीं था कि जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड को मेट्रो रेलवे, कोलकाता की 5.5 एकड़ जमीन की बिक्री से 14 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। यद्यपि प्रतिवादी सं. 5 (इंडो वैगन) को इसकी जानकारी थी। ● बोली खुलने के बाद आरक्षित मूल्य तय किया गया।	अपील मामला	लंबित है।	इस मामले की माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, सिविल अपीलीय न्यायाधिकार, मूल पक्ष
8.	अपील मामला 2013 का एसएलपी (सिविल) संख्या 33210 अब ये सिविल अपील संख्या 7430/ 2019 के रूप में आता है। बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड– बनाम – (1) समादारिया बिल्डर्स (2) यूनियन ऑफ इंडिया (2) जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (3) बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल)	2013	● **संक्षेप में तथ्य :** बीएससीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली 8.8646 एकड़ जमीन जबलपुर (मप्र) में है। माननीय बीआईएफआर पीठ के साथ–साथ भारत सरकार के अनुमोदन करने पर बीएससीएल ने वर्ष 2002 में एमएसटीसी के जरिएजमीन की बिक्री करने की चेष्टा की। मेसर्स समादरिया बिल्डर्स सर्वोच्च बोली लगाने वाला था। रेलवे ने प्रक्रिया के दौरान जमीन लेना चाहा और इसलिए ईमडी आदि निरस्त कर दिया गया। फिर प्रक्रिया में देर हो जाने से रेलवे ने भी बीबीयूएनएल को सूचित किया कि वे जमीन लेने में इच्छुक नहीं हैं। तत्पश्चात्, बीएससीएल ने मई, 2005 में कथित जमीन की बिक्री के लिए नई एनआईटी जारी की। मेसर्स समादरिया ने नोटिस को चुनौती देते हुए जबलपुर में उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश ने 26.06.2003 को उक्त रिट याचिका के निपटारा हेतु यह निदेश दिया कि यदि मेसर्स समादरिया बिल्डर्स द्वारा पहले की बोली से दुगुनी राशि का प्रस्ताव दी जाती है तो बीएससीएल बिषय को अंतिम रूप दे सकती है और नियत राशि प्राप्त करने बाद संलेख आदि निष्पादित कर सकती है।	स्पेशल लिव याचिका (एसएलपी) (जबलपुर, म. प्र. में बीएससीएल की जमीन की बिक्री के मामले में)	लंबित है।	मामले की सुनवाई किया जाना है।	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
			• बीएससीएल 26.06.2003 को उक्त आदेश से उपकृत होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अंतरिम राहत हेतु प्रार्थना करते हुए 2013 की एसएलपी (सिविल) सं. 33210 दायर की है। इस अपील में यूओआई (सचिव, भा.स., भाउ एवं लोउमं, भाउवि के माध्यम से सेवा) तथा बीबीयूएनएल प्रतिवादी सं. 2 और 3 हैं। • भाउवि द्वारा सलाह देने पर कंपनी मुकदमे का रिकार्ड एवं स्थिति तब तक रख रही है जब तक कि मामले में रेल मंत्रालय का नाम नहीं आ जाता है या उत्तरदाताओं की सूची से भाउवि का नाम हटाने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश पारित नहीं किया जाता है।				
9.	बिजली मामला इलेक्ट्रिसिटी सर्टिफिकेट मुकदमा सं. 01/13-14 बीएसईबी – बनाम - बीबीजे	2013	• बिहार स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड (बीएसईबी) को अब बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (बीएसपीसीएल) के रूप में जाना जाता है ने गंगा पुल परियोजना स्थल पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए बीबीजे से अवैध रूप से 58.23 लाख रुपये की मांग की गई। • बीएसईबी ने बीबीजे से 58.23 लाख रुपये की वसूली के लिए इस 2013-14 का इलेक्ट्रिसिटी सर्टिफिकेट मुकदमा सं. 01 दायर किया है। • बीबीजे, बीएसईबी के उक्त जबरदस्त कार्रवाई के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर हो गयी थी।माननीय पटना उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 22.10.2013 द्वारा विशेष रूप से बीएसईबी (अब बीएसपीसीएल) को निर्देश दिया था कि वह बिल के भुगतान के लिए किसी भी आग्रह के बिना योग्यता के समझौते के खंड 13 के प्रकाश में बीबीजे के पत्र दिनांक 31.05.2011 पर विचार करें। जब तक मामला आखिरकार निस्तारित नहीं हो जाता है बीबीजे के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने के लिए बीएसईबी (अब बीएसपीसीएल) को रोक दिया गया है।6 साल के अंतराल के बाद, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने बीबीजे के दावों को खारिज करते हुए बीबीजे को 15.01.2019 को एक पत्र संख्या 46 जारी किया। बीबीजे ने उत्तर में दिनांक 28.01.2019 के पत्र द्वारा फिर से बीएसपीसीएल को माननीय पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 22.10.2013 के आदेश में दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करने का अनुरोध किया।	58.23 लाख रुपये	लंबित है।	यह मामला विद्वान जिला नीलामी सर्टिफिकेट अधिकारी, मुंगेर के न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	विद्वान जिला नीलामी सर्टिफिकेट अधिकारी, मुंगेर के न्यायालय,

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
			• बीएसपीसीएल ने फिर से 2013-14 के इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट केस नंबर 1 को उत्तेजित किया और नीलामी अधिकारी, मुंगेर ने बीबीजे के खिलाफ, दिनांक 13.02.2019 को उसके सामने पेश होने के निर्देश के साथ 30.01.2019 को ' अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए कारण के बारे में पूछताछ हेतु नोटिस जारी किया' । • अब बीबीजे उक्त मामले को जिला नीलामी सर्टिफिकेट अधिकारी, मुंगेर के न्यायालय के समक्ष लड़ रही है।				
10.	सेवा मामला 2014 का डब्ल्यू. पी. 14592 (डब्ल्यू) श्रीमती सरोज अग्रवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2) बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) एवं अन्य	2014	• **संक्षेप में तथ्य :** प्रबंधन द्वारा 30 अप्रैल, 2014 के पत्र के जरिए याचिकाकर्ता, श्रीमती सरोज अग्रवाल को बर्खास्त कर दिया गया था एवं उनकी सभी बकाया नियोजन की शर्तों के मुताबिक निपटारा किया गया था।	रिट याचिका (सेवा मामला)	लंबित है।	इस मामले की सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष) में सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, (अपीलीय पक्ष)
11.	अपील मामला 2014 का डी.आर.ए. टी. आवेदन संख्या 105, 106, 107, 108 एवं 109 ओएमडीसी बनाम यूको बैंक एवं अन्य	2014	• संक्षेप में तथ्य : यूको बैंक ने डीआरटी से 04.11.2003 को बीपीएमईएल (समापन में) से 2,16,13,312,35/- रुपये के लिए यूओआई से संयुक्त रूप से, अलग से एवं व्यक्तिगत रूप से "उपरोक्त प्रमाणित राशि" पर 08.05.1991 से उगाही होने तक 19.5% की दर पर ब्याज कुल मिलाकर 4,08,26,270/- रुपये प्राप्त करने की एक डिक्री प्राप्त कर लिया था, जिसे	अपील मामला [बीपीएमईएल (समापन के अधीन) के विरूद्ध यूको बैंक के बकाये के बारे में]	लंबित है।	विद्वान ऋण वसूली अपीलीय ट्राईब्यूनल के समक्ष यह विषय सुनवाई हेतु लंबित है।	विद्वान ऋण वसूली अपीलीय ट्राईब्यूनल

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
	[यहां यूनियन ऑफ इंडिया बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) प्रतिवादी हैं]		टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड को यूको बैंक द्वारा हस्तांतरित किया गया था। • बर्ड एण्ड कंपनी की सहायक कंपनी ओडिसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) पहले ओडिसा राज्य में तीन खदानों का प्रचालन करती थी एवं जब 14.10.1980 को बीपीएमईएल सरकारी कंपनी के तौर पर निगमित हुई तो भारत सरकार के खदानों के बीपीएमईएल के प्रशासनिक नियंत्रण में निहित करने की अधिसूचना जारी की। तब से ओएमडीसी अपना प्रचालन कर रही है, बीपीएमईएल को ओएमडीसी के सभी कार्यकलाप करने हेतु पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) दी गई थी। • अब इस पीओए के अधिकार के गुणों के मुताबिक सुरक्षित लेनदार टीपीजी ने वसूली अधिकारी से इन तीनों खदनों के कब्जा हेतु आदेश हासिल कर लिया और तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी, डीआरटी से प्राप्त कर लिया। • ओएमडीसी खिन्न होकर डीआरटी के समक्ष पी.ओ./ डीआरटी -1 द्वारा पारित पूर्ववर्ती आदेशों के पुनर्विचार / रिनस्त करने एवं टीपीजी को दिए यूको बैंक के हस्तांतरण को रद्द करने के लिए आवेदन दिया, जहॉ यूओआई एवं बीबीयूएनएल प्रतिवादी हैं। • भाउवि ने अपने काउन्सेल को कहा कि मुकदमे का बचाव ठीक तरीके से करें एवं बीबीयूएनएल के सीएमडी को माननीय डीआरएटी के समक्ष दोनों कोर्ट मामलों का प्रभावी रूप से बचाव करने को कहा। तदनुरूप, कंपनी ने यूओई के साथ औपचारिक प्रतिवादी के तौर पर उपस्थित हुई एवं लड़ी।				

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
12.	आब्रिटेशन मामला 2016 का ए.पी. संख्या 9 2016 का जी.ए. संख्या 120 इंडो वैगन इंजी. कंपनी लि. बनाम बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल)	2016	• **संक्षेप में तथ्य :** कंपनी एवं इंडो वैगन इंजी. कं. लि. (आईडब्ल्यूईएल) और बीबीयूएनएल के बीच जेसप एण्ड कंपनी लिमिटंड ("जेसप") एवं अन्य से संबंधित विवादों के लिए एक मध्यस्थता कार्यवाही की गई थी। • एकल मध्यस्थ ने 11.09.2005 को प्रतिवादी (आईडब्ल्यूईएल) के विरूद्ध दावेदार (कंपनी) के पक्ष में फैसला दिया। आगे यह निर्णय दिया गया कि फैसला देने की तारीख से तीन महीने के भीतर दावा विवरण की प्रार्थना (सी) और (जी) में दी गई राशि के भुगतान करने में प्रतिवादी असफल रहने पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रतिवादी द्वारा दावेदार को देय होगा। .....अवार्ड का कुल मूल्य 41.02 करोड़ (लगभग) है। • आईडब्ल्यूईएल खिन्न होकर 05.01.2016 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 11.09.2015 के कथित अवार्ड खारिज करने के लिए याचिका दायर की है।	41.02 करोड़ रुपये + ब्याज	लंबित है।	इस मामले की अगली सुनवाई के लिए माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष) में सूचीबद्ध किया जाना है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, (मूल पक्ष)
13.	कर्मचारी भविष्य निधि का मामला 2016 का अपील संख्या ई.पी.एफ.- 09 [पुरानी संख्या 2016 का 299 (15)] बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल) बनाम सहायक भविष्य निधि कमिश्नर, क्षे. का. , कोलकाता	2016	• **संक्षेप में तथ्य :** सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षे.का., कोलकाता ने कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14 (बी) एवं 7 (क्यू) के अधीन कुल 96,09,773/- रुपये की क्षतिपूर्ति कावा किया है। कई बार एपीएफसी, क्षे.का. , कोलकाता ने फिर 15.02.2016 के आदेश के जरिए कथित अधिनियम की धारा 14 (बी) के अधीन उरोक्त क्षति के लिए 66,43,791/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। • कंपनी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्राईब्यूनल, नई दिल्ली में चुनौती दी गई है। • ट्राईब्यूनल ने मूल्यांकित राशि का 50% जमा करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा एक आवेदन देने पर विद्वान पीठासीन अधिकारी ने 22.09.2016 के आदेश के जरिए 16,76,335/- रुपये जमा करने का आदेश दिया है। कंपनी ने उक्त रकम को 01.10.2016 को एपीएफसी, क्षे.का., कोलकाता के पास जमा कर दी है।	66,43,791/- रुपये	लंबित है।	यह मामला सुनवाई के लिए सीजीआईटी, कोलकाता में लंबित है।	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक ट्राईब्यूनल सह श्रम न्यायालय, (सीजीआईटी), कोलकाता

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
			• इस बीच 26.05.2017 की अधिसूचना के अनुसार ईपीएफएटी, दिल्ली और बेंगलुरु को समाप्त कर दिया है तथा उक्त ट्राईब्यूनल में लंबित मामले अब संबंधित राज्य के केंद्रीय सरकार औद्योगिक ट्राईब्यूनल सह श्रम न्यायालय, (सीजीआईटी) में स्थानांतरित हो जाएगी। ईपीएफएटी को भंग करने पर विचार करते हुए मामले को आगे की कार्यवाही हेतु सीजीआईटी, कोलकाता में स्थानांतरित कर दिया गया है। • 05.10.2018 को सुनवाई के लिए सीजीआईटी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। कंपनी ने सीजीआईटी के समक्ष पेश हुई थी एवं एक वकालतनामा दायर की।				
14.	मध्यस्थता अपील आब्रि. अपील 2019 का (जोगीगोपा ब्रिज कंट्राक्ट मामला) उत्तर सीमांत रेलवे बनाम बीबीजे	2016	• संक्षेप में तथ्य : मामला असम में निर्मित जोगीघोपा पुल से संबंधित है। मेसर्स बीबीजे के पक्ष में ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले के अनुपालन में हालांकि, उत्तरी सीमांत रेलवे द्वारा आंशिक भुगतान किया गया था और दूसरा हिस्सा बिना किसी विवाद के एन एफ रेलवे के इशारे पर सुलह की प्रतीक्षा के कारण बना रहा है। एन एफ रेलवे ने गौहाटी में विद्वान जिला न्यायालय के समक्ष अवार्ड को चुनौती दी । 23.07.2014 को विद्वान जिला न्यायाधीस, कामरूप, गुआहाटी ने एन एफ रेलवे के दावा को खारिज कर दिया। 351 दिनों की देरी के बाद एन एफ रेलवे ने माननीय गुआहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान आब्रिट्रेशन अपील दायर की।	शून्य दायिता	लंबित है।	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, गुआहाटी के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, गुआहाटी
15.	सिविल अपील 2017 का पी.पी. अपील संख्या 6 (विक्टोरिया हाऊस मामला) बीबीजे बनाम के ओ पी टी (अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट)	2017	• संक्षेप में तथ्य : यह मामला लोक भवन (अनधिकृत कब्जे से बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 7 (3) के तहत बीबीजे के खिलाफ 01.04.1988 से 31.03.1989 तक 'विक्टोरिया वर्क्स' के अनधिकृत रुप से कब्जा करने से हुई क्षति के लिए रु. 10,57,872 भुगतान करने के लिए है । बीबीजे द्वारा विभिन्न आधारों पर एस्टेट ऑफिसर के समक्ष केओपीटी के दावे को चुनौती दी गई थी। 08.03.2017 को एक प्रतिवादी आदेश द्वारा केओपीटी के विद्वान एस्टेट अधिकारी ने केओपीटी के दावों को सही ठहराया। उक्त आदेश से खिन्न होकर विगत 08.03.2017 को बीबीजे ने अलीपुर में विद्वान डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष यह अपील दायर की।	रु .10,57,872/- + लंबित ब्याज (केओपीटी का कुल दावा 50 लाख लगभग है)	लंबित है।	मामला सुनवाई के लिए लंबित है। तृतीय अतिरिक्त जिला जज, 22.06.2017 के आदेश के जरिए कोओपीटी के सम्पदा अधिकारी द्वारा लगाए गए विरोध भुगतान आदेश पर रोक लगा दी गई।	विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीध का न्यायालय, अलीपुर

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
16.	विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीध का न्यायालय, अलीपुर पुनर्विचार याचिका : 2018 का सी.ओ. नं. 1157 यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यूको बैंक एवं अन्य प्रतिवादी 1 यूको बैंक 2 टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एण्ड प्राईवेट लिमिटेड 3 बीपीएमईएल (समापन के अधीन) 4 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल)	2018	• संक्षेप में तथ्य : पहले वसूली अधिकारी के दिनांक 23.03.2011 के आदेश के विरूद्ध कंपनी द्वारा दाखिल 2011 की अपील सं. 2 में विद्वान पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली ट्राईब्यूनल-1, कोलकाता के 23.02.2012 के आदेश के विरूद्ध यूओआई ने 2112 के अपील, मुकदमा संख्या 118 देखें, कंपनी द्वारा अपील एवं टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एण्ड प्राईवेट लिमिटेड द्वारा क्रॉस अपील दाखिल किया गया है । • विद्वान पीठासीन अधिकारी ने 23.02.2012 के आदेश के जरिए बीपीएमईएल के शेयरों को कुर्की के आदेश को निरस्त कर दिया है। तथापि उक्त आदेश में यूनियन ऑफ इंडिया को उनकी देयता या दूसरी ओर से कर्तव्य मानते हुए बीपीएमईएल के शेयरों को टीपीजी इक्विटी मैनेजमेंट एण्ड प्राईवेट लिमिटेड को हस्तांरित करने को कहा है। • इस मामले को सुनवाई के लिए जारी रखने के लिए 12.02.2018 को उठाया गया था। सरकारी वकील के सुनवाई जारी रखने के लिए कहने पर, ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता और सरकारी वकील की ओर से पिछली खामियों के कारण मामले की सुनवाई के लिए विचार नहीं किया और फिर से बहाली आवेदन को खारिज कर दिया। • खिन्न होकर, यूनियन ऑफ इंडिया ने माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष 10.5.2018 को एक संशोधन याचिका दायर की है । यह मामला माननीय न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य, उच्च न्यायालय, कलकत्ता की सूची में मोशन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस मामले में बीबीजे औपचारिक प्रतिवादी है।	पुनर्विचार याचिका	लंबित है।	इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष) में लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, (अपीलीय पक्ष)
17.	निष्पादन मुकदमा 2018 का ई. सी. संख्या 458 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीबीयूनएल)बनाम इण्डो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	2018	• संक्षेप में तथ्य : कंपनी एवं इण्डो वैगन इंजी. कं. लि. (आई डब्ल्यू ई एल) के बीच जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (“जेसप“) एवं अन्य के इक्विटी शेयरों से संबंधित विवादों के लिए मध्यस्थता कार्यवाही की गई थी। • एकल मध्यस्थ ने 11.09.2015 को प्रतिवादी (आईडब्ल्यूईएल) के विरूद्ध दावेदार (कंपनी) के पक्ष में फैसला दिया। आगे यह भी निर्णय दिया कि फैसला	41.02 करोड़ रु. + ब्याज	लंबित है।	इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष) में लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता, (मूल पक्ष)

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
			देने की तारीख से तीन महीने के भीतर दावा विवरणी की प्रार्थना (सी) और (जी) में गई राशि के भुगतान करने में प्रतिवादी असफल रहने पर 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रतिवादी द्वारा दावेदार को वास्तविक वसूली होने तक देय होगा। अवार्ड का कुल मूल्य 41.02 करोड़ रु. (लगभग) है। • आईडब्ल्यूईएल पीड़ित होकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 05.01.2016 को 11.09.2015 के कथित अवार्ड खारिज करने के लिए याचिका दायर की है। • सैण्डर्सन्स एवं मोर्गन्स द्वारा सुझाव देने पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले के समर्थन में कंपनी ने 19.09.2018 को इस निष्पादन आवेदन फाइल किया है।				
18.	मध्यस्थता अपील आब्रिट्रेशन नं. 2018 का 21 (चंबल द्वितीय ब्रिज कंट्राक्ट मामला नार्थ सेंट्रल रेलवेज – बनाम-बीबीजे)	2018	• **संक्षेप में तथ्य :** एक शून्य देयता आब्रिट्रेशन फैसला दिनांक 07.04.2018 को मेसर्स बीबीजे के पक्ष में पारित किया गया था। उत्तर मध्य रेलवे ने जिला न्यायालय, इलाहाबाद, उ.प्र. के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (आब्रिट्रेशन केस संख्या - 2018 का 21) के तहत उक्त फैसले को चुनौती दी। • बीबीजे ने 16.07.2018 को सम्मन प्राप्त किया और अब विद्वान जिला न्यायाधीश के कोर्ट, इलाहाबाद, यूपी के समक्ष उक्त मध्यस्थता अपील लड़ रहा है।	शून्य दायिता	लंबित है।	यह मामला विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट, इलाहाबाद, यूपी के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट, इलाहाबाद, यूपी
19.	आब्रिट्रेशन कार्यवाही (संदर्भ पूर्व आग्रह मुकदमा नं. 2018 का 175) (मुगलसराय परियोजना मामला) : बीबीजे – बनाम- ईस्ट सेंट्रल रेलवे)	2018	• पूर्व मध्य रेलवे के विरूद्ध बीबीजे के वैध दावे के बारे में रु. 40.77 करोड़ (+ 18% ब्याज) के बारे में उनके द्वारा ठेके की गैरकानूनी समापन का विवाद पहले माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया गया था। • माननीय पटना उच्च न्यायालय ने मामले में हस्तक्षेप किया था और पूर्व मध्य रेलवे को पीबीजी या बीबीजे द्वारा प्रस्तुत किसी भी अन्य प्रतिभूति को, पूर्व मध्य रेलवे ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन तक नकदीकरण करने से रोक दिया था। आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जो कि जीसीसी के अनुसार आर्बिट्रेटर (रों) की नियुक्ति के तुरंत बाद शुरू होने जा रहा है।	रु.40,77,31,094.00 + ब्याज 18%	लंबित है।	यह मामला एकल मध्यस्थ – माननीय न्यायाधीश, श्री धरणीधर झा (सेवानि.) के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	एकल मध्यस्थ – माननीय न्यायाधीश, श्री धरणीधर झा (सेवानि.)

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
			• नोटिस दिनांक 11.07.2018 के जरिए बीबीजे ने पूर्व मध्य रेलवे से मध्यस्थता की मांग की। लेकिन वे आज तक जवाब देने में असफल रहे। • बीबीजे ने विवाद को ठीक से और निष्पक्ष रूप से निर्णय करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तत्काल नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11(6) के तहत यह आवेदन दायर किया है। • उक्त मामले में माननीय मुख्य न्यायाधीश, अमरेश्वर प्रताप शाही, पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.05.2019 के आदेश द्वारा एकल मध्यस्थ – माननीय न्यायाधीश, श्री धरणीधर झा (सेवानि.) को नियुक्त किया है।				
20.	सेवा मामला रि.या. नं. 2018 का 18933 (डब्ल्यू), बीबीजे – बनाम - पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्यान्य	2018	• माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष तत्काल लिखित याचिका दायर की गयी है, जो कि तरुण घोषाल के मामले में विद्वान प्रथम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, पश्चिम बंगाल द्वारा पारित आदेश संख्या 230, दिनांक 20.04.2018 को चुनौती देती है (केस संख्या VII/241/2001)। • दिनांक 20.04.2018 के उक्त आदेश में विद्वान ट्रिब्यूनल ने बीबीजे के आवेदन को श्री तरुण घोषाल के विशिष्ट प्रश्नों पर 'री-क्रॉस जांच' करने के लिए खारिज कर दिया था कि क्या साक्ष्य के पूरा होने के बाद भी वह नियोजित है या नहीं, जो यह निर्धारित करेगी कि वह किसी भी अंतरिम राहत पाने का हकदार है। • श्री तरुण घोषाल के 2000 से 2017 तक के रोजगार में रहने के बारे में बीबीजे के दावे के समर्थन में, बीबीजे ने विद्वान ट्रिब्यूनल के समक्ष निजी जासूस एजेंसी की गुप्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। • विद्वान ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 20.04.2018 से खिन्न होकर बीबीजे ने माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष त्वरित रिट याचिका दायर की है, जिसमें उचित न्याय की मांग की गई है।	सेवा मामला	लंबित है।	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (अपीलीय पक्ष)

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
21.	आब्रिट्रेशन अपील कार्यवाही [बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू) परियोजना का मामला] विविध मामला सं. 2019 का 26 विविध मामला (आब्रिट्रेशन) सं. 2019 का 0000026 बीबीजे (पूर्ववर्ती बीयूएलएल) बनाम मेसर्स डटसन जी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड –बनाम–बीबीजे के बीच	2019	• संक्षेप में तथ्य : बीबीजे ने दिनांक 25.03.2010 को मेसर्स डटसन जी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (डटसन)को बीएयू के अधीन 4 भवनों यथा एडमिन.बिल्डिंग (ब्लॉक I एवं II), एडमिन.बिल्डिंग (ब्लॉक III), लेक्चर थियेटर एवं डेयरी प्लांट बिल्डिंग के निर्माण के लिए एलओआई एवं अलग कार्य आदेश जारी की थी। समूची परियोजना को सौंपने के लिए कंट्राक्चूअल तारीख 12 महीने की थी। • डटसन की तरफ से अत्यधिक विलंब करने, धीमी प्रगति एवं काम के रूक जाने से बीएयू समय बढ़ाने के लिए एलडी कटौती कर दी एवं पहले की आरए बिलों के भुगतान करने से मना कर दिया जब तक कि डटसन कार्य शुरू नहीं कर देता और आरए बिल प्रस्तुत नहीं कर देता है। इस पृष्ठभूमि के तहत डटसन ने 14.12.2015 की नोटिस के तहत मध्यस्थता का आव्हान किया। ठेके के प्रावधान के मुताबिक बीबीजे ने श्री इंद्रजीत सेनगुप्ता को एकल मध्यस्थ के तौर पर रखा। प्रथम बैठक 29.03.2016 को हुई थी। • मार्च 2016 से लम्बी कार्यवाही चलने के बाद विद्वान एकल मध्यस्थ ने 18.02.2019 को एवार्ड पारित किया। उक्त फैसले में दावेदार (डटसन) के	रु. 91.73 लाख	लंबित है।	यह मामला तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीपुर, जिला दक्षिण 24 परगना में सुनवाई के लिए लंबित है।	विद्वान तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अलीपुर, जिला - दक्षिण 24 परगना

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
			कुछ दावे पर एकल मध्यस्थ द्वारा गलत तरीके से अनुमति दी गयी थी जो कंपनी के खिलाफ हैं और जिसका कुल लागत 91.73 लाख रु. है। • दिनांक 18.02.2019 की उक्त मध्यस्थता फैसले से खिन्न होकर बीबीजे ने 15.05.2019 को अलीपुर में जिला न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत यह अपील दायर की।				
22.	रिट मामला सिविल रिट जुरिडिक्शन मुकदमा – सीडब्ल्यूजेसी नं. 2019 का 17069 माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार के समक्ष लंबित है। बीबीजे - बनाम – बीएसपीएचसीएल के बीच	2019	• संक्षेप में तथ्य : उपर्युक्त विद्युत प्रमाणपत्र केस संख्या 01 /13-14 के संदर्भ में, जिला नीलामी प्रमाणपत्र अधिकारी, मुंगेर के न्यायालय के समक्ष लंबित, बीबीजे ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) के खिलाफ माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका दायर की है।	रिट मामला	लंबित है।	यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार के समक्ष स्वीकृति सुनवाई के लिए लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, पटना, बिहार
23.	आब्रिट्रेशन याचिका (संदर्भ ए.पी. नं. 2019 का 188, ए.पी. नं. 2018 का 330 से उठा)(सियालदह, हावड़ा, आसनसोल और मालदा डिवीजन परियोजना) बीबीजे – बनाम - ईस्टर्न रेलवे)	2019	• पूर्व रेलवे के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही 2012 से लंबित है। • आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के गठन के सात साल बीतने के बावजूद, केवल एक मध्यस्थ बैठक 31.07.2014 को आयोजित की गई है और मध्यस्थता कार्यवाही में आगे कोई विकास नहीं हुआ है। • यह कि बीबीजे के पूर्व रेलवे के खिलाफ रु.1.20 करोड़ का भारी दावा स्वीकृत है और अन्य दावे भी हैं जिन्हें आर्बिट्रेशन में अधिनिर्णय किये जाने की जरूरत है। • बीबीजे से कई पत्र प्राप्त करने के बावजूद, महाप्रबंधक, ईस्टर्न रेलवे और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बीबीजे द्वारा उठाए गए आर्बिट्रल विवाद पर फैसला करने और उसमें आवश्यक अवार्ड पारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में विफल रहें और जानबूझकर उपेक्षित किये हैं।	रु.4,92,55,482/- + ब्याज	लंबित है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष) के समक्ष मामला सुनवाई कं लिए सूचीबद्ध है।	माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता (मूल पक्ष)

दि ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

क्रम सं	केस का किस्म	प्रारंभ होने का वर्ष	विवरण	कितनी राशि शामिल है (रु में)	केसों की वर्तमान स्थिति	लंबित पड़े / विद्यमान रहने का कारण। मानिटरिंग रचनातंत्र की प्रभावोकारिता	किसके समक्ष लंबित है
			• इसलिए, बीबीजे और पूर्वी रेलवे के बीच लंबे समय से लंबित विवाद को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थ टाईब्यूनल नियुक्त करने और इस लंबित विवाद में अधिनिर्णय करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के समक्ष 2018 की 330 दाखिल किया। • 28.06.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने बीबीजे की प्रार्थना की अनुमति देते हुए आर्बिट्रल टाईब्यूनल को फरवरी, 2019 के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दिया । लेकिन दुर्भाग्य से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने उक्त आदेश की उपेक्षा की और फरवरी, 2019 के भीतर मध्यस्थता कार्यवाही समाप्त करने में विफल रहा। • कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलने पर, कंपनी ने पूर्व रेलवे और उसके जी.एम. के खिलाफ उक्त आदेश की अवहेलना के लिए दिनांक 28.06.2018 को वर्तमान आब्रिट्रेशन याचिका दायर की।				
24.	विशेष लिव याचिका (आब्रिट्रेशन अपील मामला) एसएलपी (सी) नं. 008221- /2020 (संदर्भ - ए. पी. नं. 2019 का 69)(मनोहरपुर– बोंडा मुंडा आब्रिट्रेशन मामला) बीबीजे–बनाम- साउथ ईस्टर्न रेलवे के बीच	2020	• बीबीजे के करीब 7.34 करोड़ रु. के वैध दावे के बारे में विवाद - साउथ ईस्टर्न रेलवे के खिलाफ आब्रिट्रेशन हेतु सुपुर्द किया गया था जो जीसीसी के मुताबिक मध्यस्थ (थों) की नियुक्ति के बाद शीघ्र ही शुरू होने जा रही है। • चूंकि जीसीसी संशोधन अधिनियम, 2015 के पहले से रहने से इसमें तटस्थ मध्यस्थ (थों) की नियुक्ति नहीं है। • आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के गठन के लिए कई पत्रों के प्राप्त करने के बावजूद, एस.ई. रेलवे अपने नामित मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने में जानबूझकर विफल हुआ और उपेक्षा कर रहा है। • 2015 में संशोधित ए एंड सी अधिनियम, 1996 की धारा 12(5) के तहत और माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में विवाद को ठीक से और निष्पक्ष निर्णय देने के लिए मध्यस्थ के रूप में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तत्काल नियुक्ति के लिए वर्तमान मामले को दायर किया गया था।	रु.7,34,57,560/- + ब्याज	लंबित है।	मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा

दिनांक : 31.03.2020

विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित बीबीजे के कानूनी मामलों की संख्या (31.03.2020 तक)

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	लंबित कानूनी मामलों की संख्या
1.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	2
2.	उच्च न्यायालय	13
3.	निचले न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों	8
4.	मध्यस्थता	1

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

41 वर्ष 2005-06 के दौरान जेसप एण्ड कं. लि. ने औद्योगिकु एवं वित्तीय पनर्निर्माण पर्षद (बीआईएफआर) के पास इक्विटी शेयरों के नाममात्र मल्य 10 रु. से 1 रु निर्धारित (कम) करने के लिए आवेदन किया है। बीआईएफआर ने 31.08.2005 को जारी निर्देशों से जेसप एण्ड कं. लि. को कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराएँ 100,101,102 एवं 103 के अधीन प्रावधानों की शर्तों के मुताबिक इक्विटी शेयर पूंजी में कमी करने करने के लिए अनुमति प्रदान की है।

कंपनी ने बीआईएफआर के पूर्वोक्त निर्देशों के विरुद्ध औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण पर्षद के अपीलीय प्राधिकारी (बीआईएफआर) के समक्ष रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की धारा-25 के अधीन एक अपील भी दायर की है। एएआईएफआर ने दिनांक 28.02.2008 के अपने आदेश द्वारा दूसरे अपील के साथ कंपनी द्वारा दाखिल अपील को खारिज कर दिया है जबकि एक अपील पहले उठा लिया गया है।

कंपनी ने एएएफआईआर के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च-न्यायालय कोलकाता में एक रिट याचिका दायर की है, जो आज की तारीख पर निपटारा के लिए लंबित है। कंपनी ने 29.08.2003 को विवाद को कंपनी द्वारा इण्डो वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि (जेसप से रणनीति भागीदार) के बीच "शेयरधारकों के करारनामे के अनुसार मध्यस्थता के लिए सुपुर्द किया है। अंतिम निर्णय सुनाने के बाद लेखांकन मानकों एवं सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए लेखा बहियों में परिणामिक लेखा प्रभाव को दिखाया जाएगा।

42 भारत सरकार के दिनांक 26.08.2003 के पत्रांक 17(12)/2000 पी.ई. III द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात् कंपनी द्वारा जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (जेसप) एवं इन्डो वैगन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बीच एवं उनके द्वारा निष्पादित शेयर खरीद करारनामा की शर्तों के मुताबिक जेसप का 6,81,34,428 अदद (यानी 72 प्रतिशत) इक्विटी शेयरों का बिक्री हस्तान्तरण कंपनी द्वारा 29.08.2003 को 1818.00 लाख रु. की एवज में इन्डो वैगन इंजीनियरिंग लि. के पक्ष में कर दिया गया। प्रचलित कानून के अधीन अनुपालन लंबित रहने पर 1818.00 लाख रु.(1,818.00 लाख रु.) उगाही की गई समूची बिक्री राशि को भारत सरकार को अंतरित कर दी गई है।

43 व्यापार प्राप्य में लकवा परियोजना कार्य के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) से गैर वर्तमान परिसंपत्तियों की 38.98 लाख रुपये (विगत वर्ष - 38.98 लाख) बकाया है, जो पूरा होने के पहले 2009-10 में बंद हो गया था एवं उपर्युक्त कार्य से संबंधित चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में 42.29 लाख रुपये (विगत वर्ष - 42.29 लाख) की अवरोधन जमा एवं 37.49 लाख रुपये (विगत वर्ष - 37.49 लाख) की प्रतिभूति जमा शामिल है। चूंकि बही में दिखायी गयी 126.46 लाख रुपये (विगत वर्ष - 126.46 लाख) की सदृश समष्टि राशि बीएचईएल को देय है, कंपनी ने बीएचईएल से प्राप्य प्रतिभूति जमा एवं अवरोधन धन पर संदिग्ध कर्ज के लिए किसी भत्ते की नहीं सोची है।

44 वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी ने गेबन गणराज्य में बिकेले टाउनशिप के करीब यूनिट के विनिर्माण के लिए बीसीडी इनगाब कंसोरटियम के नाम के तहत कंसोरटियम व्यवस्था में प्रवेश किया है। विभिन्न शीर्षों यथा कि गारंटी प्रभार, यात्रा, संस्थापन खर्च आदि पर हुए वास्तविक व्यय को छोड़कर कंपनी द्वारा प्रदत्त सेवाओं (कंसोरटियम भागीदार से हुए करारनामे के मुताबिक) का कुल मिलाकर मूल्य 2.75 करोड़ रु. तक निर्धारित था। कंपनी ने अपनी परिभाषित भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के अंश के रूप में कंसोरटियम को जारी की गयी समान राशि का मोबिलाइजेशन एडवांस के विरुद्ध गेबन सरकार के पक्ष में 725,000 अमेरिकी डॉलर (परियोजना आदेश मूल्य का 5 प्रतिशत) कार्यनिष्पादन की गारंटी दी है। कंपनी ऐसी गारंटी (इस समय वैधता की अवधि समाप्त हो गयी) देने के लिए कंसोरटियम से मार्जिन धन प्राप्त की है।

कंपनी ने परियोजना के निष्पादन में संतोषजनक प्रगति न होने से वहां से सम्मानपूर्वक बाहर आने का निर्णय किया है, जिसका अनुसरण किया जा रहा है।

तथापि वर्तमान करारनामे के मुताबिक परियोजना में किसी हानि होने और / या कमी होने की दशा में कंसोरटियम भागीदार को क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, अभी तक कंपनी द्वारा किसी से कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है, और न ही मध्यस्थता की आवश्यकता वाला कोई विवाद उत्पन्न है।

45 वर्ष के अंत में कच्ची सामग्रियों, भंडारण आदि की मालसूची का भौतिक सत्यापन किया जाता है। भौतिक एवं बही के स्टॉक में महत्वपूर्ण फर्क नहीं होने के कारण लेखा बहियों में उचित रुप से व्यवहृत की जाती है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

46 गैर-वर्तमान निवेश (टिप्पणी-13) में ईस्ट इंडिया क्लिनीक लिमिटेड में 0.16 लाख रु.(गत वर्ष-0.16 लाख रु.) की 5% नॉन रिडिमेबल रजिस्टर्ड डिबेंचर स्टॉक शामिल है, जिससे कंपनी कोई आय अर्जित नहीं करती है।

47 वर्ष 2005-06 के दौरान, अक्टूबर 2001 से अगस्त 2003 तक की अवधि के लिए सेवा प्रभार के रूप में वसूल किया गया 82.72 लाख रुपये जेसप एण्ड कंपनी लि. को वापस किया गया था। कंपनी ने ब्याज एवं खर्च के साथ राशि की वसूली के लिए मामला दायर की है, जो आज की तारीख तक निपटारा हेतु लंबित है।

48 कंपनी ने सहायक कंपनी, भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड ('बीएमईएल') एवं वेबर्ड इंडिया लिमिटेड ('डब्ल्यूआईएल'), द्वितीय स्तर सहायक कंपनी ('सहायिकाएं') को 6,588.99 लाख रुपये की मंजूर किए ऋण और भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ('बीडब्ल्यूईएल') को 207.25 लाख रुपये के ऋण पर उपचित ब्याज का हिसाब में नहीं रखी है क्योंकि कंपनी की उपरोक्त सहायक कंपनियां समापन के अधीन हैं, इसलिए इनसे उगाही नहीं हो सकती है।

कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए 6589 लाख रुपये के ऋण पर देय ब्याज का प्रावधान भी नहीं किया है, जिसका उपयोग कंपनी की पूर्वोक्त सहायक कंपनियों को ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था। यदि इस तरह के ऋण पर चालू वित्त वर्ष के लिए वित्त लागत हेतु देय ब्याज 2160.61लाख रु. (विगत वर्ष - 2158.30 लाख रु.) और भारत सरकार को देय राशि 50.290.73 लाख रु. (विगत वर्ष - 48130.12 लाख रु.) से अधिक हुई होती। तदनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए लाभ 2160.31 लाख रु. (विगत वर्ष - 2158.30 लाख रु.) से कम हो गया होता।

49 आयकर विभाग के कार्यालयीन पोर्टल के मुताबिक 19.33 लाख रुपये के निर्विरोध आयकर मांग है, जिसका कंपनी के पास समुचित अभिलेख या खंडन हेतु सबूत नहीं है। तथापि, कंपनी की राय है कि भुगतान करने के लिए कोई भी राशि बकाया नहीं है, जिसका विरोध नहीं किया गया है और आयकर पोर्टल में प्रदर्शित राशि गलत हो सकती है। कंपनी उसे ठीक करने का प्रयास करेगी। तदनुसार, कोई देयता प्रदान नहीं की गई है।

50. टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के हिस्सा के तहत टिप्पणी 8 के मुताबिक वर्ष के अंत में मालसूचियों एवं पुराने और अप्रयुक्त स्टॉक में कच्ची सामग्रियां 62.47 लाख रुपये, स्टोर स्पेयर्स पुर्जों और अवयवों के तहत 2.78 लाख रुपये, जो 7 वर्षों से अधिक के लिए पड़े हुए हैं और लूज़ टूल्स के तहत और 8.88 लाख रुपये जो 9 साल से अधिक समय से पड़े हुए हैं। वर्ष के दौरान खातों में उसके विरूद्ध कोई प्रावधान नहीं किया गया है और कंपनी की राय है कि अभी तक इस तरह के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

51. टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के हिस्सा के तहत टिप्पणी 6 के अनुसार अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के तहत अन्य अग्रिमों में "दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड" से संबंधित उगाही योग्य विविध व्यय 55.38 लाख रुपये शामिल हैं और कंपनी उसको पहचानने और मिलान करने की प्रक्रिया में लिप्त है। इस मिलान के लंबित पड़े रहने से कंपनी की राय है कि अभी तक इस तरह के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

52 कुछ व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, लेनदारों, ऋणों एवं अग्रिमों आदि के शेष अनुरूप अनुषंगी अभिलेखों के शेष के अनुसार बही में शामिल किया गया है बशर्ते कि संबंधित पार्टियों एवं मिलान से आये अगर कोई परिणामिक समायोजन की पुष्टि हो। फिर भी प्रबंधन का मानना है कि इस संबंध में कोई भौतिक विसंगति नहीं होगी। इसके अलावा, कंपनी देनदारों और लेनदारों से पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। अभी तक प्राप्त पुष्टियों का मिलान कर लिया गया है। सभी प्राप्त हुए पुष्टिकरणों को ध्यान में रखते हुए शेष किसी भी तरह के मिलान या समायोजन के अधीन हैं।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

53 कंपनी को निम्नलिखित बंद हो चुकी साइटों के बैंक शेष के संबंध में संबंधित बैंकों से पुष्टि नहीं मिली है, जिनमें कुछ बहुत पुराने हैं और संबंधित विवरणों के नाम उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार, शेष संबंधित बैंकों से पुष्टि के अधीन अध्ययीन हैं। इस तरह के शेष के विवरण इस प्रकार हैं :

	साइटों के नाम	बैंक शेष (लाख रुपये में)
1.	बोनम साइट	0.09
2.	वैतरणी साइट	0.10
3.	फरक्का साइट	0.03
4.	कहलगांव साइट	0.01
5.	कानहन साइट	0.14
6.	रिहन्द साइट	0.02
7.	उल्लास साइट	0.07
8.	बोंदा मुंडा साइट	0.31
9.	मुगलसराय साइट	0.10
10.	अगरतला (त्रिपुरा) साइट	0.07
	कुल	**0.95**

I उपरोक्त साइटों में 0.85 रुपये की राशि शामिल है जो बंद साइटों के शेष राशि बतलाती है (विगत वर्ष 0.47 लाख रुपये)

ii) नकद शेष राशि में 0.70 लाख रुपये (विगत वर्ष का 0.01 लाख रुपये) बंद साइट के शेष बतलाता है, जो पहले के वर्षों से संबंधित था, जिसके लिए कोई पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

54. कोविद-19 महामारी ने सरकारों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और अन्य आपातकालीन उपायों के कारण विभिन्न व्यावसायिक कार्यों को बाधित किया है। राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के पश्चात् निर्माण स्थलों और कार्यालयों को बंद करने के कारण कंपनी का संचालन प्रभावित हुआ। कंपनी अपने संचालन को चरणबद्ध तरीके से अधिकारियों के निर्देशों के अनुरूप चला रही है।

कंपनी ने अपने व्यापार के संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। तरलता, परिसंपत्तियां और वित्तीय स्थिति और वर्तमान संकेतकों और आर्थिक स्थितियों के प्रबंधन की समीक्षा के आधार पर 31 मार्च, 2020 तक इसके वित्तीय परिणामों पर कोई भौतिक प्रभाव और समायोजन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, कोविद -19 का प्रभाव का मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया है जो इसकी प्रकृति और अवधि से जुड़ी अनिश्चितताओं को देखते हुए है और तदनुसार प्रभाव इन वित्तीय परिणामों के अनुमोदन की तारीख से अनुमानित से अलग हो सकता है।

55 उचित मूल्यांकन तकनीक

कंपनी उपलब्ध सर्वोत्तम और सबसे प्रासंगिक आंकड़े का उपयोग करके वित्तीय संपत्तियों या वित्तीय देनदारियों को मूल्य तय करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को बनाए रखती है। परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्यों को उस रकम में शामिल किया जाता है जो किसी संपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या मूल्यांकन की तारीख पर बाजार के प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में देयता का स्थानांन्तरण करने के लिए भुगतान किया जाता है।

i) इन इंस्ट्रूमेंट की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण नकदी और जमा, व्यापार प्राप्तियां, व्यापार देनदार और अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से वहन योग्य रकम का अनुमान करता है।

टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का हिस्सा
(सभी राशियां भारतीय रुपये लाख में, शेयर डेटा व जहां अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर)

उचित मूल्य पदानुक्रम

निम्नलिखित सारणी नीचे वर्णित अनुसार स्तर 1 से स्तर 3 में समूहित कंपनी की संपत्ति और देनदारियों का उचित मूल्यांकन पदानुक्रम प्रदान करती हैं :

i) समान संपत्तियों या देनदारियों (स्तर 1) के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें। इसमें सक्रिय बाजारों में कारोबार किए गए वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का उचित मूल्य शामिल है और तुलन-पत्र की तिथि पर उद्धृत बाजार मूल्यों पर आधारित हैं।

ii) उद्धृत मूल्यों के अलावा इनपुट 1 स्तर के भीतर शामिल हैं जो संपत्ति या देयता के लिए या तो सीधे (यानी, कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी, मूल्य से उत्पन्न) (स्तर 2) देखे जा सकते हैं। इसमें वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का उचित मूल्य शामिल है जो सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं कर रहे हैं (उदाहरण के लिए, ओवर-द-काउंटर डेरिवेटिव्स) और इसका निर्धारण मूल्यांकन तकनीक के किया जाता है। ये मूल्यांकन तकनीक अवलोकन योग्य बाजार आंकड़े के उपयोग को अधिकतम करती है जहां पर यह उपलब्ध है और और कंपनी के विशेष अनुमानों पर जितना संभव हो कम भरोसा किया जाय। यदि उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट हो तो इंस्ट्रूमेंट अवलोकन योग्य हैं, तो इंस्ट्रूमेंट स्तर 2 में शामिल किया गया है।

iii) संपत्ति या देयताएं के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार आंकड़े (जो गैरअवलोकन इनपुट है) पर आधारित नहीं हैं (स्तर 3)। यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार आंकड़े पर आधारित नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट स्तर 3 में शामिल किया गया है।

(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ :

विवरण	31 मार्च 2020 को स्थित			01 अप्रैल, 2019 को स्थित		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:						
इक्विटी में निवेश	-	3,086.81	-	-	3,086.81	-
ऋणपत्रों या बॉण्ड में निवेश	-	71.43	-	-	67.80	-
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**-**	**3,158.24**	**-**	**-**	**3,154.61**	**-**
वित्तीय देयताएँ :						
शून्य दर ऋणपत्रों में परिवर्तित ऋण का आवंटन लंबित है	-	297.82	-	-	313.07	-
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**297.82**	**-**	**-**	**313.07**	**-**

31 मार्च, 2020 एवं 31 मार्च, 2019 के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 उचित मूल्य माप के बीच कोई अंतरण नहीं था तथा स्तर 3 उचित मूल्य माप से कोई अंतरण नहीं था। स्तर 3 के तहत कोई लेनदेन / शेष नहीं है।

56. भारतीय लेखांकन मानक 116 के तहत प्रकटीकरण के संबंध में जो 01.04.2019 से प्रभावी हैं, कोई ऑपरेटिंग लीज नहीं है जो वर्ष के दौरान मौजूद है और इसलिए इस संबंध में कोई खुलासा करना आवश्यक नहीं है।

कर्नाटक में लोंडा मिराज परियोजना के लिए स्टील ब्रिज का निर्माण कार्य

Construction work of steel bridge for Londa Miraj Project at Karnataka

हैलाकांडी, असम में 2019-20 के लिए सीएसआर गतिविधियाँ

CSR activities for 2019-20 at Hailakandi, Assam

Printed & Designed By SKG MEDIA